



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122024-259674
CG-DL-E-28122024-259674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946

No. 344]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) - 16/2023

विषय: चीन पीआर, कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात किए गए "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच।

फा. सं. - 6/17/2023-डीजीटीआर.- समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, (इसके बाद "एडी नियम" के रूप में संदर्भित);

क. मामले की पृष्ठभूमि

- केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड ("इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और एंटी-डंपिंग नियम, 1995 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। चीन पीआर, कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में भी संदर्भित) से 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'विषय माल' या 'पीयूसी' के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत के लिए "नियम")।
- प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/17/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें विषय की जांच शुरू की गई। नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं की कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए , जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू क्षति की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं को इच्छुक पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया। हालांकि, सभी निर्माताओं द्वारा प्रश्नावली के जवाब दायर नहीं किए गए थे। स्थिति नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विषय देश	उत्पादक/निर्यातक	प्रतिक्रिया
1	चीन पीआर	सीएनएसआईजी जिलांटाई क्लोर-ऐल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		चाइना सॉल्ट केमिकल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया

		सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		सीएनएसजी जिलांटाई पॉलिमर मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		तियानवेई केमिकल कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		गैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	दायर
		फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	दायर
		ऑर्डोस जुंजेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		लिंगलैंड एंटरप्राइज शंघाई कंपनी लिमिटेड	दायर
		शेन्नयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	दायर
2	कोरिया आरपी	एलजी केम लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
		हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	दायर
3	मलेशिया	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	दायर
4	नॉर्वे	इनोविन यूरोप लिमिटेड	दायर
5	ताइवान	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	दायर
6	थाईलैंड	टीपीसी पेस्ट रेजिन कंपनी लिमिटेड	दायर
		थाई पॉलीथाइलीन कंपनी लिमिटेड	दायर

4. भारत में निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकृत किया है। हालांकि, सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रश्नावली के जवाब दायर नहीं किए गए थे। स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र.सं.	पंजीकृत आयातक/उपयोगकर्ता	प्रतिक्रिया
1	एसी पॉलीकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	दायर
2	अरिटास विनाइल प्राइवेट लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
3	अरोरा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड	दायर

4	ए वी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
5	बीटा पॉली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
6	डिलाइट कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
7	जस्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
8	क्लासिक लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	दायर
9	मार्वल विनाइल्स लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
10	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड	दायर
11	पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	दायर
12	प्रीमियर पॉली फिल्म लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
13	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
14	आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड	दायर नहीं किया गया
15	शिव पॉलिमरस	दायर नहीं किया गया

5. जांच शुरू करने के अनुसरण में इच्छुक पक्षों को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, और रिकॉर्ड पर जानकारी और साक्ष्य के आधार पर और अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 26 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विचाराधीन उत्पाद संबंधित देशों से संबंधित सामान्य मूल्यों से नीचे की कीमतों पर निर्यात किया गया है, इस प्रकार माल की डंपिंग होती है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकरण ने संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
6. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों को निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में अधिसूचित किया जिसका प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी करने के बाद पालन किया जाना था।
- ऐसे निष्कर्षों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों पर सभी इच्छुक पार्टियों द्वारा टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।
 - यह अधिसूचित किया गया था कि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 (6) के संदर्भ में एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।
 - आवश्यक समझे जाने वाले आगे के सत्यापन का संचालन किया जाएगा।

- iv. अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पहले आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।
7. प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए केन्द्र सरकार को उनके विचारार्थ भेजी गई थी।
8. प्रारंभिक सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अधिसूचना 09/2024 दिनांक 13 जून 2024 के माध्यम से 6 महीने की अवधि के लिए अंतरिम उपाय लगाए गए थे।

ख. प्रक्रिया

9. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है
- क. प्राधिकारी को विभिन्न हितकारी पक्षों द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जिन पर वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में समुचित विचार किया गया है।
- ख. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 13 अगस्त 2024 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितकारी पक्षों को मौखिक रूप से अपनी राय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद, नामित प्राधिकारी के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, 13 सितंबर 2024 को एक और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। सभी हितकारी पक्ष जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन्हें लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
- ग. एक प्रकटीकरण विवरण, जिसमें जाँच के मूलभूत तथ्य शामिल थे और जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बने, 30 नवंबर 2024 को हितकारी पक्षों को जारी किया गया। हितकारी पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 6 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया। प्रारंभिक निष्कर्षों के जारी होने के बाद हितकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ, तर्क, और जानकारी, साथ ही प्रकटीकरण विवरण पर उनकी टिप्पणियाँ, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में, जहाँ प्रासंगिक, गैर-आवृत्त, और प्रमाण समर्थित पाई गईं, उनका परीक्षण और विचार किया गया है।
- घ. प्रारंभिक निष्कर्ष इन अंतिम निष्कर्षों का अभिन्न अंग हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि संक्षिप्तता के लिए, हितकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रक्रियात्मक विवरण, तर्क, और प्रारंभिक निष्कर्षों में किए गए निर्धारण, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से या आवश्यक निष्कर्ष के रूप में

- हों, और जिनका किसी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है, उन्हें इन अंतिम निष्कर्षों में दोहराया नहीं गया है। तदनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों को इन अंतिम निष्कर्षों के पूरक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए, जो तथ्यों और प्रक्रियात्मक अभिलेख का एक संगठित हिस्सा बनाते हैं, और इन्हें वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
- ड. प्राधिकारी ने इस हद तक यह सुनिश्चित किया कि हितकारी पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार बनती है, सटीक है। प्राधिकारी ने हितकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया, जहाँ इसे प्रासंगिक और आवश्यक समझा गया।
- च. आवेदक के परिसर में ऑन-द-स्पॉट सत्यापन किया गया, जहाँ आवेदक द्वारा किए गए विभिन्न दावों को सत्यापित किया गया और जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, सहायक जानकारी एकत्रित की गई।
- छ. निर्यातकों का सत्यापन भी किया गया, उनके द्वारा किए गए दावों को सत्यापित किया गया और प्रासंगिक जानकारी एकत्रित की गई। कोरिया आरपी और थाईलैंड के प्रतिभागी उत्पादकों के परिसरों में भौतिक सत्यापन किया गया। अन्य प्रतिभागी उत्पादकों के लिए डेस्क सत्यापन किया गया।
- ज. इस दस्तावेज़ में '***' उन सूचनाओं को दर्शाता है जो किसी हितकारी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं और नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा इसे गोपनीय माना गया है।
- झ. जाँच अवधि (अप्रैल 2022 - मार्च 2023) के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹81.06 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. प्राधिकरण ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

"3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है, जिसे इमल्शन पीवीसी राल के रूप में भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट राल विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है।

पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सिन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

5. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

- क) 60K से कम K के वैल्यू वाले विचाराधीन उत्पादन
- ख) पीवीसी सम्मिश्रण राल
- ग) पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर
- घ) बैटरी सेपरेटर रेजिन

6. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्ष 390410 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आईटीसी एचएस कोड 39041010 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ।

11. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं और लेख की तरह:
- क. इनोविन यूरोप लिमिटेड ने 'बायोविन' नामक एक विशेष प्रकार के पर्यावरण मित्र पीवीसी पेस्ट रेजिन को बाहर करने की मांग की, जो पूरी तरह से नवीकरणीय कार्बन फीडस्टॉक से निर्मित है और एक बाहरी ऑडिटर द्वारा RSB (राउंडटेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमेटेरियल्स) मानकों के अनुरूप प्रमाणित है।
 - ख. पीवीसी -1510 और पीवीसी -16 को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समकक्ष ग्रेड कथित रूप से आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं।
 - ग. उत्पाद के कई विशेष ग्रेडों के अस्तित्व को विशेष कार्यात्मक गुणों द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे कि कम-फॉगिंग, एंटी-जेलेशन, उच्च भराव स्वीकृति, वायु रिलीज आदि पीसीएन इन कथित विशेषता ग्रेड के लिए तैयार किए जाएं।

- घ. प्रारंभिक निष्कर्षों में उत्पाद गुंजाइश और पीसीएन के बारे में प्रस्तुतियाँ संबोधित नहीं की गई थीं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर प्रस्तुतियाँ दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है और प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जा सकती हैं।
- ड. पीसीएन के लिए बीआईएस मानकों पर निर्भरता रखी जानी चाहिए। बीआईएस ने पीवीसी पेस्ट के आठ अलग-अलग ग्रेड के लिए आठ मानक स्थापित किए हैं, और यह पीवीसी पेस्ट के भौतिक रूप से विभिन्न ग्रेड के अस्तित्व को स्थापित करता है।
- च. बीआईएस मानक प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण विधियों के अनुरूप K मान, अंतर्निहित चिपचिपाहट, निर्दिष्ट शर्तों के तहत स्पष्ट चिपचिपाहट और वाष्पशील पदार्थ सामग्री के आधार पर उत्पाद को 8 ग्रेड में वर्गीकृत करते हैं। यह वर्तमान पीसीएन पद्धति की अपर्याप्तता स्थापित करता है, जो केवल K मान पर आधारित है।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा विनिमत ग्रेडों की तुलना कई महत्वपूर्ण मामलों में आयातित उत्पाद से नहीं की जा सकती है और अनेक प्रमुख पैरामीटरों पर दोनों के बीच कोई प्रतिस्थापन नहीं है।
- ज. विशेषता ग्रेड को शामिल करने के पीछे आवेदक की एकमात्र चिंता परिधि का संभावित जोखिम है। संभावित छल के बारे में आवेदक की मात्र आशंका कानूनी दायित्व की अनदेखी को सही नहीं ठहरा सकती है कि गुंजाइश केवल उत्पादों की तरह शामिल होनी चाहिए।
- झ. बीआईएस के सांविधिक अधिदेश, तकनीकी विशेषज्ञता और इसे दिए गए न्यायिक सम्मान को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि बीआईएस की सिफारिशों की किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा अवहेलना या अनदेखी नहीं की जा सकती है।
- ञ. आवेदक को बीआईएस मानक के तहत सूचीबद्ध 8 ग्रेड में से केवल 4 का निर्माण करने के लिए प्रमाणित किया गया है। ग्रेड 2 के लिए आवेदक का उत्पादन उसके कुल उत्पादन के 90% से अधिक है।
- ट. उपयोगकर्ता ज्यादातर 75 से अधिक के-मूल्यों वाले उत्पाद का आयात करते हैं जो विशेष रूप से विशेष अनुप्रयोगों / अंतिम उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च के-मूल्य विशेषता ग्रेड हैं। आवेदक 85 से अधिक K- मूल्य वाले उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता है।
- ठ. पोलिनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदक से अपने ऑटोमोटिव ग्राहकों की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक व्यवहार के साथ अपेक्षित उत्पाद प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि, इस अनुरोध के एक महीने बाद, आवेदक ने ग्रेड 120 का उपयोग करने का सुझाव दिया। ग्रेड 120 आवश्यक चिपचिपाहट मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा

- ड. आवेदक के ग्रेड 121, 120 और 128 के पर्याप्त व्यावसायिक उत्पादन की कमी है।
- ढ. आवेदक का उत्पाद 1960 के दशक की पुरानी तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है और इसमें कड़े कम फॉगिंग मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीक नहीं है।
- ण. आयातित विशेषता ग्रेड, विशेष रूप से ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले लॉग फॉगिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, बाजार में उच्च कीमत का आदेश देता है।
- त. आईआईटी दिल्ली के पास इस तरह के परीक्षण के लिए फॉगिंग मशीन या आवश्यक तकनीकी उपकरण नहीं है और इसके अभाव में, नमूनों की जांच के लिए किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- थ. भारत इन उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन और एंटी-डंपिंग शुल्क आयात और डाउनस्ट्रीम उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जिससे मांग-आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर पैदा होगा।
- द. केम्प्लास्ट ने आईएस 17658:2021- पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर के अस्तित्व को दबा दिया है - विषय वस्तुओं से संबंधित विशिष्टता।
- ध. ऑटोमोबाइल ओईएम फॉगिंग आवश्यकताओं की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 6452 का पालन करते हैं और फोटोमेट्रिक विधि द्वारा SAEJ1756 के अनुसार न्यूनतम फॉग नंबर का एक विनिर्देश निर्धारित किया है। आवेदक द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद आवश्यक चिपचिपाहट को पूरा नहीं करता है।
- न. आवेदक ने दावा किया है कि पीवीसी पेस्ट राल के विशेष ग्रेड सामान्य उद्देश्य ग्रेड को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो सही नहीं है। उच्च लागत और कीमतों वाले विशेषता-ग्रेड उत्पाद सामान्य प्रयोजन ग्रेड के लिए तकनीकी विकल्प भी नहीं हैं।
- प. 'समान उत्पाद' या 'समान वस्तु' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पाद को या तो विचाराधीन उत्पाद के साथ पूर्ण समानता प्रदर्शित करनी चाहिए या विचाराधीन उत्पाद के समान विशेषताओं का होना चाहिए। आवेदक द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद आयातित उत्पाद की वस्तु की तरह नहीं है।
- फ. आवेदक ने दावा किया है कि इसका ग्रेड सीपी 120 पीवीसी 370 एचडी, इनोविन पीवीसी पी 1412, इनोविन पीवीसी पी 11, इनोयवन पीवीसी पी 15, पीवीसी 367 एनके और इनोविन पीवीसी पी 1510 के लिए प्रतिस्थापन योग्य है। आवेदक द्वारा पहचाने गए सभी छह ग्रेड एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित नहीं हैं और एक ही आवेदन में उपयोग नहीं किए जाते हैं।

- ब. PSH 25 और EH60 ऑटोमोटिव उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं और केमम्प्लास्ट या किसी अन्य घरेलू निर्माता द्वारा उत्पादित नहीं हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

12. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और इसी तरह के लेख के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

- क. उत्पाद के दायरे से बायोविन को बाहर करने का एकमात्र आधार बायोविन की काफी अधिक कीमत के कारण घरेलू जैसी वस्तु के साथ इसकी गैर-प्रतिस्थापन क्षमता है। इसलिए, बहिष्करण को मूल्य बेंचमार्क के अधीन किया जाना चाहिए।
- ख. घरेलू उद्योग इनोविन के पीवीसी-1510 और पीवीसी-16 ग्रेड के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है, जिनकी संपत्तियाँ संबंधित भारतीय मानक आईएस 17658 के अनुरूप हैं और फॉगिंग मूल्यों का परीक्षण किया गया है और आईआईटी दिल्ली में पैनल द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन में तुलनीय पाया गया है।
- ग. जांच की अवधि के दौरान पीवीसी-16 का केवल नमूना मात्रा में आयात किया गया है। जहां तक पीवीसी-1510 को बाहर रखने का संबंध है, जांच की अवधि में पीवीसी-1510 की केवल मामूली मात्राओं का आयात उस समय घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामान्य ग्रेडों की कीमतों से मामूली अधिक कीमतों पर किया गया है। यह इस धारणा का खंडन करता है कि यह एक विशेषता ग्रेड है।
- घ. विशेष गुणों जैसे कम फॉगिंग, एंटी-जेलेशन आदि का मुद्दा और क्या वे अलग-अलग ग्रेड का गठन करते हैं, उत्पाद से संबंधित पिछली जांच में कई बार उठाया गया है। अंततः इसे तकनीकी मूल्यांकन के लिए आईआईटी दिल्ली के एक पैनल के पास भेजा गया। मूल्यांकन का निष्कर्ष यह था कि 'कम फॉगिंग' जैसे गुण एक अलग उत्पाद या ग्रेड का गठन नहीं करते हैं, और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।
- ड. पीसीएन का सीमांकन या तथाकथित विशेषता ग्रेड के उत्पाद दायरे से बहिष्करण विषय देशों के भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा नहीं मांगा गया है, जो दर्शाता है कि दुनिया भर के निर्माता उन्हें अलग-अलग ग्रेड के रूप में नहीं पहचानते हैं।
- च. विशेष गुणों को सरल योजक और प्रक्रिया नियंत्रण मापदंडों के संशोधन द्वारा किसी विशेष उपकरण, अतिरिक्त निवेश या लागत और कीमत में किसी भी महत्वपूर्ण अंतर की आवश्यकता के बिना प्राप्त किया जा सकता है।

- छ. बीआईएस मानक उत्पाद के आठ श्रेणियों की पहचान करता है, लेकिन किसी विशेष श्रेणी की पहचान नहीं करता। बीआईएस मानक द्वारा पहचाने गए आठ श्रेणियों में से केमप्लास्ट सात श्रेणियों का उत्पादन करता है, जबकि आठवीं श्रेणी का उत्पादन मांग की कमी के कारण नहीं किया जाता है।
- ज. विभिन्न श्रेणियों के अस्तित्व से अलग-अलग पीसीएन बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि लागत और मूल्य में कोई अंतर न हो।
- झ. तथाकथित विशेष ग्रेड के लिए आयात की मात्रा बहुत कम है और ये ग्रेड देश में उत्पाद के कुल आयात के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित माल तकनीकी और कार्यात्मक रूप से आयात के साथ प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए, तथाकथित विशेष ग्रेड सहित सभी आयात, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बदलने में सक्षम हैं और यह अत्यधिक संभावना है कि इन ग्रेडों के बहिष्करण से आयातकों को कर्तव्यों से बचने के लिए ग्रेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे कर्तव्यों को अप्रभावी बना दिया जाएगा।
- ट. तथाकथित विशेषता ग्रेड अन्य ग्रेड को प्रतिस्थापित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, अगर इन तथाकथित विशेषता ग्रेड का सापेक्ष मूल्य अंतर सामान्य ग्रेड की कीमत से कम हो जाता है। सामान्य ग्रेड पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने और इन विशेष ग्रेडों के संभावित बहिष्करण से निरर्थक और निरर्थक अभ्यास होगा, क्योंकि उपभोक्ता अपने सामान्य अनुप्रयोगों के लिए इन तथाकथित विशेष ग्रेड पर खुशी से स्विच करेंगे।
- ठ. शायद ही कोई ऐसा ग्रेड हो जिसका आयात किया जाता हो और घरेलू उद्योग द्वारा इस तरह की वस्तु की पेशकश न की जाती हो।
- ड. यहां तक कि जब बीआईएस उत्पाद का तकनीकी विनिर्देश है, तो बीआईएस किसी भी विशेषता ग्रेड को निर्दिष्ट नहीं करता है। बीआईएस उत्पाद के लिए केवल 8 ग्रेड की पहचान करता है।
- ढ. भारतीय मानक ब्यूरो में विनिर्दिष्ट 8 ग्रेडों में से घरेलू उद्योग पहले से ही 7 ग्रेडों का उत्पादन कर रहा है। यहां तक कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं की गई 8वीं कक्षा का उत्पादन भी देश में उत्पाद की सीमित मांग के कारण है।
- ण. भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों में से किसी ने भी किसी भी विशिष्ट ग्रेड के लिए पृथक पीसीएन की मांग नहीं की है। भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों ने

स्पष्ट तकनीकी विशिष्टताओं और विशेषताओं के साथ उत्पाद की पहचान नहीं की है और इसलिए प्राधिकरण से अनुरोध है कि इसके लिए बहिष्करण या पीसीएन की किसी भी आवश्यकता पर विचार न करें।

- त. लेन देन-वार आयात आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि विवरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेष ग्रेड की पहचान की अनुमति देता है। इच्छुक पार्टियों को इन तथाकथित विशेष पीवीसी की आयात मात्रा स्थापित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।
- थ. इन उत्पादों की किसी तकनीकी संपत्ति की पहचान इस प्रकार नहीं की गई है कि सीमा शुल्क द्वारा इनकी पहचान, पहचान और सत्यापन किया जा सके।
- द. जैसा कि डीजीटीआर द्वारा चीन पीआर और वियतनाम से "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब" से संबंधित मध्यावधि समीक्षा में मान्यता दी गई है, यदि उत्पाद स्वयं स्पष्ट रूप से पहचान योग्य नहीं है, तो इसके बहिष्करण पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

13. विचाराधीन उत्पाद और इसी तरह के लेख के बारे में विरोधी इच्छुक पार्टियों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सबमिशन की जांच की गई है और यहां संबोधित किया गया है।

क. पीसीएन पद्धति

14. प्राधिकरण ने निर्धारित समय सीमा के भीतर इच्छुक पार्टियों से पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। विरोधी पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और 1 दिसंबर 2023 को पीसीएन की आवश्यकता के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक से पहले टिप्पणियां दायर करने वाले इच्छुक दलों को उनके द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति को सही ठहराते हुए प्रस्तुतियाँ करने का अवसर दिया गया था। इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था कि प्राधिकरण बैठक के बाद कोई और टिप्पणी नहीं मांगेगा और पीसीएन पद्धति पर निर्णय रिकॉर्ड पर जानकारी पर आधारित होगा। जहां कहीं भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

15. प्राधिकरण ने प्रारंभिक निष्कर्षों में पीसीएन पद्धति के संबंध में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की पहले ही जांच कर ली है।
16. जहां तक कुछ उपयोगकर्ताओं का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि 20 अक्टूबर, 2023 को राजपत्र अधिसूचना और प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से व्यापक जागरूकता के बावजूद, पीसीएन टिप्पणियों के लिए 4 नवंबर, 2023 की समय सीमा सहित प्रक्रियाओं और समय सीमा की रूपरेखा तैयार करने के बावजूद, उपयोगकर्ता एक इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण करने या निर्धारित समय सीमा के भीतर टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहे। प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2023 को एक नोटिस प्रकाशित करने के बाद भी, 1 दिसंबर, 2023 के लिए पीयूसी/पीसीएन पर एक बैठक निर्धारित करते हुए, उपयोगकर्ता उद्योग ने केवल 30 नवंबर, 2023 की देर शाम पंजीकरण के लिए अनुरोध किया। यह अनुरोध, समय सीमा से परे और पीसीएन बैठक की घोषणा के बाद प्रस्तुत किया गया था, केवल पंजीकरण की समय सीमा को 'अनजाने में चूकने' के दावे से उचित ठहराया गया था। अतः पीसीएन पद्धति तैयार करते समय इन प्रयोक्ताओं द्वारा पीयूसी/पीसीएन पर की गई टिप्पणियों पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि ये प्रयोक्ता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं करते थे।
17. प्राधिकरण ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक निष्कर्षों के लिए नीचे दी गई पीसीएन पद्धति को अपनाया। इसे इच्छुक पार्टियों को दिनांक 18 जनवरी 2024 के संचार के माध्यम से अधिसूचित किया गया था जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर	श्रेणी	कोड
1	K - वैल्यू	60-70	मध्यम
2		70 से ऊपर	उच्च

18. प्राधिकरण नोट करता है कि उपयोगकर्ताओं ने बाद में बैठक के बाद पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां दर्ज कीं। वर्तमान अंतिम जांच निष्कर्ष दर्ज करते समय प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच की गई है।

19. उपयोगकर्ता उद्योग ने दावा किया है कि आवेदक के इशारे पर पीसीएन पद्धति को स्वीकार किया गया था। प्रयोक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि पीसीएन पद्धति में चिपचिपाहट, जेलेशन, वायु रिलीज, उच्च भराव अनुकूलनीयता आदि जैसे पैरामीटर शामिल होने चाहिए।
20. प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच में आवेदक ने किसी भी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया था। पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव प्रतिभागी निर्माताओं द्वारा दिया गया था। अतः यह धारणा कि पीसीएन पद्धति को घरेलू उद्योग के सुझावों के अनुरूप स्वीकार किया गया, गलत है।
21. उपयोगकर्ताओं ने अग्रणी निर्माताओं के तकनीकी साहित्य के आधार पर पीसीएन पद्धति का सुझाव दिया जो दर्शाता है कि उपयुक्त पीवीसी पेस्ट राल चुनने के लिए उपरोक्त पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रयोक्ताओं ने अपने लिखित निवेदनों में यह प्रस्तुत किया है कि पीसीएन अनुरोध के पीछे तर्क यह प्रदर्शित करना था कि घरेलू उद्योग कुछ ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए, इन्हें बाहर रखा जा सकता है।
22. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय देशों के प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी ने भी प्रयोक्ता उद्योग द्वारा सुझाए गए पैरामीटरों के आधार पर पीसीएन पद्धति के लिए अनुरोध नहीं किया है। साथ ही, यह दिखाने के लिए कोई जानकारी सामने नहीं लाई गई है कि इन कारकों पर लागत भिन्न है। पीसीएन उन कारकों पर तैयार किए जाते हैं जो उत्पाद की लागत में अंतर लाते हैं।
23. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि कुछ इच्छुक पार्टियों ने पीसीएन पद्धति के साथ बीआईएस मानकों के मुद्दे को मिला दिया है। बीआईएस को यह दिखाने के लिए संदर्भित किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न के-मानों, अंतर्निहित चिपचिपाहट, स्पष्ट चिपचिपाहट और वाष्पशील पदार्थ के साथ 8 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए, विस्तृत पीसीएन की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया है कि आवेदक को बीआईएस मानक के तहत सूचीबद्ध 8 ग्रेड में से केवल 4 का निर्माण करने के लिए प्रमाणित किया गया है और बीआईएस पर जानकारी आवेदन में प्रदान नहीं की गई थी और जानबूझकर प्राधिकरण से छिपाई गई है।

24. प्राधिकरण नोट करता है कि व्यापार उपचार जांच में पीसीएन पद्धति को अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य पीयूसी के भीतर विभिन्न ग्रेडों में लागत और मूल्य में भिन्नता का सटीक रूप से हिसाब देना है। यह दृष्टिकोण विषय वस्तुओं और घरेलू उत्पाद के बीच एक उचित और सेब-से-सेब की तुलना सुनिश्चित करता है, जिससे डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण में मूल्य अंतर का उचित प्रतिबिंब सक्षम होता है। बीआईएस मानक उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जो व्यापार उपचारात्मक जांच के उद्देश्यों से अलग हैं।
25. अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान जाँच में निर्धारित एवं 18 जनवरी, 2024 को अधिसूचित पीसीएन पद्धति उपयुक्त है।
- ख. क्या इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा उत्पादित बायोविन का बहिष्करण बेंचमार्क मूल्य के अधीन हो सकता है?
26. प्रारंभिक जांच में यह माना गया था कि इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा विनिमत ब्रांड बायोविन विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर है और ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क वसूलना अपेक्षित नहीं है।
27. घरेलू उद्योग ने मूल्य बेंचमार्क के बिना इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा निर्मित ब्रांड "बायोविन" के बहिष्कार पर विवाद किया। घरेलू उद्योग ने नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच पर भरोसा किया है।
28. इनोविन ने सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच पर निर्भरता रखी है जिसमें लाइक्रा ब्रांड को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था क्योंकि यह प्रक्रिया नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत विनिमत विशिष्ट और उत्तम गुणवत्ता वाला उत्पाद है और इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की तुलना में इसकी कीमत अधिक थी।
29. प्राधिकरण ने इनोविन और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है। किसी भी पक्ष ने विवाद नहीं किया है कि बायोविन एक उच्च मूल्य ग्रेड है। रिकॉर्ड पर

दी गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि बायोविन की कीमत घरेलू उद्योग की कीमत और अन्य ग्रेड के आयात मूल्य से कम से कम [***] गुना अधिक है।

30. यह आगे ध्यान दिया जाता है कि बायोविन 100% नवीकरणीय कार्बन फीडस्टॉक से बना एक कम कार्बन उत्पाद है और इसकी उत्पादन प्रक्रिया विशिष्ट है। बेशक, पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा बायोविन का कोई उत्पादन नहीं हुआ है। इसके अलावा, आयात आंकड़ों के अनुसार यह नोट किया गया है कि पीओआई में बायोविन का कोई आयात नहीं किया गया है।
 31. इनोविन ने आगे प्रस्तुत किया है कि इनोविन द्वारा बायोविन का उत्पादन "आरएसबी ग्लोबल" (सस्टेनेबल बायोमैटेरियल्स पर गोलमेज) प्रमाणन प्रणाली के अनुसार, तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित है।
 32. उपर्युक्त उल्लिखित भिन्नताओं के आधार पर, प्राधिकारी का यह मत है कि बायोविन एंटी-डंपिंग नियमों के संदर्भ में समान उत्पाद (लाइक प्रोडक्ट) नहीं है।
 33. अतः प्राधिकारी इंगित करता है कि नवीकरणीय/जैव फीडस्टॉक से निर्मित तथा टिकाऊपन के मान्य प्रमाण के साथ प्रस्तुत ब्रांड बायोविन™ को जाँच के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ग. क्या आवेदक पीवीसी पेस्ट रेजिन की विस्तृत श्रृंखला का एक छोटा सबसेट तैयार करता है?
34. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक 75 से अधिक K मूल्य के पीवीसी पेस्ट का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं कर रहा है और उपयोगकर्ता ज्यादातर 75 से अधिक K-मान के साथ विचाराधीन उत्पाद का आयात करते हैं।
 35. इस संबंध में प्राधिकारी ध्यान देता है कि पीवीसी पेस्ट रेजिन की कुल माँग में 75 K से अधिक वाले उत्पादों के आयात का हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं है और यह [***%] है। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक ने घरेलू बाजार में 75 से अधिक के-मूल्य के उत्पाद की आपूर्ति की है। अतः उपयोगकर्ता उद्योग का यह तर्क कि वे आवेदक के उत्पादन की कमी के कारण आयात करने के लिए बाध्य हैं, तथ्यसंगत नहीं सिद्ध होता।

घ. क्या आवेदक के उत्पाद में चिपचिपापन, एंटी-जेलेशन और एंटी-फॉगिंग गुण की आवश्यकता है और क्या इन गुणों वाले उत्पाद को उच्च कीमतों पर आयात किया जाता है?

36. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में एंटी-जेलेशन, एंटी-फॉगिंग और अन्य गुण नहीं हैं। कोरिया गणराज्य, ताइवान, चीन जनगण, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित उसी उत्पाद के आयात के संबंध में समीक्षा जांच में इस मुद्दे की जांच की गई थी जिसमें प्राधिकरण ने निम्नानुसार निर्णय दिया था -

31. इस विवाद के संबंध में कि पीवीसी पेस्ट राल का फॉगिंग और के-वैल्यू राल की गुणवत्ता का संकेतक है, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने इस दावे पर विवाद किया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि के-वैल्यू अनिवार्य रूप से उत्पाद की आणविक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है और उत्पाद की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। एलसीपीएमए के सदस्यों द्वारा दायर ई-मेल के अवलोकन और मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा उन पर प्रतिक्रिया से घरेलू उद्योग द्वारा कम कोहरे वाले पीवीसी पेस्ट राल के उत्पादन और बिक्री से कोई इंकार नहीं किया गया है। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अतीत में किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा कम कोहरे पीवीसी पेस्ट राल की आपूर्ति के लिए किसी भी वाणिज्यिक मात्रा का कोई आदेश उनके पास नहीं रखा गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उनके पास कम कोहरे पीवीसी पेस्ट राल का निर्माण करने की क्षमता है, क्या उनके साथ वाणिज्यिक महत्व का कोई आदेश दिया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए हैं जो दिखाते हैं कि कंपनी को अपने प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के पेस्ट राल का उत्पादन करने के लिए प्रासंगिक तकनीक प्रदान की गई थी और इसका प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता निर्विवाद रूप से कम फॉगिंग राल का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एलसीपीएमए के सदस्य विशिष्ट अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए चमड़े के कपड़े का निर्माण करते समय एंटी-फॉगिंग एजेंटों/एडिटिव्स का उपयोग कर रहे हैं।

34. एलसीपीएमए के लगातार विवाद के संबंध में कि नामित प्राधिकारी एक स्वतंत्र प्राधिकारी से परीक्षण रिपोर्ट का आदेश दे सकता है, मामले की जांच की गई और घरेलू उद्योग और एलसीपीएमए सहित विभिन्न इच्छुक पार्टियों के विवाद को ध्यान में रखते हुए, आईआईटी दिल्ली द्वारा उनके नमूनों की जांच करने का निर्णय लिया गया, विशेष रूप से इस तथ्य के बारे में कि क्या घरेलू उद्योग K मूल्य से संबंधित उत्पादों को 78 से अधिक बनाता है और यह भी कि यदि उनके उत्पादों में कम फॉगिंग विशेषताएं होती हैं। यह उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों को नमूने भेजने के लिए कहा गया था और नमूना परिणामों के आधार पर, जिसे दोनों पक्षों को विधिवत अवगत कराया गया था, नमूना रिपोर्टें (उपरोक्त संस्था द्वारा दिए गए निष्कर्षों सहित) की जांच के बाद यह नोट किया गया था कि विषय वस्तुओं के घरेलू उद्योग के नमूनों में पीवीसी पेस्ट राल शामिल था जिसमें उच्च K मूल्य (78 से अधिक) था, जबकि एलसीपीएमए के किसी भी नमूने में K मान 78 से अधिक नहीं था, और सभी नमूनों (दोनों पक्षों से) में कम फॉगिंग विशेषताएं थीं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि एलसीपीएमए का यह तर्क कि घरेलू उद्योग पीवीसी पेस्ट रेजिन के उन ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है जिनका मूल्य 78 से अधिक है और कम फॉगिंग विशेषताएं हैं, सही नहीं है। इसके विपरीत, आईआईटी, दिल्ली द्वारा प्रदान किए गए परीक्षण के परिणामों ने पुष्टि की है कि घरेलू उद्योग ने पीवीसी पेस्ट राल के उन ग्रेड का उत्पादन किया है जिनमें कम फॉगिंग विशेषताएं हैं और K मूल्य 78 से ऊपर है।
37. आईआईटी दिल्ली द्वारा यह पाया गया कि आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में आवश्यक एंटी-फॉगिंग गुण हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि एक ही K मान के विचाराधीन उत्पाद विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकाइज़र का उपयोग करके और/या मिश्रण करते समय अलग-अलग अपरूपण लगाकर विभिन्न प्लास्टिसोल में अलग-अलग श्यानता प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टिसोल बनाने की यह प्रक्रिया पेस्ट राल उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, न कि पेस्ट राल उत्पादकों द्वारा।
38. इसी तर्ज पर इनोविन ने जांच के दायरे से पीवीसी -1510 और पीवीसी -16 को बाहर करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है। यह देखा गया है कि पीवीसी -1510 के केवल दो लेनदेन हैं जिन्हें एक आयातक द्वारा आयात

किया गया है। पीवीसी -1510 का आयात मूल्य काफी कम है। इसी प्रकार यह देखा गया है कि पीवीसी -16 का केवल एक लेनदेन है और आयात बहुत कम है।

39. प्राधिकरण ने जांच की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के मूल्य रुझान को देखने के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की भी जांच की है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रेडों की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। यदि अन्य इच्छुक पक्षों के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो आयात मूल्य विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतर दिखाएगा। अतः उपयोगकर्ताओं का तर्क स्वीकार्य नहीं ठहरता।
40. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, प्राधिकारी जाँचाधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

"वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन' है, जिसे इमल्शन पीवीसी रेजिन के रूप में भी जाना जाता है।

पीवीसी पेस्ट राल विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सिन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

क) 60K से कम K मान के साथ विचाराधीन उत्पादन

ख) पीवीसी सम्मिश्रण राल

ग) पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर

घ) बैटरी विभाजक रेजिन

ड.) बायोविन टीएम नवीकरणीय/जैव फीडस्टॉक से उत्पादित और स्थिरता के स्वीकार्य प्रमाण के साथ

41. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की वस्तु के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में विषय देशों से आयातित वस्तुओं के बराबर हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर उपयोग किया है और कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद, नियम 2(ड) के अर्थ में, जाँचाधीन देशों से भारत में आयातित जाँचाधीन माल के समान उत्पाद है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

42. विरोधी इच्छुक दलों ने घरेलू उद्योग और घरेलू उद्योग की स्थिति के मुद्दे पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं।

अ. ट्रेड नोटिस 13/2018 और 14/2018 के अनुसार, जांच का समर्थन करने वाले किसी भी निर्माता को निर्धारित प्रारूपों में पूर्ण प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्तमान जांच में कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की है, इसलिए इसे 'समर्थक' नहीं माना जा सकता है।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

43. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद खड़े होने के बारे में प्रस्तुतियाँ दी हैं:

अ. प्राधिकरण ने 16 जून 2021 को व्यापार नोटिस 04/2021 के माध्यम से समर्थकों को क्षमता, उत्पादन और बिक्री के बारे में जानकारी देने के बाद समर्थन व्यक्त करने की अनुमति दी।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

44. प्रारंभिक निष्कर्ष में, प्राधिकरण ने निम्नानुसार नोट किया था:

19. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक, मैसर्स चेम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड, समर्थक, मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है।
20. यह भी देखा गया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह विषय देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं है और भारत में संबंधित वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
21. इसलिए, प्राधिकरण प्रारंभिक रूप से निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक, मैसर्स चेम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड, नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और मानता है कि आवेदन नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।
45. प्राधिकरण नोट करता है कि व्यापार नोटिस13/2018, 14/2018 और 4/2021 के साथ नियमों को पढ़ने पर, एक निर्माता एक पात्र समर्थक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए सीमित जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि व्यापार नोटिस4/2021 में प्रदान किया गया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है।
46. केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग के बिना भी, भारत के उत्पादन में प्रमुख अनुपात रखता है। अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक नियम 5 के अंतर्गत पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा नियम 2(ब) के अर्थ में "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में आता है।

ड. गोपनीयता और विविध मुद्दे

ड.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ।

47. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने गोपनीयता पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

क. कुछ जानकारी जो आवेदन में अनुक्रमित रूप में प्रकट की गई है, जैसे कि आवेदक की बिक्री की लागत और शुद्ध बिक्री की प्राप्ति लेकिन प्रारंभिक खोज में पूरी तरह से संपादित की गई है।

- ख. आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण उसमें लगाए गए आरोपों की 'उचित समझ' नहीं देता है, जैसा कि एडीडी नियमों के नियम 7 द्वारा आवश्यक है। विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया था कि आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण में धारा VI में कोई जानकारी नहीं है।
- ग. प्रारंभिक निष्कर्षों और मूल याचिका में डेटा के बीच विसंगतियां हैं, जो जांच की सटीकता पर चिंता पैदा करती हैं। किसी भी अपडेट किए गए डेटा को एडी नियमों के नियम 7 के अनुसार गैर-गोपनीय संस्करण में साझा किया जाना चाहिए, जिससे इच्छुक पक्ष टिप्पणी कर सकें।
- घ. आवेदन में कार्यप्रणाली या डेटा-स्तर के परिवर्तनों के बावजूद प्राधिकरण द्वारा भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन की गोपनीय गणना का खुलासा नहीं किया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

48. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं।

- अ. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य जैसी सूचना का प्रकटीकरण नियम 16 के अंतर्गत किया जाता है जबकि प्रारंभिक निष्कर्ष नियम 12 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। नियम 12 के तहत सूचना के प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

ड.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

49. डंपिंग मार्जिन का खुलासा न करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण एडी नियम, 1995 के नियम 16 के अनुसार विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा करने के लिए बाध्य है। तदनुसार, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित गोपनीय गणना संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को प्रकट की जा रही है।
50. सूचना के प्रकटन और आवेदन में अत्यधिक गोपनीयता के आरोपों के संबंध में, घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना को गोपनीय मानना प्राधिकरण की स्थापित प्रथा है। व्यापार सूचना 10/2018 में घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

51. जहां तक आंकड़ों में विसंगतियों का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में 'डीजीसीआई एंड एस प्रकाशित डेटा' पर भरोसा किया था। तथापि, प्राधिकरण ने डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन वार आंकड़ों के अनुसार आयातों पर विचार किया है। अतः भारत में आयातों की मात्रा और मांग में परिवर्तन हुआ है और तदनुसार प्रारंभिक निष्कर्षों में इसे दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, यह नोट किया जाता है कि जबकि आवेदक ने अपने आवेदन में सकल बिक्री मूल्यों के आधार पर बिक्री मूल्य रुझानों की सूचना दी थी, प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ-साथ वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में इसे निवल बिक्री प्राप्तियों (एनएसआर) के आधार पर दर्ज किया गया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन

च.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

52. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. एफपीसी निंगबो ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
- ख. एफपीसी निंगबो के पास विदेशी मुद्रा के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ग. एफपीसी निंगबो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से स्वयं भाप का उत्पादन करता है।
- घ. पानी और बिजली और कुछ भाप, संबद्ध समूह की कंपनी से हाथ की लंबाई की कीमतों, यानी बाजार मूल्यों पर खरीदे जाते हैं।
- ङ. एफपीसी निंगबो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर अन्य देशों से प्रमुख कच्चे माल, वीसीएम (विनाइल क्लोराइड मोनोमर) का अधिग्रहण करता है।
- च. एफपीसी निंगबो 100% विदेशी निवेश के साथ एक सीमित देयता कंपनी है।
- छ. डब्ल्यूटीओ के लिए चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल में प्रदान की गई 15 साल की अवधि समाप्त हो गई है और इसलिए चीनी फर्म अब बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की हकदार हैं।
- ज. ताइवान को ताइवान की फॉर्मोसा प्लास्टिक कंपनी के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त सरोगेट देश माना जा सकता है जिसने वर्तमान जांच में भाग लिया है।

- झ. एडीडी नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 में एक पदानुक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में है।
- ञ. हनवा द्वारा रिपोर्ट की गई घरेलू बिक्री मूल्य हनवा के वास्तविक चालान, इसकी लेखा प्रणाली द्वारा समर्थित है और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ मेल खाती है।
- ट. आवेदक ने हनवा के सामान्य मूल्य को अस्वीकार करने के लिए अपने प्रस्तुत करने के समर्थन में रबर केमिकल के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच का उल्लेख किया है। हनवा के अनुसार संदर्भ त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उस जांच में, कुम्हो चीन से कच्चा माल "6 पीपीडी" खरीद रहा था जो एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है और इसलिए, सामान्य मूल्य को अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, वर्तमान जांच में, हनवा ने चीन पीआर से कच्चा माल नहीं खरीदा है।

च.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

53. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:
- क. भले ही अनुच्छेद 15 (ए) (ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हों, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को चीन पीआर में घरेलू कीमतों या लागतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, अगर जांच के तहत उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति उद्योग में प्रबल है अनुच्छेद 15 (ए) (आई) के अनुसार उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में इस तरह के उत्पाद का उत्पादन करना, जो वर्तमान मामले में चीनी उत्पादकों ने नहीं दिखाया है।
- ख. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में वास्तविक बिक्री मूल्य या लागत का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- ग. यहां तक कि जब नॉर्वे के निर्माता ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, तब भी उसने प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने से परहेज किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्माता को पता था कि निर्माता द्वारा सहारा लिया गया वास्तविक डंपिंग आवेदक के दावों से अधिक था।
- घ. वर्तमान जांच में डंपिंग एक स्वीकृत तथ्य है, और यह निर्विवाद है कि उत्पाद को भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है। प्रत्येक निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य

- और निवल निर्यात मूल्य उस निर्यातक द्वारा दायर प्रत्युत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- ड. हनवा का प्राधिकरण से तथ्यों को दबाने का इतिहास रहा है क्योंकि प्राधिकरण ने सीपीवीसी के आयात से संबंधित मूल और सूर्यास्त समीक्षा जांच में बड़ी संख्या में चिंताएं पाई हैं।
- च. यदि हनवा का डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि हनवा ने एक सामान्य मूल्य का दावा किया है जो निर्यात मूल्य से समान सीमा या उससे कम है। विचाराधीन उत्पाद को कोरियाई बाजार में हनवा द्वारा रिपोर्ट की गई कीमत से कम से कम 40% अधिक कीमत पर आयात किया गया है और इसलिए कोरियाई बाजार में कीमत हनवा द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य से अधिक है।
- छ. हनवा की क्षमता लगभग 90,000 मीट्रिक टन है और घरेलू बिक्री क्षमता का लगभग 30% है। हनवा कोरियाई बाजार में जितना संभव हो उतना मात्रा में बेचने के लिए तैयार होगा।
- ज. कोई भी उपभोक्ता कोरियाई बाजार में इतनी महत्वपूर्ण मात्रा में सामग्री का आयात नहीं करेगा यदि हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन स्वयं महत्वपूर्ण क्षमता रखता है और महत्वपूर्ण मात्रा में बिक्री कर रहा है।
- झ. सामान्य मूल्य को निर्यात करने वाले देश के बाजार में इस तरह की वस्तु के व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में तुलनीय मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब उपभोग के लिए होता है जहां प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है।
- ञ. 'सामान्य मूल्य' एक तुलनीय कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, "तुलनीय मूल्य" उत्पाद के निर्माता की परवाह किए बिना, समान परिस्थितियों में बेचे जाने वाले समान लेखों की कीमत को संदर्भित करता है।
- ट. मैनुअल में यह भी प्रावधान है कि 'नुकसान पर बिक्री' यह तय करने का एकमात्र कारक नहीं है कि बिक्री व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में है या नहीं।
- ठ. ऐसे मामलों में जहां उत्पाद का विक्रय मूल्य कृत्रिम रूप से कम है या असामान्य (विपथन) स्तर पर है, उत्पादक के बिक्री मूल्य को व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं माना जा सकता है।

- ड. अमेरिका में अपीलीय निकाय - हॉट-रोल्ड स्टील ने माना कि किसी भी सामान्य स्वामित्व के अभाव में भी बिक्री लेनदेन व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं हो सकता है।
- ढ. अमरीका में अपीलीय निकाय हॉट रोल्ड स्टील ने यह भी राय दी कि चाहे बिक्री मूल्य साधारण मूल्य से अधिक हो या कम, और चाहे लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में न हो, जांच प्राधिकारियों को सामान्य मूल्य की गणना से उन सभी बिक्रियों को बाहर रखना चाहिए जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं की जाती हैं।
- ण. प्राधिकरण के पास किसी भी उपलब्ध सामग्री पर भरोसा करने का विवेक है जो प्रश्न में लेखों के तुलनीय मूल्य को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि यह इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है।
- त. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पदनामित प्राधिकारी बनाम हल्दोर टोपसो ए के मामले में निर्णय दिया कि संविधि ने जांच प्राधिकारी पर कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके विपरीत, उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तुलनीय मूल्य के संदर्भ में करना होगा, संदर्भ में तुलनीय मूल्य शब्द केवल निर्माता पर ध्यान दिए बिना समान परिस्थितियों में बेची गई समान वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में हो सकता है।
- थ. प्राधिकरण ने चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों नामत एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन और कोरिया क्षेत्रीय पासपोर्ट से पीएक्स 13 (6पीपीडी) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में पाया था कि कोरिया आरपी के उत्पादक का घरेलू मूल्य कोरिया आरपी में आयात मूल्य से वास्तविक रूप से कम था। प्राधिकरण ने तब भारत औसत आधार के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया था।
- द. हनवा द्वारा रिपोर्ट किए गए कच्चे माल के मूल्य की जांच यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि क्या निर्माता द्वारा रिपोर्ट किए गए एथिलीन और वीसीएम का मूल्य उचित और उचित रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाता है।
- ध. कोरिया आरपी में एथिलीन का निर्यात और आयात मूल्य क्रमशः अमरीकी डालर / एमटी 963 और अमरीकी डालर / एमटी 1,049 हैं। कोरिया आरपी में ईडीसी का निर्यात और आयात मूल्य क्रमशः अमरीकी डालर/एमटी 775 और अमरीकी डालर/एमटी 899 हैं।

- न. यदि प्राधिकरण को पता चलता है कि हनवा द्वारा दावा की गई लागत और कोरियाई बाजार में प्रचलित कच्चे माल की कीमत में अंतर है, तो निर्माता को यह प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि इसकी लागत काफी कम कैसे है।
- प. हनवा ने दावा किया है कि लेखांकन प्रणाली को विनिर्माण सुविधाओं में किए गए सभी लागतों को इकट्ठा करने और विनिर्माण की लागत के हिस्से के रूप में लागतों को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राथमिक कच्चे माल की लागत पहले से ही उचित बाजार मूल्य को भी प्रतिबिंबित करती है।
- फ. हनवा सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन और फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉरपोरेशन ने घरेलू बाजार बिक्री मूल्य में भी समायोजन के रूप में पैकिंग लागत का दावा किया है। उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि उनके उत्पादों को घरेलू बाजार और निर्यात बाजार में कैसे पैक किया जाता है। जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि घरेलू बाजार के लिए अतिरिक्त पैकिंग की जा रही है, घरेलू बिक्री मूल्य में समायोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ब. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) ने मूल देश के निर्यात मूल्य और बैंक प्रभारों में समायोजन का दावा किया है। हालांकि, शेनयांग या उसके निर्यातकों ने इस तरह के किसी समायोजन का दावा नहीं किया है। यदि शेनयांग ने देश-के-मूल प्रमाण पत्र और बैंक शुल्क के लिए शुल्कों के समायोजन की सूचना नहीं दी है, तो यह निर्माता द्वारा तथ्यों का स्पष्ट दमन है जिसके लिए पूरी प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।
- भ. टीपीसी पेस्ट राल कं, लिमिटेड ने निर्यात मूल्य की गणना में समायोजन के रूप में कर वापसी का दावा किया है। कर वापसी का विवरण पूरी तरह से गोपनीय दावा किया गया है जिसने आवेदक को सार्थक प्रस्तुतियाँ देने से रोक दिया है। निर्यातक ने निर्यात मूल्य पर ऋणात्मक मूल्य समायोजन का दावा किया है। तथापि, कर प्रतिदायों के मद में मूल्य समायोजन के लिए दावा करने का कोई आधार नहीं है।
- म. एफपीसी ने दावा किया है कि पानी, बिजली और भाप बाजार भाव पर खरीदी गई है। भाप और बिजली विचाराधीन उत्पाद की कुल लागत का 20% से अधिक है। चीन पीआर में बाजार की कीमतें स्वयं गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों से प्रभावित होती हैं। यह अपने आप में यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि निर्माता की लागत प्रभावित होती है।

य. एफपीसी ने दावा किया है कि दावा किया गया है कि कच्चे माल का आयात अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया गया है। तथापि, यह नहीं दर्शाया गया है कि बाजार रहित अर्थव्यवस्था स्थितियों से वीसीएम का आयात मूल्य किस प्रकार प्रभावित नहीं होता है।

कक. एफपीसी उत्पादक ने यह भी नहीं दिखाया है कि इसकी जमीन और भवन की कीमतें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों से कैसे प्रभावित नहीं होती हैं। यह भी नहीं दिखाया गया है कि संयंत्र पूरी तरह से इकाई द्वारा स्थापित किया गया था या चीनी इकाई से खरीदा गया था।

च.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

54. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, एक लेख के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

i) तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, समान वस्तु के लिए, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा:

(क) उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अवधारित निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर ऐसी वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; नहीं तो

मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(ख) परन्तु उस मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहाँ वस्तु केवल निर्यात के देश से होकर अंतरित की गई है या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं की गई है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

55. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं: -

- क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं., लिमिटेड, चीन पीआर
- ख. गैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- ग. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
- घ. लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड, चीन पीआर
- ङ. मैसर्स हनवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी
- च. कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- छ. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन, ताइवान
- ज. थाई पॉलीथीन कं, लिमिटेड, थाईलैंड
- झ. टीपीसी पेस्ट रेजिन कं., लिमिटेड, थाईलैंड

च.3.1 विषय देशों से भाग लेने वाले उत्पादकों की बिक्री पैटर्न

56. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन जनगण पहले विचाराधीन उत्पाद का शुद्ध आयातक था। कोविड के प्रकोप से पीवीसी आधारित दस्ताने की मांग में वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप चीन में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार हुआ था। हालांकि, दस्ताने की मांग कम होने से चीन में पीवीसी पेस्ट राल की घरेलू मांग में काफी गिरावट आई है।
57. यह भी दावा किया गया है कि चीन (शून्य कोविड नीति) और अन्य यूरोपीय देशों (मुद्रास्फीति के मुद्दों के कारण) में कपड़ा/परिधान की मांग में गिरावट के कारण मांग आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ गई है।
58. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच करने के लिए प्राधिकरण ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर की जांच की है। नीचे दी गई तालिका सभी भाग लेने वाले उत्पादकों की घरेलू बिक्री को उनके द्वारा दायर प्रतिक्रिया के आधार पर दर्शाती है।

क्र.सं.	विशेष	यूओएम	2019	2020	2021	पीओआई
1	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं., लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	105	113	113
2	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	79	77	72
3	मेसर्स हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	112	97	91
4	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	365	86	96
5	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	86	62	55
6	टीपीसी पेस्ट रेजिन लिमिटेड	एमटी	***	***	***	***
		सामान्य प्रवृत्ति	100	102	94	94

59. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान सभी उत्पादकों की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में गिरावट घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है।

च.3.2 चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।

च.3.2.क चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं., लिमिटेड, चीन पीआर

60. फॉर्मोसा इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर ने एक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है और मेट उपचार का दावा किया है।

61. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: "गैट 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 ("एंटी-डंपिंग एग्रीमेंट") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता और एससीएम

समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयात से जुड़ी कार्यवाही में लागू होगा:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित न हो

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने में जांच के तहत उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयात करने वाला डब्ल्यूओ सदस्य ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित न हो यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है।

(बी) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14 (ए), 14 (बी), 14 (सी) और 14 (डी) में वर्णित सब्सिडी को संबोधित करते समय, एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य एंटी-डंपिंग प्रथाओं पर समिति को उप-अनुच्छेद (ए) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित

करेगा और सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समिति को उप-अनुच्छेद (बी) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार चीन ने डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित कर दिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उपअनुच्छेद (ए) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी घटना में, उप-अनुच्छेद (ए) (ii) का प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, चीन को डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार, यह स्थापित करना चाहिए कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, उप-अनुच्छेद (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

62. यह ध्यान दिया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (i) के तहत दायित्व के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए नियमों के अनुलग्नक 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है।

63. प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में, प्राधिकरण ने उत्पादक द्वारा दावा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था उपचार को स्वीकार नहीं किया। फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड, चीन पीआर (जिसे फॉर्मोसा निंगबो भी कहा जाता है) ने दावा किया है कि उसने प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रश्नावली प्रतिक्रिया और पूरक प्रतिक्रिया के रूप में एमईटी प्रतिक्रिया के रूप में सभी जानकारी प्रदान की है। फॉर्मोसा निंगबो ने दावा किया कि एमईटी को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से दिया जाना चाहिए:

- क. फॉर्मोसा निंगबो के पास विदेशी मुद्रा के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है
- ख. फॉर्मोसा निंगबो मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए भाप का उत्पादन करता है।

- ग. पानी और बिजली और कुछ भाप, संबद्ध समूह की कंपनी से हाथ की लंबाई की कीमतों, यानी बाजार मूल्यों पर खरीदे जाते हैं।
- घ. फॉर्मोसा निंगबो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर अन्य देशों से प्रमुख कच्चे माल, वीसीएम (विनाइल क्लोराइड मोनोमर) का अधिग्रहण करता है।
- ड. फॉर्मोसा निंगबो 100% विदेशी निवेश के साथ एक सीमित देयता कंपनी है
64. प्राधिकरण नोट करता है कि बाजार अर्थव्यवस्था उपचार केवल निर्माता द्वारा दावा किए गए कारकों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान करने के लिए, यह भी देखा जाना आवश्यक है कि क्या इकाई ने बाजार मूल्य पर और सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भूमि, वित्तपोषण, पूंजीगत सामान, कच्चे माल और उपयोगिताओं की खरीद की है।
65. प्राधिकरण नोट करता है कि चीन का संविधान गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के साथ जुड़ाव की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, राज्य को एक हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका सौंपी गई है जो गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारों और हितों की रक्षा से परे है और राज्य उनके विकास को 'प्रोत्साहित, समर्थन और मार्गदर्शन' करेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 में सीधे कहा गया है कि देश समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का अभ्यास करता है और यह स्पष्ट करता है कि यह विभिन्न प्रकार के विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है जैसे कि अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहन और प्रतिबंधित करना। इसलिए, केवल इसलिए कि एक इकाई चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीन में स्थित किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
66. प्राधिकरण नोट करता है कि फॉर्मोसा निंगबो ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दावा किया है कि यह असंबंधित संस्थाओं से बिजली, भाप और पानी खरीदता है। यह देखा गया है कि भाप, बिजली और पानी चीनी निर्माता के विचाराधीन उत्पाद की कुल लागत का [***%] के आसपास है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि इन आदानों के मूल्य किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं।

67. फॉर्मोसा निंगबो द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत की तुलना अन्य चीनी निर्माता - शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत से की गई है। फॉर्मोसा निंगबो द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई बिक्री की लागत से कम है, जिसने कोई एमईटी दावा दायर नहीं किया है।
68. प्राधिकरण का मानना है कि फॉर्मोसा निंगबो ने निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं किया है कि उपयोगिताओं से संबंधित इनपुट की कीमतें बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि निर्यातक ने यह स्थापित करने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है कि भूमि, संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण में कंपनी द्वारा किया गया निवेश इस संबंध में संभावित राज्य हस्तक्षेप के कारण विकृत नहीं हुआ था। प्राधिकरण का मानना है कि इन पैरामीटरों का उत्पादन की अंतिम लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
69. यह भी देखा गया है कि कंपनी ने चीन के भीतर से ही कुछ ऋण लिया है। निर्यातक ने यह प्रदशत करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि इस मद में वहन की गई लागत बाजार दरों को परिलक्षित करती है।
70. अतः यह स्पष्ट होता है कि निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी यह सुनिश्चित रूप से स्थापित नहीं करती कि कंपनी द्वारा मूल्य, लागत और इनपुट (जिसमें उत्पाद लागत, बिक्री और निवेश शामिल हैं) संबंधी निर्णय, आपूर्ति और माँग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में लिए जाते हैं और इस संबंध में किसी उल्लेखनीय सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं।
71. अतएव, प्राधिकारी ने एफपीसी को बाजार-अर्थव्यवस्था का दर्जा न देने का निर्णय लिया है।

ख. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर

72. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर ने एक पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है। निर्माता ने सीधे और साथ ही निर्यातक लिंकलैंड एंटरप्राइज शंघाई कं, लिमिटेड

के माध्यम से निर्यात किया है। उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है और इसलिए, इसकी लागत और बिक्री मूल्य प्रासंगिक नहीं हैं।

73. चीन के निम्नलिखित निर्माताओं ने जांच में इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकरण किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है। इसलिए, इन उत्पादकों को असहयोगी माना गया है।

क. सीएनएसआईजी जिलांटाई क्लोर-ऐल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड

ख. चाइना सॉल्ट केमिकल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

ग. सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

घ. सीएनएसजी जिलांटाई पॉलिमर मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

ड. तियानवेई केमिकल कं, लिमिटेड

च. ऑर्डोस जुंजेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

74. नियमों के पैरा 7 के अनुलग्नक-1 के तहत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत, भारत सहित या जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई कीमत या भारत में देय उत्पाद के लिए शामिल है, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा, [संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए], और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। खातों समय सीमा के भीतर लिया जाएगा, जहां उचित हो, किसी भी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के संबंध में किसी भी तरह के मामले में किए गए जांच की। जांच के पक्षकारों को बिना किसी अनुचित देरी के बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के उपरोक्त चयन के बारे में सूचित किया

जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियों की पेशकश करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।

75. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनगण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए और उत्पादन की अपनी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया जाना चाहिए।
76. फॉर्मोसा निंगबो ने दावा किया है कि ताइवान से इसके संबंधित निर्माता - फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि फॉर्मोसा निंगबो ने ताइवान को एक सरोगेट बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में विचार करने का सुझाव दिया है, इसने कोई जानकारी नहीं दी है कि ताइवान एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था देश कैसे है, खासकर जब ताइवान भी जांच के अधीन है। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन केवल देश के विकास के स्तर और उत्पाद को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। चूंकि किसी भी इच्छुक पार्टी ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी है, और आगे चूंकि ताइवान जांच के अधीन है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

च.3.2ख चीन पीआर के लिए निर्यात मूल्य

क. फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं., लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

77. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** मी टन मूल्य *** अमरीकी डालर बताया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है।
78. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य में विभिन्न समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। आवश्यक समझौते जाने वाली सीमा तक अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना मांगी गई थी। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य

के लिए भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

79. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मूल्य *** अमरीकी डालर होने की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और साथ ही एक अन्य असंबंधित निर्यातक के माध्यम से भी निर्यात किया है। असंबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का जवाब दायर किया है।

80. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य में विभिन्न समायोजन किए हैं। प्राधिकरण ने चीनी निर्माता द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझौते जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ग. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

81. चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.3. कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

82. हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी ने कोरिया से प्रश्नावली का जवाब दायर किया है। यह बताया गया है कि कोरिया आरपी में कोई अन्य निर्माता नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है।

83. प्राधिकरण हनवा द्वारा सामान्य मूल्य के दावों की अस्वीकृति के संबंध में आवेदक की प्रस्तुतियों को नोट करता है।
84. इस संबंध में प्राधिकरण निम्नानुसार नोट करता है:

धारा 9 ए (6 ए) निम्नानुसार है:

"उप-धारा (6) के तहत जांच के तहत एक निर्यातक या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तु के संबंध में डंपिंग का मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य से संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और ऐसे निर्यातक या उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

(महत्व दिया)

बशर्ते कि जहां कोई निर्यातक या उत्पादक ऐसे रिकॉर्ड या जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, ऐसे निर्यातक या उत्पादक के लिए डंपिंग का मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

85. उपर्युक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण को उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर डंपिंग मार्जिन का निर्धारण करना होगा जब तक कि ऐसा उत्पादक/निर्यातक प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफल न हो जाए।
86. वर्तमान मामले के तथ्यों में, मैसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन ने जांच में भाग लिया है, अपने निर्यातकों प्रश्नावली का जवाब दायर किया है, सत्यापन में प्राधिकरण के साथ पूरा सहयोग किया है और सामान्य मूल्य के दावों को स्थापित करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति की है।
87. ऐसे परिदृश्य में, जहां एक उत्पादक/निर्यातक ने अपना रिकॉर्ड रखा है और उसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के साथ दायर की गई जानकारी की पुष्टि की है, प्राधिकरण के पास ऐसे उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की सत्यता पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है।

88. यह आगे ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने हलदर टॉपसो बनाम डीए पर निर्भरता रखी है। तथापि, उपर्युक्त मामले में प्राथमिक मुद्दा, जिसके कारण संबंधित निर्यातक/उत्पादक द्वारा सूचित मूल्यों को स्वीकार नहीं किया गया था, इस कारण से था कि संबंधित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना तीसरे देश को नहीं दी जैसाकि प्राधिकरण द्वारा अपना दावा स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया था और प्राधिकरण ने पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के तहत कार्रवाई की।
89. वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो हलदर टॉपसो में स्थापित सिद्धांत के आवेदन को वारंट करेगी। नतीजतन, उस मामले में स्थापित मिसाल को लागू करना न तो उचित होगा और न ही इस संदर्भ में योग्यता रखेगा।
90. यह उल्लेख करना उचित है कि एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक -1 में भी निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं:
- "नामित प्राधिकारी डंपिंग के सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और मार्जिन का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा -*
- 1. सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में निर्दिष्ट लागतों के तत्व आम तौर पर जांच के तहत निर्यातक या निर्माता द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हों, और ऐसे रिकॉर्ड यथोचित रूप से विचाराधीन लेख के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाते हैं "*
91. उपरोक्त प्रावधान इस बात पर भी जोर देता है कि प्राधिकरण केवल सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर की गई जानकारी को केवल उस स्थिति में अस्वीकार कर सकता है जहां या तो उत्पादक/निर्यातक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड जीएएपी के अनुसार नहीं हैं या ऐसे रिकॉर्ड पीयूसी के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

92. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्राधिकरण उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित ऐसे कारणों का पता नहीं लगा सका।
93. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए अभिलेखों को स्वीकार करते हुए नीचे उल्लिखित अनुसार डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया है।

च.3.3क कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

क. प्रतिसाद देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - हान्वा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी

94. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** केआरडब्ल्यू मूल्य की *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों के लिए हैं।
95. प्राधिकरण नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकरण पीसीएन-वार आधार पर संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अजत करने वाले घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाता है और ऐसे मामलों में, जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है।
96. निर्माता ने सामान्य मूल्य के लिए विभिन्न समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने मौके पर ही हनवा द्वारा दी गई जानकारी का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझौते जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है।
97. वर्तमान मामले में उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए, ***% घरेलू बिक्री उच्च ग्रेड के मामले में लाभदायक है और ***% घरेलू बिक्री मध्यम ग्रेड के मामले में लाभदायक है।

अतः सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दिया गया है।

क. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

98. कोरिया आरपी से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.3ख कोरिया आरपी के लिए निर्यात मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - मैसर्स हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन

99. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मूल्य *** अमरीकी डालर होने की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है।

100. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य में विभिन्न समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने मौके पर ही हनवा द्वारा दी गई जानकारी का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझो जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

101. कोरिया आरपी से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.4 मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

102. मलेशिया से कनेका पेस्ट पॉलिमर्स एसडीएन बीएचडी ने प्राधिकरण के साथ प्रश्नावली का जवाब दायर किया है।
103. प्राधिकरण नोट करता है कि बाद में कनेका, मलेशिया ने प्राधिकरण को एक मूल्य उपक्रम दिया है। इस उपक्रम के हिस्से के रूप में, निर्माता भारत को अपने निर्यात मूल्यों को संशोधित करने और सभी उचित और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जिसे प्राधिकरण उपक्रम की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक मान सकता है।
104. नियमावली के नियम 15 (मूल्य निर्धारण के अनुसरण में जांच का निलंबन अथवा समाप्ति) के अनुसार प्राधिकरण पाटनरोधी जांच को निलम्बित अथवा समाप्त कर सकता है यदि जांचाधीन वस्तु का निर्यातक विचाराधीन उत्पाद के मूल्यों को संशोधित करने के लिए लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करता है ताकि पाटन के हानिकारक प्रभावों को समाप्त किया जा सके।
105. कनेका, मलेशिया द्वारा प्रस्तावित मूल्य उपक्रम को वचनबद्धता में निर्धारित मानदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग की टिप्पणियों और स्वीकृति के लिए साझा किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा उक्त मूल्य वचनबद्धता स्वीकार किए जाने पर, प्राधिकरण द्वारा इसकी आगे जांच की गई और मूल्य उपक्रम को नियमावली के नियम 15 के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने कनेका, मलेशिया के लिए निश्चित डंपिंग और इंजरी माजन निर्धारित नहीं किए हैं। कनेका, मलेशिया द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा, जबकि उपक्रम प्रभावी रहता है और उसका पालन किया जाता है।
106. कनेका, मलेशिया द्वारा वचनबद्धता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकरण केंद्र सरकार को उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी सिफारिशें वर्तमान जांच के दौरान उपलब्ध जानकारी या उपयुक्त स्रोतों से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई किसी अतिरिक्त जानकारी पर आधारित हो सकती हैं। उल्लंघन की स्थिति में अनुशंसित एंटी-डंपिंग कर्तव्यों को इस तरह के उल्लंघन या उपक्रम को वापस लेने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

107. इसके अलावा, प्राधिकरण, *स्व-प्रेरणा* से या निर्यातक, घरेलू उद्योग, आयातकों या किसी अन्य इच्छुक पार्टी के अनुरोध पर, समय-समय पर उपक्रम को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है। मूल्य उपक्रम की शर्तें लागू अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए किसी पाटनरोधी शुल्क की अवधि के साथ सह-टमनस रहेंगी और पाटनरोधी नियमावली के संगत प्रावधानों के अंतर्गत यथा उपबंधित समीक्षा के अध्यक्षीन होंगी।
108. यदि केन्द्र सरकार मूल्य निर्धारण को स्वीकार नहीं करती है तो प्राधिकरण केन्द्र सरकार को लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और इसके उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख के बारे में अलग से सूचित करेगा।
109. इस उपक्रम की शर्तों के अधीन, कनेका, मलेशिया पर अनंतिम कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पहले अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

च.3.4क मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

क. प्रतिसाद देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी

110. कनेका पेस्ट पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी द्वारा विस्तारित मूल्य उपक्रम की स्वीकृति और नियमों के नियम 15 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के कारण, उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

ग. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

111. मलेशिया के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.4ख मलेशिया के लिए निर्यात मूल्य

क. प्रतिसाद देने वाले निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन बीएचडी

112. कनेका पेस्ट पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी द्वारा विस्तारित मूल्य उपक्रम की स्वीकृति और नियमों के नियम 15 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के कारण, उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य।

113. मलेशिया से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.5 ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

114. फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन ने ताइवान से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.5क ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

115. उत्पादक ने जांच की अवधि में *** एनटीडी मूल्य की *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों के लिए हैं।

116. प्राधिकरण नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकरण पीसीएन-वार आधार पर संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अजत करने वाले घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाता है और ऐसे मामलों में, जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है।

117. निर्माता ने सामान्य मूल्य के लिए विभिन्न समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने फॉर्मोसा द्वारा प्रदान की गई जानकारी का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझो जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है।
118. वर्तमान मामले में उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए, ***% घरेलू बिक्री उच्च ग्रेड के मामले में लाभदायक है और ***% घरेलू बिक्री मध्यम ग्रेड के मामले में लाभदायक है। अतः सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दिया गया है।

ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य।

119. ताइवान के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.5ख ताइवान के लिए निर्यात मूल्य

क. जवाब देने वाले निर्माता फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन के लिए निर्यात मूल्य

120. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मूल्य *** अमरीकी डालर होने की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने असंबंधित निर्यातक के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया है। असंबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का जवाब दायर किया है।
121. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य में विभिन्न समायोजन किए हैं। प्राधिकरण ने फॉर्मोसा द्वारा प्रदान की गई जानकारी का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझो जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए

भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य।

122. ताईवान से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.6 थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।

123. टीपीसी पेस्ट रेजिन कं., लिमिटेड थाईलैंड से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

च.3.6क थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

क. प्रतिसाद देने वाले निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - टीपीसी पेस्ट रेजिन कं., लिमिटेड

124. निर्माता ने जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना दी है, जिसका मूल्य *** टीएचबी है। उत्पादक ने घरेलू बाजार में उत्पाद को एक संबंधित पार्टी को बेच दिया है जिसने घरेलू बाजार में माल बेचा है। संबंधित व्यापारी ने भाग लिया है और प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

125. प्राधिकरण नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकरण पीसीएन-वार आधार पर संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अजत करने वाले घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाता है और ऐसे मामलों में, जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है।

126. प्राधिकरण ने मौके पर ही टीपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझो जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे

गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। निर्माता ने सामान्य मूल्य के लिए विभिन्न समायोजन का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने केवल उन्हीं समायोजनों की अनुमति दी है, जिन्हें उसने अपनी सतत प्रथा के अनुसार उचित समझा है।

127. वर्तमान मामले में उपरोक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए, ***% घरेलू बिक्री उच्च ग्रेड के मामले में लाभदायक है और ***% घरेलू बिक्री मध्यम ग्रेड के मामले में लाभदायक है। अतः सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दिया गया है।

ख. गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

128. थाइलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.6ख थाईलैंड के लिए निर्यात मूल्य

- क. प्रतिसाद देने वाले निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - टीपीसी पेस्ट रेजिन कं., लिमिटेड
129. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मूल्य *** अमरीकी डालर होने की सूचना दी है। उत्पादक ने संबंधित व्यापारी के माध्यम से निर्यात किया है जिसने प्रश्नावली का जवाब दायर किया है।
130. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य में विभिन्न समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने मौके पर ही टीपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। यथावश्यक समझो जाने वाली अतिरिक्त/अनुपूरक सूचना और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित जानकारी, जहां भी लागू हो, इस अंतिम जांच निष्कर्ष के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

ख. गैर-सहकारी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

131. थाइलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.7 नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

132. नॉर्वे से मैसर्स इनोविन नोर्गे एएस और मैसर्स इनोविन यूरोप लिमिटेड ने इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकरण कराया था। हालांकि, उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से केवल बायोविन ग्रेड को हटाने का अनुरोध किया है। चूंकि निर्माता ने व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन का दावा करते हुए कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है। इसलिए, उत्पादक को उस सीमा तक असहयोगी माना गया है।

च.3.7.क नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य

133. नॉर्वे के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.7.ख नॉर्वे के लिए निर्यात मूल्य

134. नॉर्वे के लिए निवल निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.8 डंपिंग मार्जिन

135. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के आधार पर, भाग लेने वाले तथा भाग न लेने वाले उत्पादकों के लिए डंपिंग मार्जिन इस प्रकार निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	शुद्ध निर्यात मूल्य	डंपिंग मार्जिन	डंपिंग मार्जिन	डंपिंग मार्जिन
		अमरीकी डालर/एम टी	यूएसडी/एम टी	यूएसडी/एम टी	%	श्रेणी (%)
1	चीन पीआर					
क.	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
ख.	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
ग.	कोई अन्य	***	***	***	***	80-90
2	कोरिया आरपी					
क.	मेसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	डी-मिनिमिस
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	0-10
3	मलेशिया					
क.	कोई अन्य	***	***	***	***	60-70
4	ताइवान					
क.	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	20-30
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
5	थाईलैंड					
क.	टीपीसी पेस्ट रेजिन कं., लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
6	नॉर्वे					
क.	सभी	***	***	***	***	40-50

छ. क्षति और कारण लिंक

छ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

136. विरोधी इच्छुक पार्टियों ने क्षति और कारण लिंक के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. भारत में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर के कारण आयात हो रहा है।
- ख. निर्यातक जांच की अवधि में अपनी कीमतों को 2019-20 में 75,047 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,00,872 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने में सक्षम हुए हैं। आयात की कीमतों में वृद्धि होने पर घरेलू उद्योग उचित रूप से नुकसान का दावा नहीं कर सकता है।
- ग. घरेलू उद्योग के विभिन्न पैरामीटर जैसे स्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता और नियोजित औसत पूंजी यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
- घ. मूल्य अंडरकटिंग की जांच केवल जांच की अवधि के लिए की गई थी न कि पूरी क्षति अवधि के लिए। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन केवल 'सकारात्मक और महत्वपूर्ण' मूल्य अंडरकटिंग के अस्तित्व का आरोप लगाता है, देश-वार अंडरकटिंग का खुलासा किए बिना, यहां तक कि रेंज के आंकड़ों के रूप में भी।
- ङ. घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति का कारण चीन से आयात है न कि थाइलैंड से आयातों के कारण।
- च. कच्चे माल की लागत में वैश्विक गिरावट के बावजूद जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में काफी वृद्धि हुई।
- छ. आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और त्रैमासिक आय में दावा किया है कि मुनाफे में गिरावट का असली कारण यूक्रेन में संघर्ष के कारण ऊर्जा लागत में वृद्धि है।
- ज. प्रारंभिक निष्कर्षों में हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन नकारात्मक था। इसलिए ये निर्यात बिना पाटित मूल्यों पर किए गए थे। क्षति का विश्लेषण केवल डंप किए गए आयातों के लिए किया जाता है। इसलिए, हनवा द्वारा किए गए निर्यात को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए था।
- झ. जबकि एथिलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड और विनाइल क्लोराइड मोनोमर जैसे प्रमुख कच्चे माल की लागत में काफी कमी देखी गई है, विचाराधीन उत्पाद की संबंधित बिक्री कीमतों में केवल मामूली कमी का अनुभव हुआ है।

- ज. केम्प्लास्ट में विरासत के मुद्दों से संबंधित उच्च लागत है और इसका लक्ष्य वित्तीय क्षति का झूठा मामला बनाकर 2021-22 में अर्जित सुपर लाभ अर्जित करना है। आरओआई की तुलना 19-20 को अर्जित आरओआई से की जानी चाहिए और यह आवेदक की इससे अधिक कमाई करने में असमर्थता है और डीजीटीआर द्वारा इसका समाधान नहीं किया जा सकता है।
- ट. आवेदक ने अतीत में असामान्य लाभ अर्जित किया और लाभ अब सामान्य हो गया है। सामान्यीकरण के बाद भी, पीओआई के दौरान शुद्ध लाभ 145 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2019-20 में लाभ की तुलना में बहुत अधिक था।
- ठ. निर्यातकों ने देश में मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण अपने मूल्यों में काफी वृद्धि की है और प्रयोक्ता ऐसे बढ़ते मूल्यों से प्रभावित हुए हैं।
- ड. क्षति का कारण अकुशलता, पुरानी प्रौद्योगिकी को अपनाना और दीर्घावधिक संविदा आधार पर कच्चे माल की खरीद है।
- ढ. जबकि आवेदक ने उत्पादन लागत में वृद्धि का दावा किया है, क्षति की अवधि में कच्चे माल की कीमत में लगभग 425 डॉलर/मीट्रिक टन की गिरावट आई है। आवेदक द्वारा कच्चे माल की कीमत में गिरावट को भी स्वीकार किया गया है।
- ण. आवेदक ने कंपनी स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अन्य मामलों में किसी भी नुकसान को विषय वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कंपनी के स्तर पर भी, केम्प्लास्ट की लागत अधिक है और इतनी अधिक लागत के कारण की जांच की जानी चाहिए।
- त. प्रारंभिक निष्कर्षों में दर्ज आंकड़ों और आवेदक द्वारा पहले रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा में महत्वपूर्ण अंतर हैं। आवेदक का संशोधित डेटा प्रसारित किया जाना चाहिए।
- थ. आयात के कारण संबंधित वस्तुओं की कीमत को कम करने की पूरी अवधि के लिए देखा जाना चाहिए।
- द. प्रदर्शन में गिरावट रूस-यूक्रेन युद्ध और समग्र मुद्रास्फीति के दबावों के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण है।
- ध. कथित क्षति को आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार के लिए लिए गए ऋण पर उच्च ब्याज लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- न. आवेदक को 2021-22 में भी मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा और 2021-22 में कोई डंपिंग नहीं हुई, नकारात्मक वृद्धि मूल्य और/या लाभ मापदंडों को आंतरिक अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

- प. आवेदक ने वार्षिक रिपोर्टों में कहा है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है।
- फ. आवेदक ने अपने प्रॉस्पेक्टस में विकास और लाभप्रदता का एक बहुत ही स्वस्थ आख्यान पेश किया है।
- ब. 2020-21 और 2021-22 में मूल्य वृद्धि को कोविड महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और कीमतें सामान्य स्तर पर बहाल हो गई हैं।
- भ. आवेदक के आयातित कच्चे माल के मूल्य और आवेदक के विक्रय मूल्य के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि कच्चे माल की कीमत में आवेदकों द्वारा प्रयोक्ताओं को बेचे गए विक्रय मूल्य की तुलना में बहुत अधिक दर से गिरावट आई है।
- म. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ और जापान से आयात के कारण कोई क्षति नहीं आई है। यदि इन देशों के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है, तो कुछ विषय देशों की कीमत यूरोपीय संघ से कीमत से अधिक है और इसलिए ये देश क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।
- य. कोविड लॉकडाउन अवधि में जांच की अवधि के एक हिस्से के बावजूद, आवेदक ने सभी क्षति मापदंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

137. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण लिंक के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- क. इससे पहले चीन विचाराधीन उत्पाद का शुद्ध आयातक था। हालांकि, कोविड के दौरान पीवीसी - आधारित दस्ताने की बढ़ती मांग के कारण, चीनी उत्पादकों ने अपनी क्षमता में काफी विस्तार किया।
- ख. जैसे-जैसे महामारी कम हुई, पीवीसी-आधारित दस्ताने की मांग में भी गिरावट आई। इसके अलावा, चीन में कपड़ा परिधान की मांग में सामान्य गिरावट आई है (शून्य-कोविड नीति के कारण) और यूरोप में (मांग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण) मांग में गिरावट से निर्यातकों का परिचालन प्रभावित हुआ है।
- ग. विषय आयातों का उतराई तक का मूल्य परिवर्तनीय लागत के साथ कदम से नहीं बढ़ा है। 2021-22 तक, लैंडिड की कीमत बिक्री की लागत से अधिक थी और कोई डंपिंग नहीं थी। हालांकि उसके बाद से निर्यातकों ने आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है।

- घ. 2019-20 और 2020-21 में आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम था। हालांकि, एंटी-डंपिंग कर्तव्यों के माध्यम से उपचार थे जो उस समय लागू थे।
- ङ. उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति और संयंत्र बंद होने से जुड़ी लागतों के कारण, क्षमताओं को निष्क्रिय रखना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसलिए, कोई भी निर्माता उत्पादन को निलंबित करने पर कीमतें कम करना पसंद करेगा। नतीजतन, क्षति का वास्तविक रूप मूल्य क्षति है, न कि मात्रा की क्षति।
- च. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को एक महत्वपूर्ण अंतर से कम कर रहे हैं।
- छ. घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की मूल्य सूची रखता है जिसे आयातों के मूल्यों के आधार पर आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। जांच की अवधि में, पिछले वर्षों की तुलना में मूल्य संशोधन की संख्या में 40% की वृद्धि हुई थी।
- ज. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे की कीमतें कम हैं, जिससे नुकसान होता है।
- झ. डंप किए गए आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ रहा है।
- ञ. अर्जित योगदान नकारात्मक है। घरेलू उद्योग न केवल निश्चित लागत पर नुकसान उठा रहा है, बल्कि उत्पादित हर अतिरिक्त इकाई पर भी नुकसान उठा रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ है।
- ठ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता और क्षमता उपयोग में गिरावट नहीं आई है। जबकि रोजगार और मजदूरी उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हैं, रोजगार का भविष्य उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर है।
- ड. पाटित आयातों ने पूंजी जुटाने और नियोजित पूंजी पर लाभ अजत करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ढ. भारत में उत्पाद की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने 43,000 मीट्रिक टन की क्षमता विस्तार किया है। ये निर्णय तब लिए गए जब बाजार की स्थिति बिना डंपिंग के उचित और लाभकारी थी। हालांकि, उत्पाद की डंपिंग ने घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं को प्रभावित किया है। आगे 37,000 मीट्रिक टन के नियोजित विस्तार को स्थगित कर दिया गया है।
- ण. उत्पादन प्रक्रिया की निरंतर प्रकृति के कारण उत्पादन का निलंबन अपने आप में उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है। उत्पादन बंद करने का अर्थ न केवल

- पीवीसी पेस्ट के संयंत्र को बंद करना है, बल्कि ईडीसी, वीसीएम, बिजली और भाप के संयंत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- त. आवेदक को लगी क्षति मूल्य पैरामीटरों तक सीमित है क्योंकि उत्पादन का निलंबन उद्योग के लिए एक अव्यवहार्य लागत है।
- थ. जांच की अवधि के दौरान आयातों की कीमत में काफी गिरावट आई है और कीमतों की कम कटिंग की मासिक आधार पर जांच किए जाने की आवश्यकता है
- द. न तो आवेदक की बिक्री की मात्रा, न ही विभिन्न प्रतिवादी कंपनियों की निर्यात मात्रा समान रूप से अवधि में फैली हुई है और इसलिए औसत मूल्य अंडरकटिंग एक विकृत तस्वीर दिखाएगा।
- ध. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 2022-23 है जो किसी भी कोविड अवधि के साथ मेल नहीं खाती है।
- न. क्षमता विस्तार के लिए लिए गए ऋणों की लागत को सूचित लागत और लाभ में शामिल नहीं किया गया है।
- प. क्षति की अवधि के लिए मूल्य अंडरकटिंग निर्धारित करने के लिए कोई दायित्व नहीं है। मूल्य अंडरकटिंग केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

138. अनुबंध II के साथ पठित नियमों के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, '*... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए...*'।
139. डंप किए गए आयातों के मूल्य पर प्रभाव को विचार करते हुए, यह आवश्यक माना जाता है कि यह जांचा जाए कि क्या डंप किए गए आयातों द्वारा घरेलू समान वस्तु के मूल्य में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, या क्या इन आयातों का प्रभाव इस हद तक मूल्य को दबाने का है या मूल्य वृद्धि को रोकने का है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित होती है।
140. इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सकारात्मक निर्धारण के लिए क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखानी चाहिए। कुछ पैरामीटर क्षति दिखा सकते हैं जबकि

अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकरण सभी क्षति पैरामीटरों पर विचार करता है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या घरेलू क्षति को पाटित आयातों से नुकसान होने की संभावना है।

141. इच्छुक पाटियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के मात्रा पैरामीटरों में कोई गिरावट नहीं दिखाई गई है। इच्छुक पार्टियों ने आवेदक की वार्षिक रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है जिसमें आवेदक ने उत्पाद की बढ़ती मांग के लिए बढ़ते उत्पादन और बिक्री को जिम्मेदार ठहराया है। प्राधिकरण आवेदक के सबमिशन को नोट करता है कि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण, उत्पादन का निलंबन अपने आप में उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है और कोई भी पीवीसी पेस्ट उत्पादक अपने उत्पादन को निलंबित करने के बजाय कम कीमतों पर उत्पादन और बिक्री जारी रखना पसंद करेगा।
142. जहां तक इस बात का संबंध है कि कच्चे माल के मूल्य में गिरावट के अनुरूप आयात मूल्य में गिरावट आई है, प्राधिकरण ने एथिलीन के वैश्विक औसत निर्यात मूल्य की तुलना पीयूसी के आयात मूल्य से की है।
143. उपरोक्त तुलना के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि 2020-21 से जांच की अवधि तक, जबकि एथिलीन की कीमतों में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया- 2020-21 में गिरावट, 2021-22 में बढ़ना, और जांच अवधि के दौरान मामूली गिरावट - पीयूसी की आयात कीमतों ने तेज विविधताओं का प्रदर्शन किया, 2021-22 में असमान रूप से वृद्धि हुई और जांच अवधि के दौरान काफी गिरावट आई और एथिलीन की कीमतों में गिरावट के अनुरूप नहीं रही है।
144. अन्य हितकारी पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि उत्पाद का मूल्य चक्रीय स्वभाव का है और मूल्य पुनः सामान्य स्तर पर लौट रहे हैं। यह कहा गया है कि एथिलीन के मूल्य घट रहे हैं, अतः एथिलीन के मूल्यों में गिरावट आयात मूल्य में गिरावट का कारण बन रही है। इस पर प्राधिकारी ध्यान देता है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में जांच अवधि के दौरान सकारात्मक डंपिंग पाई गई थी। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं कि आयात मूल्य में कमी मात्रा कच्चे माल (एथिलीन) की कीमतों में कमी के कारण है।

145. इच्छुक पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि लागत में वृद्धि आवेदक द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण हो सकती है क्योंकि ऋण के लिए ब्याज लागत बढ़ गई होगी। सत्यापन के दौरान, आवेदक ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद की अवधि में विस्तार हुआ और जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत में विस्तार के लिए कोई ब्याज लागत नहीं जोड़ी गई है। नीचे दी गई तालिका आवेदक की ब्याज लागत को दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	341	151	32
ब्याज लागत	लाख रु	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	331	152	34

146. यह देखा गया है कि आवेदक की ब्याज लागत में गिरावट आई है। अतः दावा की गई क्षति को आवेदक द्वारा किए गए विस्तार के कारण नहीं ठहराया जा सकता। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि जांच की अवधि में ब्याज से पूर्व लाभ नकारात्मक है।

आयात का संचयी मूल्यांकन

147. डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 3.3 और एडी के अनुलग्नक II के पैरा (iii) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात की एक साथ एंटी-डंपिंग जांच की जा रही है, प्राधिकरण संचयी रूप से ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि:

- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित डंपिंग का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है; और
- ख. आयातित वस्तुओं और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

148. प्राधिकरण नोट करता है कि:

- क. चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयात डंप कीमतों पर है।
- ख. प्रत्येक देश से पाटन का माजन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ग. इन देशों से आयात इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

149. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयातित वस्तुओं और ऐसी घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, निम्नलिखित पैरामीटरों की जांच की गई है

- क. विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद लेख की तरह हैं और गुणों में तुलनीय हैं।
- ख. घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद विनिमेय हैं।
- ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होती है और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है।
- घ. उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का परस्पर उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही सेट को बेचा है।
- ङ. विषय देशों से आयात मूल्य साथ-साथ बढ़ रहे हैं ।

150. संबंधित देशों से आयात मूल्य (सीआईएफ आधार) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	देश	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	चीन पीआर	रु/एमटी	69,490	91,909	1,39,949	96,687
2	ताइवान	रु/एमटी	75,503	97,081	1,21,759	98,249
3	थाईलैंड	रु/एमटी	78,750	97,277	1,43,935	1,01,433
4	कोरिया आरपी	रु/एमटी	78,542	82,299	1,48,664	1,02,615
5	मलेशिया	रु/एमटी	77,243	80,137	1,31,790	1,06,569
6	नॉर्वे	रु/एमटी	75,247	71,720	1,33,251	92,502

151. यह देखा गया है कि विषय देशों से आयात मूल्य एक-दूसरे के साथ-साथ बढ़ रहे हैं। जांच की अवधि में आयात मूल्य आधार वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इसके अलावा, जांच की अवधि में आयात मूल्य में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

152. नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि में विषय देशों से आयात की मात्रा दिखाती है।

क्र.सं.	देश	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	चीन पीआर	एमटी	12,182	1,127	15,560	19,359
2	ताइवान	एमटी	11,402	1,325	11,048	13,060
3	थाईलैंड	एमटी	8,162	6,168	9,752	10,462
4	कोरिया आरपी	एमटी	6,380	1,104	5,111	10,143
5	मलेशिया	एमटी	4,904	1,546	6,938	10,135
6	नॉर्वे	एमटी	281	3,062	1,465	4,416

153. यह देखा गया है कि अलग-अलग विषय देशों से आयात की मात्रा एक-दूसरे के साथ बढ़ी है। जब 2020-21 में मांग में गिरावट आई, तो सभी संबंधित देशों (नॉर्वे को छोड़कर) के आयात में गिरावट आई। जाँच अवधि में जाँचाधीन देशों से आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो विभिन्न स्रोतों से होने वाले आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाती है।

154. प्राधिकरण ने लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि उपभोक्ताओं ने एक दूसरे के स्थान पर संबंधित देशों से आयात किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और निर्यातकों ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही सेट को बेचा है। संबंधित देशों के घरेलू उत्पादक और निर्यातक ग्राहकों की एक ही श्रेणी को समान उत्पाद बेचते हैं और दोनों एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों उत्पादों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है।

155. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग पर संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझता है।

छ.3.1 मांग का आकलन

156. प्राधिकरण ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थक और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	97	101	107
2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	92	68	62
3	विषय देशों से आयात	एमटी	43,310	14,333	49,874	67,575
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	33	115	156
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	29,871	28,026	15,041	13,766
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	94	50	46
5	कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	78	92	105

157. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण आधार वर्ष की तुलना में 2020-21 में कुल मांग में कमी आई है। 2020-21 के बाद मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

छ.3.2 डंप किए गए आयात का मात्रा प्रभाव

158. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयात भारत में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के संबंध में बढ़ा है, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच की गई है।

159. विभिन्न देशों से निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में आयातों की मात्रा निम्नानुसार है

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	विषय देश	एमटी	43,310	14,333	49,874	67,575
2	विषय आयात के संबंध में:					

क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	36	116	149
ख	मांग	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	43	125	149
ग	कुल आयात	%	59%	34%	77%	83%

160. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में 2020-21 में विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट आई क्योंकि मांग में गिरावट आई। हालांकि, 2021-22 में मांग बढ़ने के साथ आयात भी बढ़ गया। जांच की अवधि में आयातों में और वृद्धि हुई है। अधीन देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से और उत्पादन, खपत और कुल आयात के संबंध में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि के साथ आयात में वृद्धि हुई है।

छ.3.3 डंप किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

161. मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकरण को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में इस प्रकार के उत्पाद के मूल्य की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को काफी कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा। इस संबंध में, संबंधित देशों से उत्पाद के उतरा मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, सभी छूटों और करों के शुद्ध, व्यापार के समान स्तर पर के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के मूल्य फैक्टरी स्तर पर निर्धारित किए गए थे।

i. मूल्य अधोआधारण

162. प्राधिकरण ने आयात की उतराई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की।

क्र.सं.	विवरण	निवल बिक्री प्राप्ति रु/एमटी	लैंडेड मूल्य रु/एमटी	मूल्य अधोआधारण रु/एमटी	मूल्य अधोआधारण रु/एमटी	मूल्य अधोआधारण रु/एमटी
1	चीन पीआर	***	1,04,664	***	***	0-10
2	ताइवान	***	1,06,354	***	***	0-10
3	थाईलैंड	***	1,09,802	***	***	0-10
4	मलेशिया	***	1,15,361	***	***	ऋणात्मक
5	कोरिया आरपी	***	1,11,075	***	***	ऋणात्मक
6	नॉर्वे	***	1,00,134	***	***	10-20
7	औसत	***	1,08,057	***	***	0-10

163. यह देखा गया है कि मलेशिया और कोरिया आरपी को छोड़कर, आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से कम है। तथापि, सम्पूर्ण रूप से अधीन देशों का अवतरण मूल्य आवेदक के विक्रय मूल्य से कम है। जाँचाधीन आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य, को नीचे खींच रहे हैं।

164. इसके अतिरिक्त, चूंकि पीसीएन का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जांच के विषय में किया गया है, इसलिए पीसीएन स्तर पर भी मूल्य कम कटौती की जांच की गई है जो नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	उच्च	मध्यम	कुल	श्रेणी
1	चीन पीआर	***	***	***	10-20%
2	ताइवान	***	***	***	10-20%
3	थाईलैंड	***	***	***	0-10%
4	मलेशिया	***	***	***	0-10%
5	कोरिया आरपी	***	***	***	0-10%
6	नॉर्वे	***	***	***	10-20%
7	कुल	***	***	***	0-10%

165. प्राधिकरण नोट करता है कि मूल्य अंडरकटिंग सभी विषय देशों के लिए सकारात्मक है।

ii. मूल्य दमन/ अवनमन

166. नीचे दी गई तालिका बिक्री लागत, बिक्री मूल्य और आयात की उतराई कीमत में परिवर्तन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
2	विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
3	लैंडेड प्राइस	₹/एमटी	82,027	95,316	1,48,693	1,07,186
	परिवर्तन					
4	बिक्री की लागत	₹/एमटी	-	***	***	***
5	विक्रय मूल्य	₹/एमटी	-	***	***	***
6	लैंडेड प्राइस	₹/एमटी	-	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति					
7	बिक्री की लागत	अनुक्रमित	100	106	140	148
8	विक्रय मूल्य	अनुक्रमित	100	121	160	113
9	लैंडेड प्राइस	अनुक्रमित	100	116	181	131

167. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में, आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत से कम थी। 2020-21 में, बिक्री की लागत में लगभग *** रुपये प्रति मीट्रिक टन (6 सूचकांक अंक) की वृद्धि हुई है। बिक्री मूल्य में *** रुपये (21 सूचकांक अंक) की वृद्धि हुई। यह आयात के उतरे हुए मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष 2021-22 में, बिक्री और बिक्री मूल्य की लागत में और वृद्धि हुई।

168. जांच के दौर में जहां बिक्री की लागत में *** रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री मूल्य में गिरावट आई है। बिक्री मूल्य में गिरावट आयातित माल के उतरे हुए मूल्य में गिरावट के कारण हुई। आयात बिक्री की लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य को कम कर रहे थे।

169. अतः प्राधिकारी यह संज्ञान लेता है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में अवनमन हुआ है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

i. क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री

170. निम्नलिखित तालिका क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	100	100
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	97	101	107
5	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	1,383	423	113

171. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग के पास क्षमता क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि जांच के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग ने क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 43,000 मीट्रिक टन की वृद्धि की है।
- ख. मांग में गिरावट के कारण 2020-21 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। इसके बाद उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई है और क्षति की अवधि में मात्रा में नगण्य है।

ii. भंडार

172. निम्न तालिका क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उद्घाटन, समापन और औसत भंडार को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	प्रारंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	252	17	45
2	क्लोजिंग स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	7	18	31
3	औसत इन्वेंटरी	एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	76	17	35

173. यह देखा गया है कि जाँच के प्रारंभिक वर्षों में COVID बंदी के कारण अंतिम भंडार उच्च था। वर्ष 2020-21 में अंतिम भंडार में कमी आई, लेकिन उसके बाद जाँच अवधि में यह फिर से बढ़ गया।

iii. बाजार हिस्सेदारी

174. निम्नलिखित तालिका क्षति की अवधि में भारतीय बाजार में मार्केट शेयर वितरण को दर्शाता है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	110	102
2	अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	119	73	59
3	विषय देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***

	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	43	125	149
4	अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	121	55	44

175. यह देखा गया है कि 2020-21 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। 2020-21 में आयात में गिरावट आने पर विषय देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। जाँचाधीन देशों के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि भी माँग-आपूर्ति अंतर के कारण है।

iv. लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश की गई पूंजी पर वापसी

176. लाभप्रदता के बारे में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	227	293	-125
2	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	220	296	-134
3	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	192	254	-102
4	ब्याज और कर से पहले लाभ (पीबीआईटी)	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	253	253	-84
5	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	%	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	258	217	-77

177. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2021-22 तक सुधार हुआ लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग को भी नकद हानि हुई है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

178. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96	102	105
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	87	84	94
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	99	105
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	***	***	***	***
	सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	97	100

179. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2020-21 और 2021-22 में भुगतान की गई मजदूरी में गिरावट आई लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। उत्पादकता उत्पादन के अनुरूप बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि तीसरा संयंत्र तभी लगाया जाएगा जब उत्पाद का प्रदर्शन रिटर्न को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

vi. वृद्धि।

180. विकास के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	पीओआई
1	उत्पादन	%	(***)	***	***
2	बिक्री	%	(***)	***	***
3	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	***	***	(***)
4	इन्वेंटरी	%	(***)	(***)	***

5	बाज़ार हिस्सेदारी	%	***	(***)	(***)
6	टैक्स से पहले लाभ	%	***	***	(***)
7	नकद लाभ	%	***	***	(***)
8	ब्याज और कर से पहले लाभ	%	***	***	(***)
9	निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)	%	***	(***)	(***)

181. यह देखा गया है कि वॉल्यूम पैरामीटर ने 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि दिखाई जब मांग में गिरावट आई. मूल्य मापदंडों ने 2020-21 में सकारात्मक वृद्धि दिखाई। वर्ष 2021-22 में निवेश और इन्वेंट्री पर रिटर्न को छोड़कर लगभग सभी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। जांच की अवधि में सभी मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वॉल्यूम मापदंडों ने नकारात्मक वृद्धि नहीं दिखाई है।

vii. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता।

182. घरेलू उद्योग घाटे में है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न पर काम कर रहा है। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग ने घरेलू उद्योग के पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित किया है।

viii. डंपिंग का मार्जिन

183. डंपिंग का मार्जिन इस बात का सूचक हो सकता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को किस हद तक क्षति पहुंचा सकता है। डंपिंग मार्जिन सभी देशों के लिए सकारात्मक है।

ix. घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

184. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को छोड़कर, भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है जिसने आवेदन का समर्थन किया है। देश में मांग को देखते हुए अन्य उत्पादक की क्षमता काफी कम है। अतः अन्य उत्पादक घरेलू उद्योग के मूल्यों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता।

185. यह भी देखा गया है कि अवतरण मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री मूल्य से कम हैं। आयातित माल के उतरे हुए मूल्य घरेलू उद्योग के दामों पर दबाव डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

186. इन नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को, *अन्य बातों के साथ-साथ*, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, की जांच करनी होती है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को न माना जा सके। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं उनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पाटित मूल्यों पर न बेचे जाने वाले आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों ने क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

187. इसके अलावा न्यूनतम सीमा से अधिक आयात यूरोपीय संघ और जापान से किए जाते हैं।

क. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में जापान से आयात में गिरावट आई है। इसके अलावा, जापान से आयात मूल्य अधीन देशों से आयात मूल्य और घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से अधिक है। अतः जापान से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ख. यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ से आयातों ने क्षति की अवधि के दौरान कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। जब वर्ष 2020-21 में संबंधित देशों से आयात में गिरावट आई, तो यूरोपीय संघ से आयात में वृद्धि हुई। जांच की अवधि में यूरोपीय संघ से आयात बढ़ा है, लेकिन यह 2019-20 और 2020-21 के स्तर की तुलना में कम है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि यूरोपीय संघ से आयात मूल्य आयात मूल्य की तुलना में सापेक्षतया अधिक है। अतः यूरोपीय संघ से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ख. मांग में संकुचन

188. क्षति की अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। अतः माँग में गिरावट को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं ठहराया जा सकता।

ग. खपत का पैटर्न

189. उपभोग पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण की जानकारी में नहीं आया है और न ही किसी इच्छुक पक्ष ने इस संबंध में कोई निवेदन किया है।

घ. प्रतियोगिता की शर्तें

190. प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की ऐसी कोई स्थिति प्रतीत नहीं होती है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति का कारण हो सकती है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

191. प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं दिखाई देता है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता था।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

192. घरेलू और निर्यात बाजार में मूल्य और लाभप्रदता को वर्तमान क्षति मूल्यांकन के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अलग कर दिया गया है। अतः निर्यात प्रदर्शन की संभावित सम्मिलित के कारण क्षति विश्लेषण भ्रामक नहीं होता।

193. यह देखा गया है कि ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कारण बन सकते हैं।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

194. प्राधिकरण ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आवेदकों के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना क्षति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के अवतरण मूल्य से की गई है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, पीओआई सहित क्षति की अवधि के दौरान कच्ची सामग्रियों, यूटिलिटियों और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय और/या परिसंपत्तियों को उत्पादन

लागत और/या एनआईपी से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी, औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने की अनुमति दी गई है जैसा कि नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	लैंडेड प्राइस	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		यूएसडी/ एमटी	यूएसडी/ एमटी	यूएसडी/ एमटी	%	श्रेणी
1	चीन पीआर					
क	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
ख	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	60-70
2	कोरिया आरपी					
क	मेसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	30-40
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
3	मलेशिया					
क	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
4	ताइवान					
क	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	40-50
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
5	थाईलैंड					
क	टीपीसी पेस्ट रेजिन कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40

6	नॉर्वे					
ख	सभी	***	***	***	***	40-50

ज. भारतीय उद्योग के मुद्दे

ज.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

195. विरोधी इच्छुक दलों ने भारतीय उद्योग के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क. मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है, और उपयोगकर्ता उत्पाद आयात करने के लिए मजबूर हैं।
- ख. विगत में भी इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और घरेलू उद्योग द्वारा इस समय तक भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे उपायों से संरक्षण का उपयोग नहीं किया गया था।
- ग. यह घरेलू उद्योग की अपेक्षित मात्रा में सभी आवश्यक ग्रेड की आपूर्ति करने में असमर्थता है जो उपयोगकर्ताओं को आयात करने के लिए मजबूर करती है।
- घ. भारत में कई हजार अंतिम उपयोगकर्ता ज्यादातर एमएसएमई श्रेणी में हैं और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ङ. भारत सरकार पीवीसी पेस्ट रेजिन पर अनिवार्य मानक प्रमाणन अपेक्षा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जिससे गैर-टैरिफ अवरोध उत्पन्न होगा। प्रस्तावित बीआईएस मानक को ध्यान में रखते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
- च. एंटी डंपिंग ड्यूटी और बीआईएस लगाने से आवेदक को एकाधिकार मिलेगा।
- छ. घरेलू उद्योग के प्रभाव की गणना त्रुटिपूर्ण अनुमानों पर आधारित होती है। घरेलू उद्योग ने जूते की एक जोड़ी की औसत कीमत INR 1,000 माना, जो औसत से काफी अधिक है।
- ज. चप्पल और जूते प्रमुख ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर डोरस्टेप डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 51 रुपये और 200 रुपये से शुरू होती है। 20% की पाटन रोधी शुल्क से फुटवियर के उत्पादन की लागत में 5-10% की वृद्धि होगी।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं निम्न गुणवत्ता की हैं, जैसा कि उनके लगभग शून्य निर्यात से पता चलता है। घरेलू उद्योग अन्य बाजारों में निर्यात करने में असमर्थ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उनके उत्पाद खरीदने के इच्छुक नहीं हैं।

- ज. आवेदक ने इतने वर्षों के संरक्षण के बावजूद कभी भी अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है।
- ट. प्रारंभिक जांच में 1,000 रुपये के फुटवियर जूते की कीमत को ध्यान में रखा गया है, जबकि ये 51 रुपये की कीमत पर उपलब्ध हैं।
- ठ. प्रारंभिक निष्कर्षों में एक सोफा सेट के लिए 75,000 रुपये की कीमत का संदर्भ दिया गया है, जो औसत भारतीय नागरिक की सामर्थ्य से परे है।
- ड. प्रभाव गणना के लिए माना जाने वाला यह अनुमान किसी ऐसे राष्ट्र की आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है जहां अधिकांश नागरिक ऐसी उच्च कीमत वाली वस्तुओं को वहन नहीं कर सकते हैं।
- ढ. आवेदक डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा आवश्यक उत्पाद की गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सकता है।
- ण. प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक निष्कर्ष में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि प्रयोक्ता उद्योग एक पासथ्रू उद्योग है, सही नहीं है।

ज.2 घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

196. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के मुद्दे पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क. घरेलू उद्योग ने 350 करोड़ रुपये की लागत से 43,000 मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि की है और आगे 35,000 मीट्रिक टन की क्षमता विस्तार कर रहा है। यह मांग और आपूर्ति के अंतर को काफी हद तक कम कर देगा।
- ख. अंतिम उत्पादों पर पीवीसी पेस्ट की कीमत में 20% की वृद्धि का प्रभाव नगण्य होगा। टॉप सेगमेंट की कार, फुटवियर और सोफा सेट पर 0.03%, 0.15% और 0.15% का ही असर होगा।
- ग. सिंथेटिक चमड़े का उपयोग केवल उच्च खंड की कारों में किया जाता है और निम्न खंड की कारों के मामले में नहीं। इसी तरह, सोफे पर खर्च करने के लिए एक छोटी जेब वाला उपभोक्ता या तो सिंथेटिक चमड़े की औसत गुणवत्ता वाला सोफा खरीदेगा, जिसमें विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा कम होगा या केवल कपड़े की सामग्री से बना सोफा खरीदेगा। इसलिए, पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव कम भुगतान क्षमता वाले लोगों द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा।
- घ. घरेलू उद्योग ने कभी भी एंटी-डंपिंग कर्तव्यों का पूरा लाभ नहीं उठाया है। विगत में लागू शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई तक का मूल्य भारतीय उद्योग के विक्रय मूल्य से अधिक था।

- ड. पूर्व में उत्पाद पर शुल्क लगाया गया है। इस तरह के थोपने से उस समय कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा, यहां तक कि शुल्कों की समाप्ति भी सकारात्मक प्रभाव डालने में विफल रही। ड्यूटी लागू होने के बाद भी उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है।
- च. डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्यात उस अवधि से लगातार बना हुआ है जब शुल्क लागू थे जब शुल्क समाप्त हो गए थे।
- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग के मुनाफे पीवीसी पेस्ट की कीमत से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। कृत्रिम चमड़े की बिक्री से अर्जित लाभ तब भी बढ़ गया जब पीवीसी पेस्ट की कीमत बढ़ गई।
- ज. डाउनस्ट्रीम उद्योग एक पास-थ्रू उद्योग है।
- झ. कृत्रिम चमड़े के कपड़ों के लिए, कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा केवल 22% है।
- ञ. संबंधित देशों से सीआईएफ आयात मूल्य 2021-22 में 1,33,427 रुपये प्रति मीट्रिक टन था। पाटनरोधी उपायों पर विचार करने के बाद भी आयातों का उतराई तक मूल्य उस स्तर तक नहीं बढ़ेगा।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में आयातित उत्पाद की तुलना में कम समय लगता है। वास्तव में, विषय देशों से औसत समुद्री माल ढुलाई का समय 10 से 22 दिनों तक होता है।
- ठ. इस शुल्क से आपूर्ति में कमी नहीं होगी क्योंकि घरेलू उद्योग क्षमता वृद्धि कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद का आयात भी गैर-संबंधित देशों से डंप रहित कीमतों पर नहीं किया जाता है।
- ड. घरेलू उद्योग में एथिलीन डी क्लोराइड का *** एमटी संयंत्र है और पूरे उत्पादन की खपत उत्पाद में की जाती है। यदि विचाराधीन उत्पाद का संयंत्र बंद हो जाता है या उत्पादन निलंबित कर दिया जाता है, तो यह एथिलीन डी क्लोराइड संयंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- ढ. शुल्क लगाने से समान अवसर सृजित होंगे और घरेलू उद्योग उचित शर्तों पर बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और अपनी तेजी से बिगड़ती वित्तीय स्थिति को उबारेंगे।

- ग. पाटनरोधी शुल्कों के प्रयोजन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भी मान्यता प्राप्त है। नामित प्राधिकरण [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] जिसमें एंटी-डंपिंग कानून द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया था, जो एक आधुनिक, अत्यधिक औद्योगिक, शक्तिशाली राज्य बनाने के भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
- त. आवेदक देश में बढ़ती मांग को देखते हुए लगातार क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। वर्ष 2008-09 से क्षमता 34 केटी से बढ़कर 109 केटी हो गई है।
- थ. 12 उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जांच में इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकरण किया लेकिन केवल निम्नलिखित 5 उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दायर की है। 7 निर्माताओं द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है। ऐसा तब है जबकि इनमें से दो इकाइयां सूचीबद्ध हैं।
- द. 5 उपयोगकर्ताओं को आर्थिक ब्याज प्रश्नावली दायर की है। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क का मात्रात्मक प्रभाव नहीं दर्शाया है।

अ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

197. प्राधिकरण इस बात को रेखांकित करता है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य डंपिंग की अन्यायपूर्ण व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को सुधारना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार हो सके। पाटनरोधी उपायों की सिफारिश, यदि कोई हो, को विषय देशों से मनमाने ढंग से आयातों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं किया गया है। बल्कि, यह डंपिंग, क्षति और दोनों के बीच कारण लिंक के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और एक स्तर के खेल मैदान को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार ऐसे उपायों की उपस्थिति से अछूता रहेगा। घटती प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपाय डंपिंग प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभों के उपार्जन को रोकने का कार्य करते हैं। यह विचाराधीन उत्पाद के व्यापक चयन के लिए उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं का एक सूत्रधार है।

198. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पाटयों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकरण ने विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव, उन कारकों के बारे में जानकारी मांगी जो पाटन रोधी शुल्क लगाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना है।
199. निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जांच में एक इच्छुक पार्टी के रूप में खुद को पंजीकृत किया।


क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद का उपयोगकर्ता/आयातक
1	एसी पॉलीकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	अरिटास विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
3	अरोरा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
4	ए वी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	बीटा पॉली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	डिलाइट कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
7	जस्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	क्लासिक लैमाइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	मार्वल विनाइल्स लिमिटेड
10	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
11	पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
12	प्रीमियर पॉली फिल्म लिमिटेड
13	प्रेरणा रेक्स प्राइवेट लिमिटेड

14	आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड
15	शिव पॉलिमर

200. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है।
201. उपयोगकर्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि एंटी-डंपिंग उपायों का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग ने अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रभाव नहीं डाला है और यह भी सिद्ध नहीं किया है कि वे लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अंतरित नहीं कर पाएंगे।
202. प्राधिकरण नोट करता है कि हालांकि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की स्थिति में भारत में उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है, लेकिन इस तरह के एंटी-डंपिंग उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों से प्राप्त अनुचित लाभ को कम कर सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योग में भौतिक क्षति दोनों में कमी को रोका जा सकेगा और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
203. मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर के संबंध में प्राधिकरण का कहना है कि घरेलू उद्योग ने पहले ही 350 करोड़ रुपये की लागत से 43,000 मीट्रिक टन क्षमता विस्तार शुरू कर दिया है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि उनकी क्षमता को 35,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है, लेकिन वर्तमान में डंपिंग के कारण इसे टाल दिया गया है। घरेलू उद्योग वर्तमान में भारत में उत्पाद की मांग का लगभग ***% पूरा कर रहा है। पहले से किए गए विस्तार के साथ, यह देश में ***% से अधिक मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। यह भी देखा गया है कि भारत में मांग को पूरा करने वाला एक और उत्पादक है और विभिन्न अन्य स्रोतों से भी आयात हो रहा है।
204. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि देश में मांग-आपूर्ति का अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण प्राप्त करने से नहीं रोकता है और न ही यह पाटनयुक्त मूल्यों पर निर्यातों को न्यायोचित ठहराता है। जैसा कि डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया था, मांग-आपूर्ति अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक उत्पाद को बिना पाटित

कीमतों पर बेचकर हमेशा भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं है।

205. यह भी देखा गया है कि विगत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा था। रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि पाटन रोधी शुल्क होने के बावजूद उत्पाद की मांग में वृद्धि जारी रही थी। जबकि 2020-21 में मांग में गिरावट आई, यह कोविड के प्रकोप के कारण थी।



स्रोत - घरेलू उद्योग द्वारा दायर EIQ

206. घरेलू उद्योग ने अंतिम अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव डाला है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रभाव प्रदान किए हैं।

क्र.सं.	अंतिम डाउनस्ट्रीम वस्तु	कार (मिड सेगमेंट कार में टॉप मॉडल)	जूते	सोफा सेट
1	अंतिम उत्पाद की लागत	11,00,000	1,000	75,000
2	कुल लागत में चमड़े के कपड़े का हिस्सा	0.68%	3.50%	3.33%
3	कुल लागत में पीवीसी पेस्ट का हिस्सा	0.15%	0.77%	0.73%
4	20% पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव	0.03%	0.15%	0.15%

स्रोत - घरेलू उद्योग द्वारा दायर इआईक्यू

207. प्रयोक्ता उद्योग ने निवेदन किया है कि प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए मूल्य बहुत अधिक हैं। उपयोगकर्ता उद्योग ने प्रस्तुत किया कि 'ऑनलाइन रिटेलर amazon.in पर

एक त्वरित खोज से पता चलता है कि चप्पल के रूप में जूते 51 रुपये से शुरू होने वाली कीमत के लिए डोर डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं और जूते के रूप में जूते 200 रुपये से शुरू होने वाली कीमत के लिए डोर डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें कर भी शामिल है लेकिन प्राधिकरण ने कीमत के रूप में 1000 रुपये पर विचार किया। प्राधिकरण ने इस संबंध में नोट किया है कि उपयोगकर्ता ऐसे 51 रुपये की चप्पलों की सामग्री के बारे में उल्लेख करने में विफल रहे हैं। उसी खोज से पता चलता है कि इतनी कीमतों पर चप्पल पीवीसी पेस्ट से नहीं बल्कि रबर से बनाई जाती है। अतः उपर्युक्त प्रस्तुति भ्रामक है। प्रयोक्ता उद्योग ने अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रभाव नहीं डाला है।

208. प्राधिकरण नोट करता है कि 5 उपयोगकर्ताओं ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा अन्य इच्छुक पार्टियों की बिक्री की लागत में 20-30% हिस्सा है। प्रारंभिक निष्कर्ष में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क कोरिया क्षेत्रीय पासपोर्ट के मामले में 41 अमरीकी डालर/एमटी से लेकर 600 अमरीकी डालर/एमटी तक था। यहां तक कि अगर 20% पाटन रोधी शुल्क पर विचार किया जाता है, तो लागत में प्रभाव लगभग 4-5% होगा। प्रयोक्ता उद्योग ने यह स्थापित नहीं किया है कि वह उत्पाद की लागत में वृद्धि को अंतरित नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह भी नहीं दिखाया गया है कि पिछले कर्तव्यों ने उन्हें कैसे प्रभावित किया।

209. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद की कीमत अतीत में अधिक थी, और कीमतों में हाल की अवधि में ही गिरावट आई है। यहां तक कि अगर 20% की पाटन रोधी शुल्क पर विचार किया जाता है, तो पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत अतीत में कीमत से कम होगी। इसलिए, जब पिछली उच्च कीमतों का उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रस्तावित उपायों का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. पोस्ट-प्रकटीकरण टिप्पणियाँ

ट.1 प्रकटीकरण उपरांत विरोधी हितधारी पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

210. अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा प्रकटीकरण वक्तव्य पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं:

- क. प्राथमिक निष्कर्षों तथा प्रकटीकरण वक्तव्य में प्रयुक्त आयात मात्रा, उतरे हुए मूल्य (लैंडेड प्राइस) एवं माँग के आँकड़ों में अंतर इंगित किया गया है।
- ख. थाई पॉलिएथिलीन कंपनी लिमिटेड तथा टीपीसी पेस्ट रेज़िन कंपनी लिमिटेड के सामान्य मूल्य निर्धारण में “ग्राहक श्रेणी मूल्य समायोजन” तथा “लॉट आकार समायोजन” की अनुमति नहीं दी गई है।
- ग. जाँच अवधि में उतरे हुए मूल्यों में हुई गिरावट मुख्यतः वर्ष 2022-23 में मालभाड़ा लागत के सामान्यीकरण के कारण हुई। उत्पाद के मूल्य, एथिलीन के मूल्यों का सीधा अनुकरण नहीं करते क्योंकि अंतिम उतरे हुए मूल्य पर अन्य महत्वपूर्ण कारक भी प्रभाव डालते हैं।
- घ. QCO लागू होने पर चीन पीआर सहित सभी देशों से पीवीसी पेस्ट रेज़िन के आयात पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। निकट भविष्य में इन उपायों से विषयवस्तु वाले माल के आयात में कमी संभावित है, अतः ऐसे में समान विषयवस्तु वाले माल पर प्रतिकूपण (एंटी-डंपिंग) शुल्क रूपी अतिरिक्त बाधा की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।
- ङ. पक्षों द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी आवेदक की विशिष्ट ग्रेड पीवीसी पेस्ट रेज़िन निर्माण क्षमता/योग्यता का उनके कारखाने में भौतिक सत्यापन करें, किंतु प्रकटीकरण वक्तव्य में इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।
- च. प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि आवेदक 8 में से 7 ग्रेडों का उत्पादन कर रहा है, जबकि आठवाँ ग्रेड माँग के अभाव में नहीं बनाया गया। यदि आवेदक के पास सभी 8 ग्रेडों के उत्पादन की क्षमता है, तो उसे सभी ग्रेडों के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए था।
- छ. प्राधिकारी ने देखा है कि इनाँविन पीवीसी P1510 एवं इनाँविन पीवीसी P16 की आयात मात्रा अत्यल्प है तथा जाँच अवधि में आयातित ई-पीवीसी के विभिन्न ग्रेडों के मूल्यों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया गया। मात्र मूल्य-अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि जाँचाधीन उत्पाद व घरेलू उत्पाद एक जैसे (लाइक आर्टिकल) नहीं हैं।
- ज. इनाँविन ने अनुरोध किया है कि अंतिम निष्कर्षों में बायोविन शब्द के साथ टीएम चिह्न जोड़ा जाए।
- झ. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉरपोरेशन की उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन आवश्यक बताया गया है क्योंकि कई समायोजनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। कहा गया है कि क्लोरीन, जो कॉस्टिक सोडा निर्माण का सह-उत्पाद है, की वैश्विक लागत नगण्य या

- ऋणात्मक है (एससीआई99 एवं सीएमए आँकड़ों द्वारा प्रमाणित)। इस समायोजन को न मानने से डंपिंग अंतर अनुचित रूप से बढ़ गया है।
- ज. एफपीसी ताइवान का कहना है कि प्राधिकारी ने 80:20 परीक्षण हेतु उत्पादन लागत में पैकेजिंग लागत को शामिल किया है, जिससे बिना पैक किए गए घरेलू बिक्री मूल्य की तुलना पैकेजिंग समेत लागत से करना पड़ा, परिणामस्वरूप लागत एवं मूल्य की तुलना विकृत हो गई।
- ट. पूँजीगत निवेश पर 22% प्रतिफल की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। लगातार 22% प्रतिफल की नीति बदलते आर्थिक यथार्थों की अनदेखी करती है, जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता एवं स्थायित्व प्रभावित होते हैं।
- ठ. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु ताइवान को एक उपयुक्त प्रतिस्थापक देश माना जाना चाहिए। एफपीसी निंग्बो और एफपीसी ताइवान कच्चे माल की नीति, गुणवत्ता नियंत्रण मानकों तथा अभिलेखीय व्यवस्था इत्यादि में तुलनीय हैं।
- ड. एफपीसी निंग्बो को बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने वाली परिस्थितियाँ अब पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं।
- ढ. अनुभाग 9-ए के अनुसार, प्राधिकारी को डंपिंग अंतर निर्धारित करते समय उत्पादक या निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए, बशर्ते वे उपलब्ध एवं सुपुर्द हों।
- ण. यदि उत्पादक अथवा निर्यातक अनुरोधित अभिलेख या सूचना देने में विफल रहता है, तभी प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों पर आधारित विधि का प्रयोग कर सकता है।
- त. प्राधिकारी केवल तभी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य की जानकारी अस्वीकार कर सकता है जब अभिलेख सामान्यतः प्रयोज्य लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप न हों या वे उत्पादन तथा बिक्री लागत को उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित न करते हों।
- थ. कोरिया के उपभोक्ताओं द्वारा मात्र 4000 से 5000 मीट्रिक टन आयात ही किया जाता है, अतः हान्वा पर कोरिया में अधिक बिक्री का कोई विशेष दबाव नहीं, क्योंकि कोरिया की 85% से अधिक माँग स्वयं हान्वा पूरी करता है।
- द. कोरिया आरपी में आयातित उत्पाद का मूल्य अधिक है क्योंकि यह ऐसा विशेष उत्पाद है जिसे हान्वा नहीं बना सकता। विशेष गुणधर्म, महासागरीय मालभाड़ा तथा अन्य सीमा शुल्क व्यय एवं हान्वा के घरेलू मूल्य की तुलना करने पर यह मूल्य-अंतर स्पष्ट हो जाता है।

- ध. पीवीसी पेस्ट रेज़िन की माँग वर्ष 2022-23 में 139 केटी से 163 केटी तक बढ़ गई, जिसे घरेलू उत्पादक पूरा करने में असफल रहे। योजनाबद्ध विस्तार साकार नहीं हो सके, अतः आयात अपरिहार्य हो गए। आयात निम्नस्तरीय प्रसंस्करण उद्योग (एमएसएमई) तथा अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक सहारा प्रदान करते हैं। आवेदक द्वारा क्षमता न बढ़ाने से कथित क्षति संदिग्ध हो जाती है तथा माँग पूर्ति में आयात की महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होती है।
- न. प्रकटीकरण वक्तव्य इस विषय में मौन है कि स्थल पर सत्यापन के दौरान किन विशिष्ट पहलुओं की जाँच की गई।
- न. बीआईएस प्रमाणन जाँच-अवधि के उपरांत प्राप्त किया गया, अतः इसे यह निर्धारित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता कि जाँच-अवधि के दौरान आवेदक उन ग्रेडों के निर्माण में सक्षम था या नहीं।
- प. उपयोगकर्ता मात्र वे विशेष ग्रेड आयात कर रहे हैं जिन्हें आवेदक निर्मित नहीं करता। ये ग्रेड उच्च मूल्य वाले हैं एवं आवेदक के उत्पाद के समान (लाइक आर्टिकल) नहीं हैं।
- फ. प्राधिकारी ने प्रकटीकरण वक्तव्य में उल्लेख किया है कि उपयोगकर्ता उद्योग ने विस्कोसिटी, जैलेशन, वायु-मुक्ति इत्यादि के आधार पर मूल्य-अंतर की कोई विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की। उपयोगकर्ता उद्योग के पास ऐसे विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकारी को चाहिए था कि वह ये आँकड़े सहभागी उत्पादकों से प्राप्त करे।
- ब. के-वैल्यू 75 से अधिक वाले उत्पाद के उत्पादन एवं आपूर्ति संबंधी प्राधिकारी का अवलोकन उपयोगकर्ता उद्योग की जानकारी में नहीं है।
- भ. पिछली समापन-अवधि समीक्षा में आवेदक के उत्पाद की विशिष्टताओं पर बल दिया गया था, परंतु प्रत्येक प्रतिकूपण जाँच अपनी पृथक जाँच-अवधि पर आधारित होती है। अतः पूर्व निष्कर्ष वर्तमान जाँच पर सीधे लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि समय और बाज़ार की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है।
- म. प्राधिकारी को आवेदक के ग्रेडवार बिक्री आँकड़े एवं उन बिलों की प्रतियाँ सार्वजनिक करनी चाहिए, जिनसे पुष्टि हो कि जाँच-अवधि के दौरान आवेदक ने मोटर वाहन उद्योग हेतु उपयुक्त निम्न-फॉगिंग ग्रेड की आपूर्ति की।
- य. आईएस 17658:2021 मानक को जाँचाधीन उत्पाद की विशेषताओं के निर्धारण हेतु मार्गदर्शक मानदंड माना जाना चाहिए। आईएस 17658:2021 ने प्राधिकारी के पूर्व निष्कर्षों एवं आईआईटी दिल्ली की पूर्व रिपोर्ट को प्रतिस्थापित कर दिया है।

- र. प्राधिकारी ने उपयोगकर्ता की उस टिप्पणी पर विचार नहीं किया जिसमें आवेदक द्वारा मुनाफे के आँकड़ों पर गोपनीयता के दावे को चुनौती दी गई थी। उपयोगकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट में भारी मुनाफा प्रदर्शित होने पर भी आवेदक क्षति का दावा कर रहा है। एक पारदर्शी एवं तर्कसंगत क्षति विश्लेषण के लिए खंडवार लाभ आँकड़ों की समीक्षा आवश्यक है।
- र. प्रतिकूपण शुल्क के कारण कच्चे माल की लागत में लगभग 4-5% वृद्धि संभव है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, निम्नस्तरीय प्रसंस्कृत आयात में वृद्धि तथा एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस शुल्क से एकाधिकार जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जो घरेलू उत्पादकों को अनुचित लाभ पहुँचाएगी तथा आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार को क्षति पहुँचेगी।

ट..2 आवेदक की ओर से पोस्ट-प्रकटीकरण प्रस्तुतियाँ

211. आवेदक द्वारा प्रकटीकरण वक्तव्य पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं:

- क. केवल इस कारण कि जाँच अवधि के दौरान कोई विशिष्ट ग्रेड आयात नहीं हुआ है, उसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतीत में ऐसे ग्रेडों पर शुल्क लगाए गए हैं जिन्हें जाँच अवधि में आयात नहीं किया गया था।
- ख. इस तथ्य मात्र से कि निर्माता ने इन प्रक्रियाओं में भाग लिया है और पूर्वानुमानित रूप से उस ग्रेड को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है, इंगित होता है कि भविष्य में वह उक्त उत्पाद का भारत को निर्यात करने का मन रखता है।
- ग. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, विशेषकर सामूहिक उपभोग वाले उत्पादों के लिए, मूल्य कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। अतः किसी मूल्य-मानक (प्राइस बेंचमार्क) की गैर-मौजूदगी में, बायोविन (बायोविन) तथा आवेदक द्वारा निर्मित ग्रेडों के बीच मूल्य-अंतर जल में रेखा खींचने के समान है।
- घ. मूल्य-मानक की माँग पर “संतुलित संभावना” के सिद्धांत के तहत विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट संभावना है कि भविष्य में बायोविन आवेदक को क्षति पहुँचा सकता है।
- ङ. हान्वा के पास जाँचाधीन उत्पाद का एक संबद्ध उपयोगकर्ता है - *** जो उक्त उत्पाद को निर्माता से खरीदता है। हान्वा ने अपने प्रश्नावली उत्तर में इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया, जो निर्माता की दुर्भावना को दर्शाता है।

- च. हान्वा ने यह जानकारी भी छिपाई है कि उसका संबद्ध निर्यातक - हान्वा केमिकल कॉर्पोरेशन ने भी जाँचाधीन उत्पाद का निर्यात किया है। *** तथा *** ने भी उक्त उत्पाद का निर्यात किया है।
- छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह (क) हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन को छोड़कर अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा का प्रकटीकरण करें एवं (ख) हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन के निर्यात मूल्य की गणना में उनके साथ किए गए व्यवहार का भी खुलासा करें।
- ज. चूँकि हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन कोरिया आरपी से उत्पाद का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्यातित उत्पाद हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन द्वारा ही निर्मित है तथा उपर्युक्त लेनदेन उसी निर्माता के निर्यात हैं।
- झ. चूँकि निर्माता ने संबद्ध इकाई द्वारा किए गए निर्यात से संबंधित जानकारी छिपाई है, अतः संबद्ध इकाई के माध्यम से किए गए निर्यातों पर प्रतिकूल तथ्यों (एडवर्स फैक्ट्स) का प्रयोग अनिवार्य है।
- ट. आवेदक ने हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदत्त सामान्य मूल्य के जाँच की माँग की थी। यह आवश्यक था ताकि यह परखा जा सके कि निर्माता द्वारा दर्शाए गए एथिलीन व वीसीएम के मूल्य यथोचित एवं उपयुक्त रूप से बाज़ार-मूल्यों को दर्शाते हैं अथवा नहीं। प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटीकरण वक्तव्य में इस संबंध में पूर्णतः मौन साधा गया है।
- ठ. हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन तथा फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने घरेलू बिक्री मूल्य में भी पैकिंग लागत को समायोजन के रूप में दर्शाया है। दोनों बाजारों में पैकिंग की विधि काफ़ी भिन्न है। घरेलू बाज़ार के लिए केवल एक ही प्रकार की पैकिंग है जबकि निर्यात बाज़ार में दो प्रकार की पैकिंग हैं। केवल "पैलेट्स" के रूप में माध्यमिक पैकिंग को ही शुद्ध निर्यात मूल्य की गणना में समायोजित किया जाना चाहिए था।
- ड. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि वह निर्यातकों को निर्देश दे कि वे यह दर्शाएँ कि उनके उत्पादों को घरेलू एवं निर्यात बाज़ार में कैसे पैक किया जाता है। जारी प्रकटीकरण वक्तव्य इस विषय पर भी मौन है।
- ढ. हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन की भारत में एक संबद्ध इकाई है जो निर्माता की ओर से एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, जिसे उत्तर (रिस्पॉन्स) दायर करना आवश्यक था।

- ण. कंपनी के अधिनियम (आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन) के अनुसार, भारतीय इकाई ने एजेंसी सेवा को अपने प्रमुख कार्यों में सूचीबद्ध किया है। यह भारतीय इकाई एजेंटों की पहचान करना, बिक्री में सहायक होना, प्रस्ताव प्राप्त करना, बिक्री समर्थन प्रदान करना तथा कुछ ग्राहकों के संबंध में तार्किक सेवाएँ देना जैसे कार्य करती है।
- त. चीन एवं कोरिया से सीपीवीसी आयात संबंधी प्रतिकूपण जाँच में हान्वा ने अपनी भारतीय संबद्ध इकाई के साथ मिलकर उत्तर प्रस्तुत किया था। जब पिछले प्रकरण में निर्माता ने भारतीय इकाई को विपणन संबंधी कार्य करने वाली संबद्ध इकाई के रूप में दर्शाया था, तो प्राधिकारी के पास कोई कारण नहीं है कि वह वर्तमान प्रकरण में भी उसे वही भूमिका निभाने वाली इकाई न माने।
- थ. भारतीय इकाई ने हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन, अपनी मूल कंपनी, से प्राप्त सेवाओं के एवज में उल्लेखनीय राशि दर्ज की है। संबद्ध इकाई को उत्तर दाखिल करना आवश्यक था और इन बिक्री व्ययों तथा हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन द्वारा अर्जित युक्तिसंगत लाभ के समायोजन किए जाने चाहिए थे।
- द. निर्यातक ने प्राधिकरण को प्रश्नावली उत्तर में भ्रामक जानकारी देकर पदार्थतः महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। यदि निर्यातक भारतीय बाज़ार से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा सकता है, तो यह संभव है कि कोरियाई इकाई से जुड़े तथ्यों को और भी अधिक छिपाया गया हो।
- ध. संबद्ध इकाई द्वारा उत्तर दाखिल करने की आवश्यकता "व्यापार उपचार अन्वेषण के संचालन अभ्यास नियमावली" में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- न. बिक्री प्रक्रिया में शामिल सभी संबद्ध इकाइयों के संबंध में पूर्ण उत्तर आवश्यक हैं ताकि बिक्री लागत का सही-सही निर्धारण हो सके। यदि ये इकाइयाँ बिक्री प्रक्रिया में शामिल हैं, तो उनकी व्यय-राशि बिक्री लागत/निर्मित निर्यात मूल्य का भाग मानी जाएगी और उसे उपयुक्त रूप से समाविष्ट किया जाना चाहिए।
- प. संबद्ध पक्षों को उत्तर दायर करने की आवश्यकता (क) प्री-सेंसिटाइज़्ड पॉज़िटिव ऑफ़सेट प्रिंटिंग प्लेट्स (बुल्गारिया, चीन, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से) तथा (ख) वृत्ताकार बुनाई मशीनों के मामलों में भी रही है।
- फ. वृत्ताकार बुनाई मशीनों के आयात संबंधी प्रतिकूपण जाँच में समायोजन उस स्थिति में भी किया गया था जब कंपनी प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों में संलग्न नहीं थी।
- ब. नॉन-ओवन फैब्रिक (मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब एवं चीन से) के आयात संबंधी प्रतिकूपण जाँच में प्राधिकारी ने एक उत्पादक द्वारा दायर उत्तर को

- अस्वीकार कर दिया था क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, उसने भारत में विपणन कार्यालय के अस्तित्व को उजागर नहीं किया था।
- भ. यदि संबद्ध व्यापारी एवं आयातक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत को जाँचाधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल हैं, तो उन्हें उत्तर दाखिल करना अनिवार्य है। सूचना के अभाव में प्राधिकारी प्रतिकूल तथ्यों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।
- म. हान्वा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड केवल हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन के लिए ही एजेंसी व्यवसाय करता है। हान्वा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का समस्त राजस्व हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन से प्राप्तियों के रूप में है। हान्वा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए व्यय, जो हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन से वसूल किए जाते हैं, उन्हें जाँचाधीन उत्पाद पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवंटित करना चाहिए कि हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कुल निर्यात कितने हैं।
- य. हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन द्वारा अर्जित मुनाफे के समायोजन भी किए जाने चाहिए।
- र. अन्य अन्वेषण प्राधिकारियों का भी यह प्रचलन है कि बिक्री प्रक्रिया में शामिल संबद्ध पक्षों से सभी सूचनाएँ, जिसमें बिक्री पर किए गए व्यय भी शामिल हैं, माँगी जाती हैं।
- ल. यूएसडीओसी निर्यातक देश, आयातक देश (अमेरिका) तथा यहाँ तक कि तृतीय देशों में स्थित संबद्ध पक्षों से भी पूर्ण जानकारी माँगता है यदि वे बिक्री प्रक्रिया में शामिल हों। इसी प्रकार यूरोपीय संघ के मामले में भी ग्राहकों से प्रथम संपर्क से लेकर बिक्री पश्चात मूल्य समायोजन तक प्रत्येक चरण की जानकारी देनी पड़ती है।
- व. कानेका (द्वारा प्रस्तुत उपक्रम में यह कहा गया है कि उपक्रम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से 3 माह पश्चात प्रभावी होगा। कानेका द्वारा उल्लिखित तीन माह की समय-सीमा का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह सूचित किया जा सकता है कि उपक्रम प्राधिकारी की संस्तुतियों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

212. प्राधिकारी ने हितकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत पोस्ट-प्रकटीकरण निवेदनों का परीक्षण किया है। यह देखा गया है कि इन प्रस्तुतियों का अधिकांश भाग तर्कों और प्रत्यावेदन

(कॉन्टेन्शन्स) की पुनरावृत्ति मात्र है, जिन पर पहले ही यथासंभव संबंधित अंतिम निष्कर्षों के अनुच्छेदों में विचार किया जा चुका है। संक्षिप्तता की दृष्टि से, प्राधिकारी ने ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया को दोहराने से परहेज किया है। तथापि, जिन नए मुद्दों को पोस्ट-प्रकटीकरण प्रस्तुतियों में पहली बार उठाया गया है, तथा वे पूर्व में संबोधित मुद्दे जिन पर प्राधिकारी को और अधिक जाँच उपयुक्त प्रतीत हुई, उन पर नीचे विचार एवं उत्तर प्रदान किए गए हैं।

213. प्राधिकारी ने उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, जाँचाधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों की भूमिका, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), केमप्लास्ट की उत्पादन क्षमता तथा पीवीसी पेस्ट रेज़िन के विशिष्ट ग्रेडों से संबंधित दावों पर विभिन्न हितकारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित अवलोकन करता है:

बीआईएस मानकों और पीसीएन पद्धति के कथित घालमेल पर:

214. प्राधिकारी पुनः स्पष्ट करता है कि पीसीएन पद्धति तथा बीआईएस मानकों के उद्देश्य परस्पर भिन्न हैं। आईएस 17658:2021 के तहत निर्धारित बीआईएस मानक पीवीसी पेस्ट रेज़िन के तकनीकी विनिर्देशों एवं गुणवत्ता मानदंडों को निर्धारित करते हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता सुरक्षा तथा तकनीकी प्रयोजनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, पीसीएन पद्धति व्यापार उपायों से संबंधित जाँच में विभिन्न ग्रेडों के मूल्य व लागत की निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने हेतु अपनाई जाती है। पीसीएन के प्रयोग से आयातित जाँचाधीन माल और घरेलू समरूप उत्पाद के बीच तुलनीयता स्थापित की जाती है, जो डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

215. यह तथ्य कि बीआईएस मानकों के तहत उत्पाद को आठ ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है, पीयूसी से इन ग्रेडों को स्वतः बाहर करने की आवश्यकता नहीं बनाता। सिर्फ विभिन्न ग्रेडों का अस्तित्व पीवीसी पेस्ट रेज़िन की मूल प्रकृति को एकल उत्पाद के रूप में परिवर्तित नहीं करता है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति विभिन्न ग्रेडों के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करती है, और पीयूसी का दायरा उन सभी ग्रेडों को

समुचित रूप से शामिल करता है जिनमें आवश्यक भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएँ समान हैं। इस प्रकार बीआईएस वर्गीकरण पर भरोसा करके ग्रेडों को बाहर करने का आग्रह अनुचित और वर्तमान जाँच के संदर्भ में अप्रासंगिक है।

क्यूसीओ के कार्यान्वयन एवं उसके एंटी-डंपिंग शुल्क पर प्रभाव पर:

216. हितकारी पक्षों द्वारा क्यूसीओ (QCO) के प्रभावी होने (24 दिसम्बर 2024) के संबंध में दिए गए तर्क असमय तथा आधारहीन हैं। यह सही है कि क्यूसीओ सभी निर्माताओं (विदेशी निर्यातकों सहित) के लिए बीआईएस अनुपालन अनिवार्य करेगा, परंतु क्यूसीओ का कार्यान्वयन और उसका आयात पर प्रभाव वर्तमान एंटी-डंपिंग जाँच के दायरे से परे हैं। एंटी-डंपिंग उपाय अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने हेतु लगाए जाते हैं। क्यूसीओ का लागू होना डंपिंग, मूल्य-अधोआधारण (प्राइस अंडरकटिंग) अथवा घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित मुद्दों को स्वतः समाप्त नहीं करता।

217. अतिरिक्त रूप से, क्यूसीओ अनुपालन एक भावी नियामकीय आवश्यकता है, जिसका इस समय प्रभावी ढंग से पूर्वानुमान करते हुए व्यापार उपचार उपायों से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह पूर्वकल्पना नहीं कर सकता कि क्यूसीओ लागू होने पर पाटित आयात बंद हो जाएंगे या यह कि जाँच अवधि के दौरान हुई क्षति की अनदेखी की जा सकेगी। विदेशी उत्पादकों द्वारा भविष्य में अनुपालन की संभावना वर्तमान क्षति के समाधान से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। अतः यह कथन कि क्यूसीओ की वजह से एंटी-डंपिंग शुल्क अनावश्यक हो जाएंगे, निराधार है।

कुछ ग्रेडों (विशेष ग्रेडों सहित) को बाहर करने तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता पर:

218. हितकारी पक्षों द्वारा ऐसे ग्रेडों को बाहर करने का आग्रह किया गया है जिनकी के-वैल्यू 75 से अधिक है, साथ ही इनाँविन पीवीसी P1510, इनाँविन पीवीसी P16 तथा विशिष्ट ग्रेडों के विषय में भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, साथ ही घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता पर प्रश्न उठाए गए हैं। इस पर प्राधिकारी निम्न अवलोकन करता है:

- क) आवेदक ने उन ग्रेडों की सूची प्रस्तुत की है जो आयातित उत्पादों के तुलनीय हैं। आवेदक के उत्पादों का बीआईएस अनुमोदन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि उसके उत्पाद और जाँचाधीन देशों से आयातित उत्पाद परस्पर समरूप हैं।
- ख) यह कहा गया कि उपयोगकर्ता केवल विशिष्ट ग्रेड आयात कर रहे हैं जो उच्च मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्राधिकारी ने जाँच अवधि में विविध ग्रेडों के मूल्य प्रवाह के अध्ययन हेतु लेनदेनवार आयात आँकड़ों का परीक्षण किया। पाया गया कि विभिन्न ग्रेडों के मूल्यों में कोई उल्लेखनीय भिन्नता नहीं है। यदि अन्य हितकारी पक्षों के तर्क स्वीकार्य होते, तो विभिन्न ग्रेडों के बीच मूल्य में स्पष्ट अंतर दिखाई देता।
- ग) उपयोगकर्ताओं ने यह भी कहा कि वे प्रायः 75 से अधिक के-वैल्यू वाले उत्पाद आयात करते हैं जिन्हें आवेदक आपूर्ति नहीं करता। इस पर प्राधिकारी ध्यान दिलाता है कि आवेदक ने महत्वपूर्ण मात्रा [***] मीट्रिक टन पीवीसी पेस्ट रेज़िन - 121 और पीवीसी पेस्ट रेज़िन - 128 बेचा है जिनकी के-वैल्यू 75 से अधिक है और जो बीआईएस से अनुमोदित भी हैं।
- घ) जिन विशिष्ट ग्रेडों को कुछ हितकारी पक्षों द्वारा अलग उत्पाद खंड मानते हुए बाहर करने का सुझाव दिया गया, प्राधिकारी ने पाया कि यह प्रमाणित नहीं किया गया कि ये इतने अनूठे हैं कि वे पीवीसी पेस्ट रेज़िन के व्यापक दायरे से बाहर हों। इस प्रकार इन ग्रेडों को पीवीसी से बाहर करने का कोई विधिक या तकनीकी आधार नहीं है।

आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट के उपयोग पर:

219. प्राधिकारी स्वीकार करता है कि कुछ पक्षों ने 2013 की आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट के अप्रासंगिक होने का दावा किया है, परंतु यह रेखांकित करना आवश्यक है कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट जाँच में प्रयुक्त कई साक्ष्यों में से एक है। 2021 में बीआईएस मानकों का लागू होना पूर्व के तकनीकी अध्ययनों की प्रासंगिकता को शून्य नहीं करता। प्राधिकारी का निर्णय उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। अतः आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट को पूर्णतः खारिज करने का तर्क निष्प्रभावी है।
220. प्राधिकारी ने हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन (एचएससी) के विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पोस्ट-प्रकटीकरण टिप्पणियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और प्राप्त तथ्यों,

अभिलेखों एवं जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदनों के आधार पर निम्न निष्कर्ष एवं अवलोकन किए हैं:

घरेलू उपयोगकर्ता (*) से संबंध, अन्य आपूर्तिकर्ताओं के निर्यात मात्रा का खुलासा एवं निर्यात मूल्य गणना में उनका विवरण छिपाने के आरोप पर:**

221. प्राधिकारी ने उपर्युक्त आरोपों की जाँच की और निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा:

- क) घरेलू उद्योग ने कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया, जो एचएससी और *** के बीच संबंध अथवा "दुर्भावना" सिद्ध करता हो। अतः प्राधिकारी को इस आरोप में कोई सार नज़र नहीं आता।
- ख) कुछ अन्य इकाइयों के माध्यम से निर्यात करने तथा उन्हें छिपाने के आरोप पर, एचएससी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों/सूचनाओं के आधार पर प्राधिकारी पाता है कि जाँच अवधि में विषयवस्तु वाले उत्पाद का निर्यात एचएससी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया।
- ग) निर्यात मूल्य गणना पूर्णतः एचएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापित आँकड़ों और सहायक दस्तावेजों पर आधारित है। गोपनीय निर्यात मात्रा के खुलासे का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हान्वा केमिकल कॉर्पोरेशन तथा हान्वा कॉर्पोरेशन के माध्यम से किए गए निर्यात के कथित छिपाने के आरोप पर:

222. घरेलू उद्योग का आरोप है कि हान्वा केमिकल कॉर्पोरेशन ने जाँचाधीन उत्पाद का निर्यात किया और एचएससी ने यह जानकारी छिपाई। इस पर प्राधिकारी पाता है:

- क) हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन पहले हान्वा केमिकल कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती थी (राजपत्र अधिसूचना संख्या 3/2021-कस्टम्स (एडीडी) दिनांक 28.01.2021 के माध्यम से प्रमाणित)। कॉरपोरेट नाम में परिवर्तन को छिपाना या जानकारी छिपाना नहीं माना जा सकता।

ख) हान्वा कॉर्पोरेशन के माध्यम से निर्यात के आरोप पर, एचएससी ने उपयुक्त निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जाँच अवधि के दौरान समस्त निर्यात एचएससी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए, न कि किसी अन्य संबद्ध या असंबद्ध इकाई द्वारा।

संबद्ध इकाई द्वारा सूचना छिपाए जाने के कारण प्रतिकूल तथ्यों के प्रयोग के आरोप पर:

223. घरेलू उद्योग ने मांग की कि एचएससी की संबद्ध इकाइयों द्वारा किए गए लेनदेन पर प्रतिकूल तथ्यों (एडवर्स फैक्ट्स) का प्रयोग किया जाए। इस संबंध में प्राधिकारी अवलोकन करता है:

क) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया, यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं कि निर्यात किसी अप्रकाशित संबद्ध इकाई के माध्यम से किया गया।

ख) कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 की धारा 9A(6A) के तहत प्रतिकूल तथ्यों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब निर्यातक अपेक्षित अभिलेख या सूचना देने में विफल रहे। इस मामले में एचएससी ने पूर्ण सहयोग दिया है और प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतियाँ सत्यापित की गई हैं।

ग) अतः एचएससी के लेनदेन पर प्रतिकूल तथ्यों का प्रयोग करने की मांग उचित नहीं है।

सामान्य मूल्य तथा एथिलीन एवं वीसीएम जैसे इनपुट के मूल्य की जाँच पर:

224. घरेलू उद्योग का कथन है कि एचएससी द्वारा प्रदत्त सामान्य मूल्य की जाँच की जाए कि क्या एथिलीन और वीसीएम जैसे प्रमुख इनपुट बाजार मूल्य को उचित रूप से दर्शाते हैं। प्राधिकारी पाता है:

क) एचएससी ने उत्पादन लागत का विस्तृत विवरण, जिसमें एथिलीन और वीसीएम जैसी प्रमुख कच्ची सामग्रियों की लागत सम्मिलित है, प्रस्तुत किया है। इन लागतों की प्राधिकारी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया में जाँच की गई।

- ख) घरेलू उद्योग ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जो दर्शाए कि दर्ज की गई लागतें प्रचलित बाजार परिस्थितियों से मेल नहीं खातीं।
- ग) विपरीत साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी को एचएससी द्वारा प्रस्तुत सामान्य मूल्य या इनपुट लागतों को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता।

घरेलू एवं निर्यात बाजारों के लिए पैकिंग लागत के समायोजन पर:

225. घरेलू उद्योग का तर्क है कि निर्यात बाजार में द्वितीयक पैलेट पैकिंग लागत को समायोजित किया जाना चाहिए। इस पर प्राधिकारी पाता है:

- क) घरेलू उद्योग के प्रस्तुतियों के अनुसार, हान्वा निर्यात के लिए घरेलू बिक्री की तुलना में अतिरिक्त लागत वहन करता है। प्राधिकारी को ज्ञात है कि एचएससी ने घरेलू बिक्री (अनुलेख-4ए) और भारत को निर्यात (अनुलेख-3ए) से संबंधित पैकिंग लागतों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। धारा 9A(6A) कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के अनुसार जब तक निर्माता/निर्यातक अपेक्षित अभिलेख या सूचना उपलब्ध कराता है, प्राधिकारी तथ्यों की उपलब्धता के आधार पर मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकता।
- ख) घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने हेतु कोई प्रमाण नहीं दिया कि एचएससी घरेलू एवं निर्यात बिक्री में अलग-अलग पैकिंग लागत वहन करता है। वर्तमान जाँच की परिस्थितियों में केवल द्वितीयक पैकेजिंग लागतों को समायोजित करने का घरेलू उद्योग का आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत स्थित हान्वा कार्यालय से संबंधित समायोजन:

226. प्राधिकारी ध्यान दिलाता है कि हान्वा ने अपने प्रश्नावली उत्तर में हान्वा इंडिया कार्यालय के बारे में विधिवत जानकारी दी है, अतः सूचना छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे यह कहा गया है कि जाँच अवधि में पीयूसी का निर्यात प्रत्यक्ष रूप से हान्वा द्वारा भारत के असंबद्ध आयातकों को किया गया। साथ ही हान्वा कोरिया ने ऐसे सभी निर्यातों पर कोरिया में ही दलाली/एजेंसी कमीशन का भुगतान कर दिया। इसका समायोजन हान्वा द्वारा दायर उत्तर में दावा किया गया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी है।

227. प्राधिकारी ने प्राथमिक निष्कर्षों में बताए गए आँकड़ों संबंधी विसंगतियों के मुद्दे पर भी सावधानीपूर्वक पुनर्परीक्षण किया। दोनों - उठाए गए विशिष्ट मुद्दों तथा संभावित अन्य विसंगतियों को सुधारते हुए, आँकड़ों को यथासंभव दुरुस्त किया गया है। प्रकटीकरण वक्तव्य एवं ये अंतिम निष्कर्ष आयात मात्रा, उतरे हुए मूल्य एवं माँग के अद्यतन आँकड़ों को परिलक्षित करते हैं।
228. एफपीसी निंग्बो को मार्केट इकॉनमी ट्रीटमेंट देने संबंधी विषय पर प्राधिकारी ध्यान दिलाता है कि केवल निर्माता द्वारा बताए गए कारकों के आधार पर यह दर्जा नहीं दिया जा सकता। फॉर्मोसा निंग्बो ने यह नहीं दर्शाया कि भूमि, वित्तपोषण, पूँजीगत वस्तुएँ, कच्चे माल और युटिलिटी की खरीद बाजार मूल्य पर और बिना सरकारी दखल के हो रही है।
229. ताइवान को एक सरोगेट देश के रूप में मानने के संबंध में, प्राधिकारी उल्लेख करता है कि इस विषय पर पहले ही प्रकटीकरण वक्तव्य में विचार किया जा चुका है। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन देश के विकास स्तर तथा उत्पाद के मद्देनज़र किया जाता है। यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई कि ताइवान उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, विशेष रूप से तब जब ताइवान भी जाँच के दायरे में है।
230. 22% प्रतिलाभ को गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) निर्धारण हेतु अनुपयुक्त बताने पर, प्राधिकारी यह ध्यान देता है कि पूँजी पर 22% प्रतिलाभ प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार सभी मामलों में लागू किया जाता है। हालाँकि 22% पूँजीगत निवेश प्रतिफल को अनुपयुक्त बताया गया, परंतु अन्य हितकारी पक्ष कोई वैकल्पिक विधि प्रस्तुत नहीं कर सके।
231. माँग एवं आपूर्ति अंतर संबंधी टिप्पणियों पर प्राधिकारी ध्यान देता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य आयात को रोकना नहीं, बल्कि उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होता। सीईएसटीएटी ने डीएसएम इडेमिट्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी मामले में कहा कि माँग-आपूर्ति अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहरा सकता। विदेशी उत्पादक बिना डंपिंग किए भी भारतीय माँग पूरी कर सकते हैं।

232. प्राधिकारी ध्यान देता है कि हितकारी पक्षों की प्रस्तुतियाँ विरोधाभासी हैं। जहाँ पहले यह कहा गया था कि एथिलीन की कीमत में कमी से आयात मूल्य घटा, अब कहा जा रहा है कि पीवीसी और एथिलीन के मूल्य एक समान नहीं चलते क्योंकि अन्य कारक भी मूल्य को प्रभावित करते हैं। परंतु इन अन्य कारकों के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गया। इसके विपरीत, प्राधिकारी ने पाया कि जाँचाधीन देशों से निर्यात मूल्य उनके सामान्य मूल्य से काफी कम हैं, जिससे स्पष्ट है कि आयात मूल्य में गिरावट डंपिंग के कारण हुई है।
233. वार्षिक रिपोर्ट में मुनाफे संबंधी टिप्पणियों पर, आवेदक एक बहु-उत्पादक कंपनी है जो अनेक उत्पाद बनाती है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक की उत्पादन लागत की पूर्णतः जाँच की है और संतुष्ट है कि ये अभिलेख सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित लागतों को यथोचित दर्शाते हैं।
234. मूल्य के कारण घरेलू उत्पादकों की लागत बढ़ने संबंधी हितकारी पक्षों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी यह नोट करता है कि एंटी-डंपिंग उपाय समान अवसर प्रदान करेंगे और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। जाँच अवधि में आयात मूल्य उल्लेखनीय रूप से गिरा है और एंटी-डंपिंग शुल्क जोड़ने के पश्चात भी आयातित उत्पाद का उतरा हुआ मूल्य वर्ष 2021-22 के मूल्यों से कम ही रहेगा।

ठ. निष्कर्ष:

235. प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों, सूचना और प्रस्तुतियों तथा ऊपर दर्ज विश्लेषण के आधार पर डंपिंग, क्षति एवं घरेलू उद्योग के बीच कारणिक संबंध की जाँच कर यह निष्कर्ष निकाला जाता है:

क) वर्तमान जाँच का जाँचाधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेज़िन' (इमल्शन पीवीसी रेज़िन) है। 60K से कम के-वैल्यू वाले उत्पाद, पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन, को-पॉलिमर ऑफ पीवीसी पेस्ट रेज़िन, बैटरी सेपरेटर रेज़िन, इनाॅविन द्वारा निर्मित बायोविनाIM इस जाँचाधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

- ख) आवेदक द्वारा प्रदत्त उत्पाद आयातित उत्पाद के समान (लाइक आर्टिकल) है।
- ग) केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में आता है और आवेदन नियम 2(ब) तथा नियम 5(3) के तहत योग्य ठहरता है।
- घ) जाँचाधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर विचार करने पर डंपिंग मार्जिन सकारात्मक तथा उल्लेखनीय रूप से उच्च पाया गया है।
- ङ) हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन के लिए डंपिंग मार्जिन डि-मिनिमिस (नगण्य) पाया गया है।
- च) जाँचाधीन उत्पाद के आयात की जाँच से पता चलता है कि जाँच अवधि में जाँचाधीन देशों से डंप किए गए आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि न केवल पूर्ण संख्या में बल्कि उत्पादन और खपत के अनुपात में भी हुई है।
- छ) आयात मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है, जिससे मूल्य-अधोआधारण हो रही है।
- झ) आयात मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं बढ़ा, जिससे घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप मूल्य बढ़ाने से वंचित रहा।
- ट) घरेलू उद्योग को मात्रा के संदर्भ में क्षति नहीं हुई। उसका उत्पादन एवं बिक्री सुधरी है। डंप किए गए आयातों का हानिकारक प्रभाव मूल्य पैरामीटर पर पड़ता है।
- ठ) घरेलू उद्योग वित्तीय घाटा, नकदी घाटा तथा पूँजीगत निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल झेल रहा है।
- ड) जाँचाधीन उत्पाद के डंपिंग ने घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- ढ) प्राधिकारी ने अन्य पक्षों द्वारा यह दर्शाने के लिए उठाए गए तर्कों की जाँच की कि अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई। कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाता प्रतीत नहीं होता। प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति जाँचाधीन देशों से डंप किए गए आयातों के कारण हुई।
- ण) एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता ग्राहक के लिए बाधित नहीं होगी। उत्पाद का आयात निष्पक्ष मूल्य पर जारी रहेगा।
- त) प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव की गणना की है और पाया कि अंतिम उपभोक्ता पर इसका प्रभाव नगण्य होगा।
- थ) इस उत्पाद की पूर्व में भी जाँच हुई है और शुल्क लगने के दौरान माँग निरंतर बढ़ी है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि उपायों के कारण उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ड. अनुशंसाएँ:

236. प्राधिकारी ध्यान दिलाता है कि जाँच प्रारंभ कर सभी हितकारी पक्षों—घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितधारकों—को डंपिंग, क्षति, कारणिक संबंध एवं सुझाए गए उपायों के प्रभाव पर सकारात्मक जानकारी देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। एंटी-डंपिंग नियमों के तहत डंपिंग, क्षति एवं कारणिक संबंध की जाँच करते हुए प्राधिकारी समझता है कि डंपिंग एवं क्षति को संतुलित करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है।
237. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतम शुल्क नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जाँच अवधि के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के हानिकारक प्रभावों को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दिए गए इयूटी तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाती है, जिसे जाँचाधीन देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए जाँचाधीन माल के सभी आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा 13 जून 2024 को अधिसूचना संख्या 09/2024-कस्टम्स (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम शुल्क के आरोपण की अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाए।
238. कानेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएच बीएचडी, मलेशिया, ने नामित प्राधिकारी को एक मूल्य उपक्रम दिया है और सहमति व्यक्त की है कि वह जाँचाधीन उत्पाद को सीधे अथवा मध्यस्थों के माध्यम से ऐसे मूल्यों पर भारत नहीं बेचेगा जो प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यों से कम हों। प्राधिकारी ने कानेका द्वारा प्रस्तुत मूल्य उपक्रम पर विचार किया। इसके पश्चात घरेलू उद्योग के विचार भी माँगे गए। घरेलू उद्योग ने कुछ आरक्षणों के साथ इसे स्वीकार किया। कानेका ने घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त आरक्षणों को दूर किया है। अतः प्राधिकारी कानेका द्वारा प्रस्तुत मूल्य उपक्रम को स्वीकार करता है। तदनुसार कानेका द्वारा किए गए निर्यात उपक्रम के अंतर्गत रहेंगे और इन निर्यातों पर कोई एंटी-डंपिंग शुल्क प्रस्तावित नहीं किया जाता। मूल्य उपक्रम प्राधिकारी की अंतिम सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू करने की तिथि से प्रभावी होगा। मूल्य उपक्रम की वैधता एंटी-डंपिंग शुल्क की अवधि के समतुल्य होगी और नियमों के प्रावधानों के

अनुसार पुनरावलोकन के अधीन रहेगी। यह उपक्रम (i) एडवांस लाइसेंस रखने वाले आयातकों को की गई बिक्री या (ii) निर्यातोन्मुख इकाइयों को की गई बिक्री पर लागू नहीं होगा। कंपनी को उपयुक्त सूचना प्राधिकारी को प्रदान करनी होगी कि उपरोक्त मूल्य उपक्रम का उल्लंघन नहीं हो रहा। इस प्रकार कानेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएच बीएचडी द्वारा किए गए आयातों पर कोई एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगेगा। प्राधिकारी समय-समय पर कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों की समीक्षा करेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि उपक्रम का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। उपक्रम के किसी भी उल्लंघन पर प्रासंगिक नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क तालिका

क्रम संख्या	उप-शीर्षक या टैरिफ मद संख्या	वस्तु का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क
1	39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39042200, 39043010, 39043090, 39049000, 39044000, 39049090##	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेज़िन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेज़िन भी कहा जाता है#	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कं. लिमिटेड	595
2	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	शेनयांग केमिकल कं. लिमिटेड	248
3	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	707

4	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	चीन पीआर	कोई भी उत्पादक	707
5	उपरोक्त	उपरोक्त	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी सहित कोई भी देश	हान्वा सॉल्यूशन्स कॉर्पोरेशन	NIL
6	उपरोक्त	उपरोक्त	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 5 के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	89
7	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	कोरिया आरपी	कोई भी उत्पादक	89
9	उपरोक्त	उपरोक्त	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	516
10	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी उत्पादक	516
11	उपरोक्त	उपरोक्त	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन	247

12	उपरोक्त	उपरोक्त	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 11 के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	373
13	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	373
14	उपरोक्त	उपरोक्त	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	टीपीसी पेस्ट रेज़िन कं. लिमिटेड	343
15	उपरोक्त	उपरोक्त	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 14 के अलावा अन्य कोई भी उत्पादक	421
16	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	421
17	उपरोक्त	उपरोक्त	नॉर्वे	नॉर्वे सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	495
18	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन पीआर, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और नॉर्वे को छोड़कर अन्य कोई भी देश	नॉर्वे	कोई भी उत्पादक	495

निम्नलिखित उत्पादों को जाँचाधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

क) 60K से कम के K-वैल्यू वाले जाँचाधीन उत्पाद

ख) पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन

ग) पीवीसी पेस्ट रेज़िन के को-पॉलिमर

घ) बैटरी सेपरेटर रेज़िन

ड) बायोविन टी एम, जिसे नवीकरणीय/जैव फीडस्टॉक से निर्मित किया गया हो और टिकाऊपन के स्वीकार्य प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया गया हो

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँचाधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

239. उपर्युक्त के अधीन, प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 6/17/2023-DGTR दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम से अनुशंसित प्रारंभिक निष्कर्षों की यहां पुष्टि की जाती है।

द. आगे की प्रक्रिया

240. निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन अंतिम निष्कर्षों से उत्पन्न निर्धारण के विरुद्ध अपील संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जा सकती है।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th December, 2024

Case No. – AD(OI) – 16/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Poly Vinyl Chloride Paste Resin” originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand.

F. No. 6/17/2023-DGTR: - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as “AD Rules”);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Chemplast Sanmar Limited (“hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the ‘domestic industry’”) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the ‘Act’) as amended from time to time and the Anti-dumping Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”), for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’ (hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘subject goods’ or the ‘PUC’) from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand (hereinafter also referred to as the ‘subject countries’).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 06/17/2023-DGTR dated 30th September 2023, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. In response to the initiation notification, the following producers/exporters from the subject countries registered themselves as interested parties. However, questionnaire responses were not filed by all producers. The position is noted below.

SN	Subject country	Producer/Exporter	Response
1	China PR	CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd	Not filed
		China Salt Chemical Trading Co., Ltd	Not filed
		CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.	Not filed
		CNSG Jilantai Polymer Materials Co., Ltd.	Not filed
		Tianwei Chemical Co. Ltd.	Not filed
		Grand Dignity Industrial Co. Ltd	Filed
		Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd	Filed
		Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co. Ltd	Not filed
		Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd	Filed
		Shenyang Chemical Co. Ltd	Filed
2	Korea RP	LG Chem Ltd	Not filed
		Hanwha Solutions Corporation	Filed
3	Malaysia	Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.	Filed
4	Norway	Inovyn Europe Ltd	Filed
5	Taiwan	Formosa Plastics Corporation	Filed
6	Thailand	TPC Paste Resin Co., Ltd	Filed
		Thai Polyethylene Co., Ltd	Filed

4. The following importers/users in India have registered themselves as interested parties. However, questionnaire responses were not filed by all users. The position is mentioned below.

SN	Registered importers/users	Response
1	AC Polycoaters Private Limited	Filed
2	Aritas Vinyl Private Limited	Not filed
3	Arora Vinyl Private Limited	Filed
4	AV Unicoaters Private Limited	Not filed
5	Beeta Poly Coats Private Limited	Not filed
6	Delite Collections Private Limited	Not filed
7	Jasch Industries Limited	Not filed
8	Klassik Lamitex Private Limited	Filed
9	Marvel Vinyls Limited	Not filed
10	Mayur Uniquoters Limited	Filed

11	Polynova Industries Limited	Filed
12	Premier Poly film Limited	Not filed
13	Prerna Rex Private Limited	Not filed
14	RMG Polyvinyl India Limited	Not filed
15	Shiv Polymers	Not filed

5. Pursuant to initiation of the investigation, sufficient opportunity was given to the interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record and having regard to the act and the rules, the Authority issued preliminary findings on 26th April 2024, provisionally concluding that product under consideration has been exported from the subject countries at prices below respective normal values, thus resulting in dumping of the goods. The domestic industry has suffered material injury and the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports. The Authority recommended imposition of provisional anti-dumping duty on all imports of the product under consideration from the subject countries.
6. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings.
 - i. Comments were invited by all interested parties on the preliminary findings within 30 days of issuance of such findings.
 - ii. It was notified that an oral hearing will be conducted in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules.
 - iii. Further verification deemed necessary will be conducted.
 - iv. Essential facts would be disclosed prior to issuance of the final findings.
7. A copy of the preliminary findings was sent to Central Government for their consideration of the same for imposition of interim anti-dumping duty.
8. The preliminary recommendations were accepted by the Ministry of Finance and vide notification 09/2024 dated 13th June 2024 interim measures were imposed for a period of 6 months.

B. PROCEDURE

9. Post issuance of the preliminary finding, the following procedure has been adopted:
 - a. The Authority received comments on the preliminary findings by various interested parties, which have been adequately considered in the present final findings.
 - b. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 13th August 2024. Subsequently, in view of the change of the Designated Authority, another public

hearing was held on 13th September 2024. All the interested parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

- c. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 30th November, 2024 and the interested parties were allowed time up to 6th December, 2024 to comment on the same. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided post issuance of the preliminary findings, the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final findings notification.
- d. The preliminary findings form an integral part of these final findings. It is clarified that for the sake of brevity, procedural details, arguments presented by the interested parties, and the preliminary determinations arrived at whether directly or by necessary implication in the preliminary findings and which have not been contested by any party, are not reiterated in these final findings. Accordingly, the preliminary findings should be regarded as a complementary component of these final findings, forming a cohesive part of the factual and procedural record and should be read in conjunction with the present final findings.
- e. The Authority satisfied itself with the accuracy of the information supplied by the interested parties which form the basis of these final findings to the extent possible. The Authority has verified the data / documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary.
- f. On the spot verification were carried out at the premises of the applicant, where various claims made by the applicant were verified and supporting information, to the extent considered relevant, was collected.
- g. Verification of the exporters was also conducted and claims made were verified and supporting information, to the extent considered relevant, was collected. Physical verification was conducted at the premises of the participating producers from Korea RP and Thailand. For other participating producers, desk verification was carried out.
- h. '***' in this document represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of Rules.
- i. The exchange rate for the period of investigation (April 2022 – March 2023) adopted by the Authority is 1 US\$=Rs 81.06

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

10. The Authority, in its preliminary findings, defined the product under consideration as follows:

“3. The product under consideration for the present investigation is ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’, also known as Emulsion PVC Resin.

4. PVC Paste Resin is produced using vinyl chloride monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

5. The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) Production under consideration with a K value below 60K*
- b) PVC Blending Resin*
- c) Co-polymers of PVC Paste Resin*
- d) Battery separator resins*

6. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 390410 of the Tariff classification and has a dedicated classification under ITC HS Code 39041010. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.

C.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

11. The opposing interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
- a. Inovyn Europe Ltd requested exclusion of a special type of eco-friendly PVC paste resin with the proprietary name ‘Biovyn,’ which is made entirely from renewable carbon feedstock and is certified by an external auditor as complying to RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) standards.
 - b. PVC-1510 and PVC-16 should be excluded from the product scope as the equivalent grades supplied by the domestic industry allegedly do not meet the necessary requirements.
 - c. Existence of several specialty grades of the product can be identified by special functional properties, such as low-fogging, anti-gelation, high filler acceptance, air release etc. PCNs be formulated for these alleged specialty grades.
 - d. Submissions regarding product scope and PCN were not addressed in the preliminary findings. The delay in filing of the submissions on scope of the product under consideration may be condoned and for the submissions to be accepted.

- e. Reliance must be placed on BIS standards for PCN. BIS has established eight standards for eight different grades of PVC paste, and that this establishes the existence of materially different grades of PVC paste.
- f. BIS standards classify the product into 8 grades based on K value, inherent viscosity, apparent viscosity under specified conditions and volatile matter content in line with the relevant internationally recognized test methods. This establishes the insufficiency of the present PCN methodology, which is based only on K value.
- g. The grades manufactured by the domestic industry are not comparable with the imported product on many important counts and there is no substitutability between the two on many core parameters.
- h. The only concern of the applicant behind inclusion of speciality grades is the potential risk of circumvention. Mere apprehension of the applicant regarding possible circumvention cannot justify overlooking the legal obligation that the scope must encompass like products only.
- i. Considering BIS' statutory mandate, technical expertise and the judicial deference accorded to it, it is clear that the recommendations of the BIS cannot be disregarded or overlooked by any regulatory authority.
- j. Applicant is certified to manufacture only 4 out of the 8 grades enlisted under the BIS Standard. Applicant's production for Grade 2 exceeds 90% of its total production.
- k. Users mostly import the product with K-values higher than 75 which are the high K-value specialty grades specifically designed for specialized applications/ end-use. The applicant cannot manufacture the product with a K-value greater than 85.
- l. Polynova Industries Ltd. requested the applicant to provide the requisite product with pseudoplastic and thixotropic behaviour to meet the specific demands of their automotive customers. However, one month after this request was made, the applicant suggested use of Grade 120. Grade 120 failed to meet the necessary viscosity parameters
- m. There is lack of substantial commercial production of grades 121, 120 and 128 of the applicant.
- n. Applicant's product is manufactured using the old technology of 1960s and does not possess the requisite technology to meet the stringent low fogging standards.
- o. Imported speciality grade, specifically designed for low fogging to be used in automotive applications, commands a higher price in the market.
- p. IIT Delhi did not possess a fogging machine or the requisite technical equipment for such testing and in the absence of the same, any report for testing samples cannot be relied upon.
- q. India is not self-sufficient in producing these products, the mandatory BIS certification and anti-dumping duties will negatively impact imports and the downstream industry, leading to a significant demand-supply gap.

- r. Chemplast has suppressed the existence of IS 17658:2021- Polyvinyl Chloride (PVC) Homopolymers — Specification concerning subject goods.
- s. Automobile OEMs adhere to the international standard ISO 6452 for testing the fogging requirements and have prescribed a specification of a minimum Fog Number as per SAEJ1756 by Photometric method. The product supplied by the applicant does not meet the required viscosity.
- t. The applicant has claimed that specialty grades of PVC paste resin can substitute general-purpose grades which is not correct. Specialty-grade products with higher costs and prices are not even a technical substitute for general-purpose grades.
- u. In order to qualify as a 'like product' or a 'like article', the product must either exhibit complete similarity to the product under consideration or possess characteristics closely resembling those of the product under consideration. The product supplied by the applicant is not a like article to the imported product.
- v. The applicant has claimed that its grade CP 120 is substitutable for PVC 370 HD, INOVYN PVC P 1412, INOVYN PVC P 11, INOVYN PVC P 15, PVC 367 NK and INOVYN PVC P 1510. All the six grades identified by the applicant are not substitute with each other and not used in same application.
- w. PSH 25 and EH60 are critical for the automotive industry and are not produced by Chemplast or any other domestic producer.

C.2 Submissions made by the domestic industry.

12. The domestic industry made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:
 - a. The sole basis for excluding Biovyn from the product scope is its non-substitutability with the domestic like article on account of the significantly higher price of Biovyn. Therefore, the exclusion should be made subject to a price benchmark.
 - b. The domestic industry is supplying goods equivalent to grades PVC-1510 and PVC-16 of Inovyn, the properties of which are compliant with the relevant Indian standard IS 17658 and the fogging values have been tested and found comparable in the technical evaluation conducted by the panel at IIT Delhi.
 - c. PVC-16 has only been imported in sample quantities during the period of investigation. As regards exclusion of PVC-1510, only miniscule quantities of PVC-1510 have been imported in the period of investigation, at prices marginally higher than those of the 'normal' grades supplied by the domestic industry at the time. This rebuts the notion that it is a speciality grade.
 - d. The issue of special properties such as low fogging, anti-gelation etc and whether they constitute distinct grades has been raised several times in previous investigations concerning the product. It was ultimately referred for technical evaluation to a panel at IIT Delhi. The conclusion of the evaluation was that properties such as 'low fogging'

- do not constitute a separate product or grade, and that the goods supplied by the domestic industry are capable of meeting these requirements.
- e. Demarcation of PCNs or exclusion from product scope of the so-called specialty grades has not been sought by the participating producers and exporters from the subject countries, which shows that producers worldwide do not recognize them to be distinct grades.
 - f. Special properties can be achieved by simple additives and modification of process control parameters without the need for any special equipment, additional investment or any significant difference in cost and price.
 - g. BIS standards identify eight grades of the product and do not identify any specialty grades. Out of the eight grades identified by the BIS standard, Chemplast manufactures seven of them, with the eighth grade not being produced due to lack of demand.
 - h. Mere existence of different grades does not call for formulation of separate PCNs unless there are differences in cost and price.
 - i. The import volume for the so-called specialty grades is very low and these grades represent a small share of the total imports of the product into the country.
 - j. The goods manufactured by the domestic industry are technically and functionally substitutable with the subject imports. Therefore, all imports, including the so-called specialty grades, are capable of replacing the goods produced by the domestic industry and it is highly likely that exclusion of these grades will lead to importers shifting to the grades so excluded to evade duties, rendering the duties ineffective.
 - k. The so-called speciality grades are fully capable of substituting the other grades, if the relative price difference of these so-called specialty grades becomes lower than the price of normal grades. Imposition of anti-dumping duty on normal grades and possible exclusion of these specialty grades would lead to redundant & futile exercise, as consumers would merrily switch over to these so-called specialty grades for their normal applications.
 - l. There is hardly any grade which is imported and like article of which is not offered by the domestic industry.
 - m. Even when BIS is a technical specification of the product, the BIS does not specify any specialty grade. BIS identifies only 8 grades for the product.
 - n. Out of 8 grades specified in BIS, the domestic industry is already producing 7 grades. Even the 8th grade not produced by the domestic industry is only because of limited demand for the product in the country.
 - o. None of the participating foreign producers have demanded a separate PCN for any specialty grade. The participating foreign producers have not identified the product with clear technical specifications & attributes and hence the Authority is requested to not consider any need for exclusion or PCN for the same.

- p. A perusal of transactions-wise import data shows that there is nothing in the descriptions which allow identification of specialty grade. Interested parties should be called upon to establish the import volume of these so-called specialty PVC.
- q. No technical property of these products has been identified in such a manner that the same can be recognized, identified and verified by customs.
- r. As recognized by DGTR in mid-term review concerning “Welded Stainless Steel Pipes and Tubes” from China PR and Vietnam, if the product itself is not clearly identifiable, its exclusion cannot be considered.

C.3 Examination by the Authority.

- 13. The submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.
 - a. PCN methodology.
- 14. The Authority invited comments on the scope of the PUC and PCN methodology from the interested parties within the stipulated deadline. Based on submissions made by opposing parties, a meeting was held regarding the scope of the product under consideration and the need for PCNs on 1st December 2023. The interested parties which filed comments prior to the meeting were given an opportunity to make submissions justifying the PCN methodology proposed by them. The interested parties were informed that the Authority will not seek any further comments after the meeting and the decision on the PCN methodology will be based on the information on record. Wherever clarifications were required, the Authority asked the interested parties to provide relevant information.
- 15. The Authority has already examined the submissions made by the exporters/producers with regards to the PCN methodology in the preliminary findings.
- 16. As far as certain users are concerned, the Authority notes that despite widespread awareness through a gazette notification and direct communication on October 20, 2023, outlining procedures and deadlines, including the November 4, 2023 deadline for PCN comments, the users' failed to register as an interested party or submit comments within the stipulated timeframe. Even after the Authority published a notice on November 29, 2023, scheduling a meeting on PUC/PCNs for December 1, 2023, the user industry only made a request for registration late in the evening of November 30, 2023. This request, submitted well beyond the deadline and following the announcement of the PCN meeting, was justified merely by an assertion of having ‘inadvertently missed’ the registration deadline. Hence, the comments

on the PUC/PCNs by these users were not considered in formulation of the PCN methodology since these users did not adhere to the timelines prescribed by the Authority.

17. The Authority, in view of the comments received within the stipulated timelines adopted the PCN methodology as given below for the preliminary findings. It was notified to the interested parties vide communication dated 18th January 2024 which was published on DGTR's website.

S. No.	PCN Parameter	Range	Code
1	K-value	60-70	MEDIUM
2		Above 70	HIGH

18. The Authority notes that the users subsequently filed comments on PUC/PCNs post the meeting. The same have been examined by the Authority while recording the present final findings.
19. The user industry has claimed that the PCN methodology was accepted at the behest of the applicant. The users have submitted that the PCN methodology should include parameters like viscosity, gelation, air release, high filler adaptability, etc.
20. The Authority notes that in the present investigation, the applicant did not propose any PCN methodology. The proposal for the PCN methodology was given by the participating producers. Therefore, the contention that the PCN methodology was accepted as per the domestic industry's inputs is incorrect.
21. The users suggested PCN methodology based on technical literatures of the leading manufactures which show that aforementioned parameters are very important for choosing appropriate PVC paste resin. The users have, in their written submissions, submitted that the rationale behind PCN request was to demonstrate that the domestic industry did not produce certain grades and therefore, these can be excluded.
22. The Authority notes that none of the participating producers/exporters from the subject countries have requested for PCN methodology based on parameters suggested by the user industry. Also, no information has been brought forward to show that cost differs on these factors. PCNs are framed on factors which lead to difference in cost of the product.
23. The Authority further notes that certain interested parties have conflated the issue of BIS standards with PCN methodology. BIS has been referred to show that product under consideration is categorised into 8 grades with different K-values, inherent viscosity, apparent

viscosity, and volatile matter and therefore, there is a need for detailed PCNs. They have claimed that the applicant is certified to manufacture only 4 out of the 8 grades listed under the BIS Standard and that the information on BIS was not provided in the application and has been deliberately concealed from the Authority.

24. The Authority notes that the primary objective of adopting PCN methodology in trade remedy investigations is to accurately account for variations in cost and price across different grades within the PUC. This approach ensures a fair and an apple-to-apple comparison between the subject goods and the domestic like product, enabling a proper reflection of price differences in the determination of the dumping margin and injury margin. BIS standards serve purposes which are distinct from the objectives of trade remedial investigations.
25. The Authority accordingly holds that the PCN methodology framed in the present investigation and notified on 18th January 2024 is appropriate.
- b. Whether exclusion of the Biovyn produced by Inovyn Europe Ltd. can be subjected to a benchmark price?
26. In the preliminary findings, it was held that the brand “Biovyn” produced by Inovyn Europe Ltd. was outside the scope of the product under consideration and the anti-dumping duties were not required to be collected on such imports.
27. The domestic industry disputed the exclusion of brand “Biovyn” produced by Inovyn Europe Ltd. without price benchmark. The domestic industry has placed reliance on the anti-dumping investigation concerning imports of nylon filament yarn.
28. Inovyn has placed reliance on the anti-dumping investigation concerning imports of “Elastomeric Filament Yarn” originating in or exported from Singapore wherein brand ‘Lycra’ was excluded from the scope of the product under consideration, as it is specialised and fine quality product manufactured under process control conditions and price was higher than other competing brands of elastomeric filament yarns.
29. The Authority has examined the submissions made by Inovyn and the domestic industry. None of the parties have disputed that BIOVYN is a high price grade. Based on the information on record, it is seen that the price of BIOVYN is at least [***] times higher than the price of the domestic industry and the import price of other grades.

30. It is further noted that BIOVYN is a low-carbon product made from 100% renewable carbon feedstock and its production process is specialised. Admittedly, there has been no production of BIOVYN by the domestic industry in the POI. Also, as per the import data it is noted that there have been no imports of BIOVYN in the POI.
 31. Inovyn has further submitted that the production of BIOVYN by INOVYN is duly certified by third-party auditors, in accordance with the “RSB Global” (Roundtable on Sustainable Biomaterials) certification system.
 32. On account of the above mentioned differences, the Authority is of the view that the BIOVYN is not a like product within the meaning of Anti-Dumping Rules.
 33. The Authority therefore notes that brand *BiovynTM produced from renewable/bio feedstock and accompanied by an acceptable proof of sustainability* is excluded from the scope of the investigation.
- c. Whether applicant produces a small subset of wide range of PVC paste resins?
34. It has been contended by the other interested parties that the applicant is not undertaking significant production of PVC paste of K value more than 75 and the users mostly import the product under consideration with K-values higher than 75.
 35. The Authority in this regard notes that in the total demand of PVC paste resin, the share of imports of products more than 75 K-is not significant and stands at [***%]. The Authority notes that the applicant has also supplied more than 75 K-value product in the domestic market. Therefore, the contention of the user industry that they are forced to import because of the lack of production of the applicant does not hold to be true.
- d. Whether applicant’s product have required viscosity, anti-gelation and anti-fogging property and whether the product with these properties is imported at high prices?
36. It has been contended by the other interested parties that the product supplied by the applicant does not possess anti-gelation, anti-fogging and other properties. The issue was examined in the sunset review investigation concerning imports of the same product originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand, Russia and European Union wherein the Authority had held as follows: -

31. As regards the contention that the Fogging and K-Value of PVC paste resin is an indicator of quality of resin , the Authority notes that the domestic industry has disputed this claim. It has been submitted by the domestic industry that K-Value

essentially represents the molecular chain of the product and is not reflective of the quality of the product per se. A perusal of the emails filed by the members of the LCPMA and the response thereto by M/s. Chemplast Sanmar Ltd. has not shown any refusal by the domestic industry to produce and sell the low fog PVC paste resin. In fact, the domestic industry has contended that no order of any commercial quantity to supply low fog PVC paste resin has been placed with them by any user in the past. It has been further submitted that they have the capability to manufacture low fog PVC paste resin, should any order of commercial significance be placed with them. **The domestic industry has provided relevant documents showing that the company was provided relevant technology to produce different kinds of paste resin by its technology supplier and that its technology supplier is undisputedly producing and selling low fogging resin. It has been further submitted by the domestic industry that members of the LCPMA are using anti-fogging agents/additives while manufacturing the leather cloth to meet specific end-use applications.**

34. With regard to the persistent contention of LCPMA that the Designated Authority could order a test report from an independent authority, the matter was examined and after taking into account the contention of the various interested parties comprising of domestic industry and LCPMA, it was decided to examine their samples by IIT Delhi especially about the fact whether the domestic industry makes products belonging to K value higher than 78 and also if their products have low fogging characteristics. It is mentioned that both the parties were asked to send the samples and based on sample results which was duly conveyed to both the parties, it was noted after examination of samples reports (including the conclusions given by the above institution) that domestic industry samples of subject goods included PVC paste resin carrying higher K value (of more than 78) while none of the samples of the LCPMA had K values higher than 78, and all the samples (from both parties) had low fogging characteristics. In view of the above, the Authority holds that the contention of LCPMA that the domestic industry does not produce those grades of PVC paste resin having K value above 78 and low fogging characteristics is not correct. **On the contrary, the test results provided by IIT, Delhi have confirmed that the domestic industry has produced those grades of PVC paste resin having low fogging characteristics and K value above 78.**

37. It was found by IIT Delhi that the product supplied by the applicant has the required anti-fogging properties. The domestic industry has submitted that product under consideration of same K Value can yield different viscosities in different plastisols by using different types/quantum of plasticisers and/or applying different shear while mixing. This process of

making plastisol is undertaken by the paste resin consumers, and not by the paste resin producers.

38. Based on similar lines, Inovyn has requested exclusion of PVC-1510 and PVC-16 from the scope of the investigation. The Authority has examined the transaction wise data. It is seen that there are only two transactions of PVC-1510 which has been imported by one importer. The import price of PVC-1510 is significantly low. Likewise, it is seen that there is only one transaction of PVC-16 and the import is miniscule.
39. The Authority has also examined the transaction wise import data to see the price trend of various grades over the period of investigation. It is seen that there is no material difference in the price of various grades over the period of investigation. If the contention of the other interested parties is to be accepted, the import price would have shown variation between different grades. Therefore, the contention of the users does not hold merit.
40. In view of the aforementioned, the Authority concludes the following scope of the product under consideration:

“The product under consideration for the present investigation is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin.

PVC Paste Resin is produced using vinyl chloride monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) Production under consideration with a K value below 60K*
- b) PVC Blending Resin*
- c) Co-polymers of PVC Paste Resin*
- d) Battery separator resins*
- e) Biovyn™ produced from renewable/bio feedstock and accompanied by an acceptable proof of sustainability*

41. As per the information available on record, the Authority notes that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject countries in terms of physical & chemical characteristics,

manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Thus, the Authority concludes that the product manufactured by the domestic industry constitutes the like article to the subject goods being imported into India from the subject countries in the terms of Rule 2(d).

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

42. The opposing interested parties have made the following submissions on the issue of the domestic industry and standing of the domestic industry.
- a. As per Trade Notices 13/2018 and 14/2018, any producer supporting an investigation is required to submit a complete response in the prescribed formats. It was argued that since Finolex Industries Limited has not filed a response in the present investigation, it cannot be considered as a 'supporter'.

D.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

43. The applicant has made the submissions regarding the scope of domestic industry and standing post the issuance of the preliminary finding. :
- a. The Authority vide Trade Notice 04/2021 dated 16th June 2021 allowed supporters to express support after giving information on capacity, production and sales.

D.3 Examination by the Authority

44. In the preliminary finding, the Authority had noted as follows:

19. The Authority notes that the applicant, M/s Chemplast Sanmar Limited, together with the supporter, M/s Finolex Industries Limited, constitute 100% of the total Indian production.

20. It is also seen that the applicant has not imported the product under consideration. Further, it is not related to any producer/exporter from the subject countries and is not related to any importer of the subject goods in India.

21. Therefore, the Authority preliminarily concludes that the applicant, M/s Chemplast Sanmar Limited, constitutes the 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

45. The Authority notes that on a reading of the Rules along with Trade Notices 13/2018, 14/2018 and 4/2021, a producer can submit limited information in order to qualify as an eligible supporter, as provided in Trade Notice 4/2021. Finolex Industries Limited has complied with this requirement.
46. Chemplast Sanmar Limited alone accounts for a major proportion of Indian production, even without the support of Finolex Industries Limited. Therefore, the Authority holds that the applicant satisfies the requirement of standing under Rule 5 and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS ISSUES

E.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

47. The opposing interested parties have made the following submissions on confidentiality.
- a. Certain information that has been disclosed in indexed form in the application, such as the applicant's cost of sales and net sales realization but has been completely redacted in the preliminary finding.
 - b. The non-confidential version of the application does not give a 'reasonable understanding' of the allegations made therein, as required by Rule 7 of the ADD Rules. Specifically, it was alleged that the non-confidential version of the application does not contain any information in Section VI.
 - c. There are discrepancies between the data in the preliminary findings and the original petition, raising concerns over the accuracy of the investigation. Any updated data should have been shared in a non-confidential version per Rule 7 of the AD Rules, allowing interested parties to comment.
 - d. The confidential calculation of dumping margin for the participating producers was not disclosed by the Authority despite methodological or data-level changes made in the application.

E.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

48. The domestic industry made the following submissions on confidentiality.
- a. Disclosure of information such as normal value and export price is made under Rule 16 whereas the preliminary finding is issued under Rule 12. There is no requirement of disclosure of information under Rule 12.

E.3 Examination by the Authority

49. With regard to the non-disclosure of dumping margin, it is noted that the Authority is under obligation to disclose all essential facts under consideration in terms of Rule 16 of AD Rules,

1995. Accordingly, the confidential calculation pertaining to individual participating producers/exporters is being disclosed to respective producers/exporters.

50. With regard to the disclosure of information and allegations of excessive confidentiality in the application, it is the established practice of the Authority to treat costing information of the domestic industry as confidential. Trade Notice 10/2018 does not require disclosure of costing information of the domestic industry.
51. As regards discrepancies in the data, the Authority notes that the applicant had relied on the 'DGCI&S published data' in its application. However, the Authority has considered the imports as per the DGCI&S transaction wise data. Therefore, the volume of imports and demand in India have undergone change and the same were accordingly recorded in the preliminary findings. Similarly, it is noted that while the applicant in its application had reported the selling price trends based on gross sales values, the preliminary findings as well as the disclosure statement have recorded the same based on net sales realizations (NSR).

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

52. The opposing interested parties have submitted as follows with regard to normal value and export price:
- a. FPC Ningbo has requested for reconsideration of its request for market economy treatment.
 - b. FPC Ningbo does not have any restrictions on its operations of foreign exchange.
 - c. FPC Ningbo produces steam mainly by itself for the production of product under consideration.
 - d. Water and electricity and some of the steam, are purchased from the affiliated group company at arm's length prices, i.e., market prices.
 - e. FPC Ningbo acquires the key raw material, VCM (Vinyl Chloride Monomer), from other countries at international prices.
 - f. FPC Ningbo is a limited liability company with 100% foreign investment.
 - g. The 15-year period provided in the Accession Protocol of China to WTO has expired and therefore Chinese firms are now entitled to market economy treatment.
 - h. Taiwan may be considered as the appropriate surrogate country based on the data of Formosa Plastics Company of Taiwan which has participated in the present investigation.
 - i. Para 7 of Annex I to the ADD Rules prescribes a hierarchy, pursuant to which the most appropriate option for constructing normal value is in a market economy in a third country.

- j. The domestic selling price reported by Hanwha is supported by Hanwha's actual invoices, its accounting system and is reconciled with the audited financial statement.
- k. The applicant has referred to the anti-dumping investigation concerning imports of Rubber Chemical in support of its submission to reject the normal value of Hanwha. According to Hanwha the reference is flawed as in that investigation, Kumho was procuring raw material "6PPD" from China which is a non-market economy and therefore, the normal value was rejected. However, in the present investigation, Hanwha has not purchased raw material from China PR.

F.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

53. The domestic industry has submitted as follows with regard to normal value and export price:
- a. Even though the provisions of Article 15(a)(ii) have expired, WTO members are required to consider domestic prices or costs in China PR only if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product as per Article 15(a)(i), which the Chinese producers in the present case have not shown.
 - b. No verifiable evidence of the actual selling price or cost in a market economy third country is available for determining normal value for China PR.
 - c. Even when the producer from Norway has participated in the present investigation, it has refrained from filing a questionnaire response. This was because the producer was aware that the actual dumping resorted by the producer was higher than the claims of the applicant.
 - d. Dumping is an admitted fact in the present investigation, and it is incontrovertible that the product is being dumped into the Indian market. The normal value and net export price have been determined for each exporter based on the response filed by that exporter.
 - e. Hanwha has a history of suppressing facts from the Authority as the Authority has in original and sunset review investigation concerning imports of CPVC found large number of concerns.
 - f. If the dumping margin of Hanwha is negative, it implies that Hanwha has claimed a normal value that is in the same range or lower than the export price. The product under consideration has been imported in the Korean market at a price of at least 40% higher than the price reported by Hanwha and hence the price in the Korean market are higher than the normal value claimed by Hanwha.
 - g. Hanwha has a capacity of around 90,000 MT and the domestic sales are only about 30% of the capacity. Hanwha would be willing to sell as much volume as possible in Korean market.

- h. No consumer would import so significant volumes of material into Korean market if Hanwha Solutions Corporation itself has been holding significant capacities and has been selling significant volumes.
- i. The normal value is defined as the comparable price in the ordinary course of trade of the like article in the market of the exporting country when meant for consumption where each word has a definite meaning.
- j. 'Normal value' must be determined with reference to a comparable price. In this context, "comparable price" refers to the price of similar articles sold under similar circumstances, regardless of the manufacturer of the product.
- k. The manual also provides that 'sales at a loss' is not the only factor for deciding whether sales are in the ordinary course of trade or not.
- l. In cases where the selling price of the product is artificially low or is at abnormal (aberrational) level, the selling price of the producer cannot be considered to be in ordinary course of trade.
- m. Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel considered that a sales transaction may not be in ordinary course of trade even in absence of any common ownership.
- n. Appellate body in US – Hot Rolled Steel also opined that whether the sales price is higher or lower than the 'ordinary course' price, and irrespective of the reason why the transaction is not 'in the ordinary course of trade', investigating authorities must exclude, from the calculation of normal value, all sales which are not made 'in the ordinary course of trade'.
- o. The Authority has the discretion to rely on any available material that reflects the comparable value of the articles in question, meaning that it is not obligated to consider the material submitted by the interested party.
- p. Hon'ble Supreme Court in the matter of Designated Authority Versus Haldor Topsoe A/S held that the statute has nowhere put a restriction on the investigating authority. On the contrary, a perusal of the said provisions clearly show that the 'normal value' will have to be determined with reference to comparable price, the word 'comparable price' in the context can only be with reference to the price of similar articles sold under similar circumstances irrespective of the manufacturer.
- q. The Authority had in the case of anti-dumping investigation concerning import of Rubber Chemicals viz. MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT originating in or exported from China and PX 13 (6PPD) from China and Korea RP had found that the domestic price of a producer from Korea RP was materially lower than the import price into Korea RP. The Authority had then considered normal value based on the weighted average basis.
- r. The raw material value reported by Hanwha should be examined to ascertain whether the value of Ethylene and VCM reported by the producer reasonably and appropriately reflects market values.

- s. Export and import price of ethylene in Korea RP are USD/MT 963 and USD/MT 1,049 respectively. Export and import price of EDC in Korea RP are USD/MT 775 and USD/MT 899 respectively.
- t. In case the Authority finds that there is a difference in the cost claimed by Hanwha and the price of the raw materials prevailing in the Korean market, the producer should be called upon to demonstrate how its cost is significantly lower.
- u. Hanwha has claimed that accounting system is designed to collect all costs incurred at the manufacturing facilities and recognize the costs as part of the cost of manufacturing. The cost of primary raw material is already reflective of the fair market value as well.
- v. Hanwha Solutions Corporation and Formosa Plastics Corporation have claimed packing cost as adjustment in even the domestic market selling price. The producers should be called upon to demonstrate how their products are packed in the domestic market and the export market. Unless it is demonstrated that additional packing is undertaken for the domestic market, adjustment in the domestic selling price should not be allowed.
- w. Formosa Industries (Ningbo) has claimed adjustment in the export price for country of origin and bank charges. However, no such adjustment has been claimed by Shenyang or its exporters. If Shenyang has not reported adjustment of charges for country-of-origin certificate and bank charges, it is clear suppression of facts by the producer which requires the complete response to be rejected.
- x. TPC Paste Resin Co., Ltd has claimed tax refund as adjustment in the calculation of export price. The details of the tax refund have been claimed completely confidential which has prevented the applicant from offering meaningful submissions. The exporter has claimed a negative price adjustment on export price. There is however no basis for making claim for price adjustments on account of tax refunds.
- y. FPC has claimed that water, electricity and steam have been purchased at market prices. Steam and electricity forms more than 20% of the total cost of the product under consideration. The market prices in China PR are itself impacted by the non-market economy conditions. This in itself is sufficient to show that the producer's cost is impacted.
- z. FPC has claimed that has been claimed that raw material has been imported at international prices. However, it has not been shown how import price of VCM is not impacted by the non-market economy conditions.
- aa. FPC producer has also not shown how its land and building prices are not impacted by the non-market economy conditions. It has also not been shown if the plant was completely set up by the entity or purchased from a Chinese entity.

F.3 Examination by the Authority.

54. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

55. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses: -

- a. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR.
- b. Grand Dignity Industrial Co. Ltd, China PR
- c. Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR.
- d. Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd, China PR.
- e. M/S Hanwha Solution Corporation, Korea RP.
- f. Kaneka Paste Polymers SDN BHD, Malaysia.
- g. Formosa Plastics Corporation, Taiwan.
- h. Thai Polyethylene Co., Ltd, Thailand.
- i. TPC Paste Resin Co., Ltd, Thailand.

F.3.1 Sales pattern of participating producers from the subject countries.

56. The domestic industry has submitted that China PR was earlier a net importer of the product under consideration. The Covid outbreak had led to increase in the demand for the PVC based gloves which resulted into significant capacity expansion in China. However, as the demand of gloves eased down, the domestic demand of PVC paste resin declined significantly in China.
57. It has also been claimed that the demand supply situation has been further aggravated due to the decline in the demand of textile/apparel in China (zero Covid policy) and other European countries (due to inflation issues).
58. In order to examine the submission made by the domestic industry, the Authority has examined the response filed by the participating producers. The table below shows the domestic sales of all the participating producers based on the response filed by them.

SN	Particular	UOM	2019	2020	2021	POI
1	Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
		Trend	100	105	113	113
2	Shenyang Chemical Co. Ltd.	MT	***	***	***	***
		Trend	100	79	77	72
3	M/S Hanwha Solution Corporation	MT	***	***	***	***
		Trend	100	112	97	91
4	Kaneka Paste Polymers SDN BHD	MT	***	***	***	***
		Trend	100	365	86	96
5	Formosa Plastics Corporation	MT	***	***	***	***
		Trend	100	86	62	55
6	TPC Paste Resin, Ltd	MT	***	***	***	***
		Trend	100	102	94	94

59. It is seen that the domestic sales of all the producers have declined over the injury period. The decline in the domestic sales correlates with the submission of the domestic industry.

F.3.2 Normal value and export price for China PR.

F.3.2.a Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

- a. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR.

60. Formosa Industrial Co. Ltd, China PR. has filed a questionnaire response and has claimed MET treatment.
61. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

62. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.
63. At the stage of the preliminary findings, the Authority did not accept the market economy treatment claimed by the producer. Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd, China PR (also referred to as Formosa Ningbo) has claimed that it has provided all the information in the form of Questionnaire Response and supplementary response in the form of MET Response as required by the Authority. Formosa Ningbo claimed that MET should be granted primarily for the following reasons:
- a. Formosa Ningbo does not have any restrictions on its operations of foreign exchange
 - b. Formosa Ningbo produces steam mainly by itself for the production of product under consideration.
 - c. Water and electricity and some of the steam, are purchased from the affiliated group company at arm's length prices, i.e., market prices.
 - d. Formosa Ningbo acquires the key raw material, VCM (Vinyl Chloride Monomer), from other countries at international prices.
 - e. Formosa Ningbo is a limited liability company with 100% foreign investment
64. The Authority notes that the market economy treatment cannot be granted solely based on the factors claimed by the producer. In this regard, the Authority notes that in order to grant a market economy treatment, it is also required to be seen if the entity has procured land, financing, capital goods, raw material and utilities at market price and without any interference from the government.

65. The Authority notes that the constitution of China permits engagement with the non-public sector. As per Article 11 of the Constitution, the State is assigned the role of an interventionist that goes beyond protecting the rights and interests of the non-public sector and the State shall 'encourage, support, and guide' their development. Article 15 of the Constitution directly states that the country practices socialist market economy and makes it clear that the same is done by variety of different instruments such as incentivizing and restricting to guide the economy. Therefore, merely because an entity is not controlled by the Chinese government, it does not imply that it is free from any government intervention being located in China.
66. The Authority notes that Formosa Ningbo in its questionnaire response has claimed that it procures electricity, steam and water from unrelated entities. It is seen that steam, electricity and water form around [***%] of the total cost of the product under consideration of the Chinese producer. No evidence has been provided to show that the prices of these inputs are free from any government interference.
67. The cost of sales claimed by Formosa Ningbo has been compared with the cost of sales claimed by the other Chinese producer - Shenyang Chemical Co. Ltd. The cost of sales claimed by Formosa Ningbo is lower than the cost of sales claimed by Shenyang Chemical Co. Ltd. which has not filed any MET claim.
68. The authority considers that Formosa Ningbo has not conclusively established that the prices of inputs relating to utilities are reflective of market price. Further, it is noted that the exporter has provided no information to establish that the investment made by the company in acquiring land, plant & machineries was not distorted due to possible state interference in this regard. The Authority considers that these parameters have direct bearing on the eventual cost of production.
69. It is also seen that the company has borrowed some loan from within China. The exporter has not provided any information to demonstrate that the cost incurred on this account are reflective of market rates.
70. It is thus noted that the information provided by the exporter does not conclusively establish that the decisions of the company regarding prices, costs and inputs, including cost of output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard.
71. The Authority has therefore decided not to grant market economy treatment to FPC.

- b. Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR.
72. Shenyang Chemical Co. Ltd., China PR has filed a complete questionnaire response. The producer has exported directly as well as through exporter Linkland Enterprise Shanghai Co., Ltd. The producer has not claimed market economy treatment and therefore, its cost and selling price are not relevant.
73. The following producers from China had registered as interested parties in the investigation but have not filed any response. Therefore, these producers have been treated as non-cooperative.
- CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd
 - China Salt Chemical Trading Co., Ltd
 - CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.
 - CNSG Jilantai Polymer Materials Co., Ltd.
 - Tianwei Chemical Co. Ltd.
 - Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd
74. Under Annexure-I, Para 7 of the Rules, the normal value for non-market economy would be determined as:
- “7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question], and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
75. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph 7 of Annexure-I of the Rules and claimed normal value based on its own cost of production.

76. Formosa Ningbo has claimed that the normal value can be determined based on the price of its related producer from Taiwan - Formosa Plastics Corporation. The Authority notes that while Formosa Ningbo has suggested consideration of Taiwan as a surrogate market economy country, it has not provided any information how Taiwan is an appropriate market economy country, particularly when Taiwan is also subject to investigation. An appropriate market economy third country can only be selected keeping in view the level of development of the country and the product. Since none of the interested party has provided information in this regard, and further since Taiwan is subject to investigations, the normal value cannot be determined on this basis.

F.3.2b Export price for China PR.

a. Export price for Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.

77. The producer has reported *** MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/ unrelated party is involved in the export of the product under consideration.

78. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for Shenyang Chemical Co. Ltd

79. The producer has reported *** MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India as well as through another unrelated exporter. The unrelated exporter has filed questionnaire response.

80. The producer/exporter have claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the Chinese producer. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The net export price so determined is shown in the table below.

c. Export price for non-cooperative exporters/producers

81. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.3. Normal value and export price for Korea RP.

82. Hanwha Solution Corporation, Korea RP has filed a questionnaire response from Korea. It has been reported that there is no other producer in Korea RP which produces the product under consideration.
83. The Authority notes the submissions of the applicant regarding rejection of the claims of the normal value by Hanwha.
84. The Authority in this regard notes as under:

Section 9A (6A) states as under:

*“The margin of dumping in relation to an article, exported by an exporter or producer, under inquiry under sub-section (6) shall be determined on the basis of records concerning normal value and export price maintained, and information provided, by such exporter or producer.
(emphasis added)*

Provided that where an exporter or producer fails to provide such records or information, the margin of dumping for such exporter or producer shall be determined on the basis of facts available”.

85. The provision above makes it clear that the Authority has to determine the dumping margin based on the records maintained by the producer/exporter unless such a producer/exporter fails to provide the information as sought by the Authority.
86. In the facts of the present case, M/s Hanwha Solutions Corporation has participated in the investigation, filed its exporters questionnaire response, fully cooperated with the Authority in the verifications and has supplied all the relevant documents to establish the claims of normal value.

87. In such a scenario, where a producer/exporter has maintained its records and corroborated the information filed with the records maintained by it, the Authority has no occasion to doubt the veracity of the records maintained by such producer/exporter.
88. It is further noted that domestic industry has placed reliance on Halder Topsoe vs DA. However, the primary issue in the above-mentioned case due to which the prices reported by the concerned exporter/producer was not accepted was because of the reason that the concerned producer/exporter did not supply the information with regard to export price to third country as solicited by the Authority to establish its claim and the Authority proceeded under Rule 6 (8) of the Anti-dumping Rules, 1995.
89. In the circumstances of the present case, no such situation has arisen that would warrant the application of the principle established in Halder Topsoe. Consequently, invoking the precedent set in that case would neither be justified nor hold merit in this context.
90. It is pertinent to mention that Annexure-1 to the Anti-dumping Rules, 1995 also prescribes for:
- “The designated authority while determining the normal value, export price and margin of dumping shall take into account inter alia, the following principles –*
- 1. The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration”*
91. The above provision also emphasizes that the Authority can only reject the information filed by the producer/exporter with regard to normal value and export price in a situation where either the records maintained by the producer/exporter are not as per GAAP or such records do not reasonably reflect the cost associated with production and sale of the PUC.
92. In the facts of the present case, the Authority could not find such reasons as mentioned in the above paragraph.
93. In view thereof, the Authority has accepted the records maintained by the producer/exporter and has determine the margin of dumping as mentioned below.

F.3.3a Normal value for Korea RP.**a. Normal value for responding producer - Hanwha Solution Corporation, Korea RP**

94. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** KRW in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties.
95. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducts the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value.
96. The producer has claimed various adjustments to normal value. The Authority conducted on the spot as well as desk verification of the information provided by Hanwha. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.
97. For the above producer/ exporter in the present case, *** % domestic sales are profitable in case of high grade and *** % domestic sales are profitable in case of medium grade. Hence only the profitable domestic sales have been considered to determine normal value. The normal value so determined is given below.

a. Normal value for non-cooperating producers.

98. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.3b Export price for Korea RP.**a. Export price for responding producer – M/S Hanwha Solution Corporation**

99. The producer has reported *** MT having a value of *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration.

100. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted on the spot as well as desk verification of the information provided by Hanwha. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

101. The export price for non-cooperative producers/exporters from Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4 Normal value and export price for Malaysia.

102. Kaneka Paste Polymers SDN BHD from Malaysia has filed the questionnaire response with the Authority.

103. The Authority notes that subsequently Kaneka, Malaysia has extended a price undertaking to the Authority. As part of this undertaking, the producer has agreed to revise its export prices to India and to provide all reasonable and relevant information that the Designated Authority may consider necessary to monitor compliance with the terms of the undertaking.

104. In accordance with Rule 15 of the Rules (Suspension or Termination of Investigation Pursuant to Price Undertaking), the Designated Authority may suspend or terminate an anti-dumping investigation if the exporter of the article under investigation furnishes a written undertaking to revise the prices of the product under consideration so as to eliminate the injurious effects of dumping.

105. The price undertaking offered by Kaneka, Malaysia was shared with the domestic industry for its comments and acceptance in terms of the parameters stipulated in the undertaking. Upon acceptance of the said price undertaking by the domestic industry, it was further examined by the Authority, and the price undertaking has been accepted in terms of Rule 15 of the Rules. Consequently, the Authority has not determined definitive dumping and injury margins for Kaneka, Malaysia. No anti-dumping duties shall apply to exports of the product under consideration made by Kaneka, Malaysia while the undertaking remains in effect and is adhered to.

106. In the event of any violation of the undertaking by Kaneka, Malaysia, the Authority reserves the right to recommend to the Central Government the levy of appropriate anti-dumping duties. Such recommendations may be based on the information available during the present

investigation or any additional information brought to the notice of the Authority from appropriate sources. Anti-dumping duties recommended in the event of a violation shall be applied retrospectively from the date of such violation or withdrawal of the undertaking.

107. Furthermore, the Designated Authority may, *suo motu* or upon a request from the exporter, the domestic industry, importers, or any other interested party, periodically review the need for the continuation of the undertaking. The terms of the price undertaking shall remain co-terminus with the duration of any anti-dumping duties imposed by the Central Government through the applicable notification and shall be subject to review as provided under the relevant provisions of the Anti-Dumping Rules.
108. In the event that the Central Government does not accept the price undertaking, the Designated Authority shall separately intimate the Central Government regarding the quantum of anti-dumping duty to be imposed and the effective date of its levy.
109. Subject to the conditions of this undertaking, the preliminary findings earlier notified by the Authority with regard to the imposition of provisional duties on Kaneka, Malaysia are hereby confirmed.

F.3.4a Normal value for Malaysia.

b. Normal value for responding producer - Kaneka Paste Polymers SDN BHD

110. Owing to the acceptance of the price undertaking extended by Kaneka Paste Polymers SDN BHD and acceptance of the same by the Authority in terms of the Rule 15 of the Rules, the normal value for the said producer/exporter has not been determined.

c. Normal value for non-cooperating producers.

111. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4b Export price for Malaysia

a. Export price for responding producer - Kaneka Paste Polymers SDN BHD

112. Owing to the acceptance of the price undertaking extended by Kaneka Paste Polymers SDN BHD and acceptance of the same by the Authority in terms of the Rule 15 of the Rules, the export price for the said producer/exporter has not been determined.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

113. The export price for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5 Normal value and export price for Taiwan.

114. Formosa Plastics Corporation has filed a questionnaire response from Taiwan.

F.3.5a Normal value for Taiwan.

a. Normal value for responding producer - Formosa Plastics Corporation

115. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** NTD in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties.

116. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducts the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value.

117. The producer has claimed various adjustments to the normal value. The Authority conducted a desk verification of the information provided by Formosa. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.

118. For the above producer/ exporter in the present case, *** % domestic sales are profitable in case of high grade and *** % domestic sales are profitable in case of medium grade. Hence only the profitable domestic sales have been considered to determine normal value. The normal value so determined is given below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

119. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Taiwan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5b Export price for Taiwan.**a. Export price for responding producer Formosa Plastics Corporation**

120. The producer has reported *** MT having a value of *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product through unrelated exporter. The unrelated exporter has filed the questionnaire response.

121. The producer/exporter have claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted a desk verification of the information provided by Formosa. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The net export price so determined is shown in the table below.

b. Export price for non-co-operative exporters/producers.

122. The export price for non-cooperative producers/exporters from Taiwan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6 Normal value and export price for Thailand.

123. TPC Paste Resin Co., Ltd has filed the questionnaire response from Thailand.

F.3.6a Normal value for Thailand.**a. Normal value for responding producer - TPC Paste Resin Co., Ltd**

124. The producer has reported domestic sales of *** MT having a value of *** THB in the period of investigation. The producer has sold the product in the domestic market to a related party which has further sold the goods in the domestic market. The related trader has participated and filed the questionnaire response.

125. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducts the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis. If profit-making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in cases, where profitable

transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value.

126. The Authority conducted on the spot as well as desk verification of the information provided by TPC. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The producer has claimed various adjustments to the normal value. The Authority has, however, only allowed those adjustments as it has deemed fit as per its consistent practice.
127. For the above producer/ exporter in the present case, *** % domestic sales are profitable in case of high grade and *** % domestic sales are profitable in case of medium grade. Hence only the profitable domestic sales have been considered to determine normal value. The normal value so determined is given below.

b. Normal value for non-cooperating producers.

128. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6b Export price for Thailand.

a. Export price for responding producer - TPC Paste Resin Co., Ltd

129. The producer has reported *** MT having a value of *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has exported through the related trader which has filed a response to questionnaire.
130. The producer/exporter has claimed various adjustments to the export price. The Authority conducted on the spot as well as desk verification of the information provided by TPC. Additional/supplementary information and clarifications were sought to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.
- b. Export price for non-co-operative exporters/producers.
131. The export price for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.7 Normal value and export price for Norway.

132. M/s. Inovyn Norge AS and M/s Inovyn Europe Limited from Norway had registered as interested party. However, the producer and exporter did not file any questionnaire response. The producer has only requested for exclusion of BIOVYN grade from the scope of the product under consideration. Since the producer has not filed any questionnaire response claiming an individual dumping and injury margin, therefore, the producer has been treated as non-cooperative to that extent.

F.3.7.a Normal value for Norway.

133. The normal value for Norway has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.7.b Export price for Norway

134. The net export price for Norway has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.8 Dumping margin.

135. Based on the normal value and export price determined above, the dumping margin for the participating and non-participating producers is determined as below: -

SN	Particular	Normal value	Net export price	Dumping margin	Dumping margin	Dumping margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
1	China PR					
A	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd	***	***	***	***	60-70
B	Shenyang Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
C	Any other	***	***	***	***	80-90
2	Korea RP					
A	M/S Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	<i>De-minimis</i>
B	Any other	***	***	***	***	0-10

3	Malaysia					
a	Any other	***	***	***	***	60-70
4	Taiwan					
a	Formosa Plastics Corporation	***	***	***	***	20-30
b	Any other	***	***	***	***	30-40
5	Thailand					
a	TPC Paste Resin Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
b	Any other	***	***	***	***	40-50
6	Norway					
a	All	***	***	***	***	40-50

G. INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

136. The opposing interested parties have submitted as follows on the issue of injury and causal link:

- a. The imports are happening due to the huge demand-supply gap in India.
- b. The exporters have been able to increase their prices from Rs 75,047/MT in 2019-20 to Rs 1,00,872/MT in the period of investigation. The domestic industry cannot reasonably claim injury when prices of imports have increased.
- c. Various parameters of the domestic industry, such as installed capacity, capacity utilization, domestic sales, number of employees, productivity per day and average capital employed show that the domestic industry is not suffering any injury.
- d. Price undercutting was only examined for the period of investigation and not for the entire injury period. Further, they contended that the application simply alleges the existence of 'positive and significant' price undercutting, without disclosing country-wise undercutting even as ranged figures.
- e. Any injury being caused to the domestic industry is attributable to Chinese imports and not to imports from Thailand.
- f. The domestic industry's cost of sales increased significantly in the period of investigation despite a global decline in cost of raw materials.
- g. The applicant has in its annual reports and quarterly earnings have claimed that the real cause for the decline in profits is the increase in energy costs due to the conflict in Ukraine.
- h. The dumping margin determined for Hanwha Solutions Corporation in the preliminary findings was negative. Therefore, these exports were at un-dumped prices.

Injury analysis is carried out for only dumped imports. Therefore, exports made by Hanwha should have been excluded from the injury analysis.

- i. While the costs of key raw materials like ethylene, ethylene dichloride and vinyl chloride monomer have seen a substantial reduction, the corresponding selling prices of the product under consideration have only experienced a slight decrease.
- j. Chemplast has high costs related to legacy issues and it is aiming to earn super profit it earned in 2021-22 by making a false case of financial injury. ROI must be compared to what it earned on 19-20 and it is applicant's inability to earn more than this and cannot be remedied by DGTR.
- k. The applicant earned abnormal profits in past and the profits have normalized now. Even after normalization, the net profits during the POI were Rs. 145 crore which was much higher than the profits in the year 2019-20.
- l. Exporters increased their prices so significantly on account of demand and supply gap in the country and the users have been at the receiving end of such increasing prices.
- m. Cause of injury is on account of inefficiencies, adoption of old technology and purchase of raw material at long terms contract basis.
- n. While the applicant has claimed increase in the cost of production, the raw material price has declined by around 425\$/ MT over the injury period. The decline in the raw material price has also been admitted by the applicant.
- o. The applicant has performed very well at the company level and any losses on other counts should not be attributed to subject goods. Even at the company level, the cost of Chemplast is high and the reason for such high cost must be investigated.
- p. There are significant differences in the data recorded in the preliminary findings and the data previously placed on record by the applicant. The revised data of the applicant must be circulated.
- q. The price undercutting of the subject goods on account of the imports must be looked at for the entire injury period.
- r. The decline in the performance is attributable to rising energy costs due to the Russia-Ukraine war and overall inflationary pressures.
- s. The alleged injury can be attributed to the high interest cost on loan taken by the applicant for capacity expansion.
- t. The applicant suffered decline in profits in 2021-22 as well and there was no dumping in 2021-22, the negative growth price and/or profit parameters should be attributed to the internal inefficiencies.
- u. The applicant has in annual reports quoted that the raw material prices have declined.
- v. The applicant has projected a very healthy narrative of growth and profitability in its prospectus.
- w. The price increase in 2020-21 and 2021-22 was attributed to covid pandemic and the prices have restored to a normal level.

- x. A comparison between the imported raw material price of the applicant and the selling price of the applicant shows that the raw material price has declined at a much higher rate as compared to the selling price of the applicant to users.
- y. The applicant has claimed that there is no injury due to imports from European Union and Japan. If the injury margin for these countries is negative, the price of some of the subject countries is higher than the price from European Union and therefore these countries cannot be a cause of injury.
- z. Despite a portion of period of investigation falling in the COVID lockdown period, the applicant has performed extremely well on all the injury parameters.

G.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

137. The domestic industry has submitted as follows on the issue of injury and causal link:

- a. Earlier China was a net importer of the product under consideration. However, due to the increased demand for PVC-based gloves during COVID, the Chinese producers expanded their capacity significantly.
- b. As the pandemic abated, demand for PVC-based gloves also declined. Further, there is a general decline in demand for textile apparel in China (due to the zero-COVID policy) and in Europe (due to the impact of inflation on the demand). The decline in demand has impacted the operations of the exporters.
- c. The landed price of the subject imports has not moved in step with the variable cost. Till 2021-22, the landed price was above the cost of sales and there was no dumping. However, since then, exporters have resorted to aggressive pricing.
- d. Imports in 2019-20 and 2020-21 were below the domestic industry's cost of sales. However, there were remedies through the anti-dumping duties that were in force at the time.
- e. Due to the nature of the production process and costs associated with plant shutdown, keeping capacities idle is not a commercially viable option. Therefore, any producer would prefer lowering prices over suspending production. As a result, the real form of injury being suffered is price injury, not volume injury.
- f. Imports are undercutting the prices of the domestic industry by a significant margin.
- g. The domestic industry maintains a price list for its products which is periodically revised based on the prices of imports. In the period of investigation, there was a 40% increase in the number of price revisions as compared to previous years.
- h. The landed prices are below the cost of sales of the domestic industry, leading to losses.
- i. The dumped imports are having a depressing effect on the domestic industry's prices.
- j. The contribution earned is negative. The domestic industry is not just sustaining losses on fixed costs, but on every additional unit produced.
- k. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed.

- l. The productivity and capacity utilization of the domestic industry have not declined. While employment and wages are not dependent on the performance of the product, the future of employment is dependent on the performance of the product.
- m. The dumped imports have adversely affected the capacity of the domestic industry to raise capital and earn a return on the capital employed.
- n. Considering the growing demand for the product in India, the domestic industry has undertaken capacity expansion of 43,000 MT. These decisions were taken when the market conditions were fair and remunerative with no dumping. However, dumping of the product has impaired the expansion plans of the domestic industry. Planned expansion of further 37,000MT has been shelved.
- o. Suspension of production in itself is a significant cost to the industry because of the continuous nature of the production process involved. Shutting down production not only implies shutting down the plant of PVC Paste, but also adversely impacts the plants of EDC, VCM, power and steam.
- p. Injury suffered by the applicant is restricted to price parameters as suspension of production is an unviable cost for the industry.
- q. There has been a significant decline in the price of imports over the period of investigation and the price undercutting is required to be examined on a monthly basis
- r. Neither the volume of sales of the applicant, nor the export volume of different respondent companies are uniformly spread over the period and therefore average price undercutting will show a distorted picture.
- s. The period of investigation in the present investigation is 2022-23 which does not coincide with any Covid period.
- t. Cost on account of loans taken for capacity expansion have not been included in the costs and profits reported.
- u. There is no obligation for determining price undercutting for the injury period. The price undercutting should be determined only for the period of investigation.

G.3 Examination by the Authority

138. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, '*... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*'.
139. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been significant price undercutting of the domestic like article by the dumped imports, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a

- significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
140. Further, it is not necessary that all parameters of injury must show decline for there to be a positive determination of injury. Some parameters may show injury while the others may not. The Authority considers all injury parameters and then arrives at a conclusion as to whether the domestic injury has or is likely to be injured by the dumped imports.
 141. It has been submitted by the interested parties that the applicant's volume parameters have not shown any decline. The interested parties have also relied on the annual reports of the applicant wherein the applicant has attributed the increasing production and sales to the growing demand for the product. The Authority notes the submission of the applicant that because of the nature of the production process involved, suspension of the production in itself is a significant cost to the industry and any PVC paste producer will prefer to continue to produce and sell at lower prices rather than suspend its production.
 142. As regards the submission that the import price has declined in line with the decline in the raw material price, the Authority has compared the global average export price of ethylene with the import price of the PUC.
 143. Based on the above comparison, the Authority notes that from 2020-21 to the period of investigation, while ethylene prices showed fluctuations—declining in 2020-21, rising in 2021-22, and marginally declining during the investigation period—the import prices of the PUC exhibited sharper variations, increasing disproportionately in 2021-22 and declining significantly during the investigation period and have not been commensurate with the decline in ethylene prices.
 144. The other interested parties have also contended that the price of the product is cyclic in nature and the prices are returning to a normal level. It has been stated that ethylene prices are declining and therefore, decline in the ethylene prices is causing decline in the import price. The Authority notes that it has found positive dumping in the period of investigation in the preliminary findings. Therefore, the contention that the import price decline is merely because of decline in the raw material price cannot be accepted.
 145. The interested parties have also contended that the increase in the cost can be due to the capacity expansion undertaken by the applicant as the interest cost for loan would have increased. During the verification, the applicant clarified that the expansion happened in the post period of investigation and no interest cost for the expansion has been added to the cost

of production for the period of investigation. The table below shows the interest cost of the applicant.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Interest cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	341	151	32
Interest cost	Rs lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	100	331	152	34

146. It is seen that the interest cost of the applicant has declined. Therefore, the claimed injury cannot be attributed to the expansion undertaken by the applicant. The Authority also notes that the profit before interest is negative in the period of investigation.

Cumulative assessment of imports

147. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

148. The Authority notes that:

- a. Imports from China, Korea, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand are at dumped prices.
- b. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
- c. The imports from these countries are above the *de minimis* limits prescribed under the Rules.

149. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined:

- a. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.

- b. Domestically produced products and the imported products are interchangeable.
- c. There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products.
- d. Consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
- e. Import price from the subject countries have moved in tandem.

150. The import price from the subject countries (CIF basis) is given below:

SN	Countries	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	China PR	Rs/MT	69,490	91,909	1,39,949	96,687
2	Taiwan	Rs/MT	75,503	97,081	1,21,759	98,249
3	Thailand	Rs/MT	78,750	97,277	1,43,935	1,01,433
4	Korea Rp	Rs/MT	78,542	82,299	1,48,664	1,02,615
5	Malaysia	Rs/MT	77,243	80,137	1,31,790	1,06,569
6	Norway	Rs/MT	75,247	71,720	1,33,251	92,502

151. It is seen that the import price from the subject countries have moved in tandem with each other. The import price in the period of investigation have increased as compared to the base year. Further, as compared to the immediately preceding year, the import price has declined in the period of investigation.

152. The table below shows the import volumes from the subject countries over the injury period.

SN	Countries	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	China PR	MT	12,182	1,127	15,560	19,359
2	Taiwan	MT	11,402	1,325	11,048	13,060
3	Thailand	MT	8,162	6,168	9,752	10,462
4	Korea Rp	MT	6,380	1,104	5,111	10,143
5	Malaysia	MT	4,904	1,546	6,938	10,135
6	Norway	MT	281	3,062	1,465	4,416

153. It is seen that the import volumes from the individual subject countries has moved in tandem with each other. When the demand declined in 2020-21, the imports from all the subject countries (barring Norway) declined. The import volume from the subject countries have increased in the period of investigation as compared to the immediately preceding year which shows the degree of competition between the imports from various sources.

154. The Authority has examined the transaction wise import data and found that the consumers have imported from the subject countries interchangeably. Furthermore, the domestic industry and the exporters have sold the same product to same set of customers. The domestic producers and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both products are being used by the consumers interchangeably.
155. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

G.3.1 Assessment of the demand

156. The Authority has determined the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, the supporter and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	101	107
2	Sales of other Indian Producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	92	68	62
3	Imports from Subject Countries	MT	43,310	14,333	49,874	67,575
	Trend	Indexed	100	33	115	156
4	Import from other countries	MT	29,871	28,026	15,041	13,766
	Trend	Indexed	100	94	50	46
5	Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	78	92	105

157. It has been submitted by the applicant that the total demand decreased in 2020-21 compared to base year due to the outbreak of COVID-19. The demand has posted a steady increase after 2020-21.

G.3.2 Volume effect of dumped imports.

158. The effect of the volume of dumped imports from the subject countries has been examined to ascertain whether imports have increased either in absolute terms or in relation to production or consumption in India.
159. The volume of imports from various countries in absolute terms and in relation to production and consumption is as under:

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	The subject countries	MT	43,310	14,333	49,874	67,575
2	Subject imports in relation to:					
a	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	36	116	149
b	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	43	125	149
c	Total Imports	%	59%	34%	77%	83%

160. It is seen that the imports of the product under consideration declined in 2020-21 compared to the base year as the demand declined. However, with the increase in the demand in 2021-22, the imports also increased. The imports have further increased in the period of investigation. The imports from the subject countries have increased in absolute terms and in relation to production, consumption and total imports. It is also seen that the imports have increased with the increase in demand and supply gap in the country.

G.3.3 Price effect of dumped imports

161. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the allegedly dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

i. Price undercutting

162. The Authority compared the landed price of imports with the net sales realisation of the domestic industry.

SN	Particulars	Net Sales Realisation Rs/MT	Landed Price Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT	Price Undercutting Rs/MT
1	China PR	***	1,04,664	***	***	0-10
2	Taiwan	***	1,06,354	***	***	0-10
3	Thailand	***	1,09,802	***	***	0-10
4	Malaysia	***	1,15,361	***	***	Negative
5	Korea RP	***	1,11,075	***	***	Negative

6	Norway	***	1,00,134	***	***	10-20
7	Average	***	1,08,057	***	***	0-10

163. It is seen that barring Malaysia and Korea RP, landed price of imports is below the prices of the domestic industry. However, the landed price of the subject countries as a whole is below the selling price of the applicant. Hence, the subject imports are undercutting the selling price of the domestic industry.

164. Further, since PCNs have been determined by the Authority in the subject investigation, the price undercutting has been examined at PCN level as well which is given below.

SN	Particulars	High	Medium	Total	Range
1	China P RP	***	***	***	10-20%
2	Taiwan	***	***	***	10-20%
3	Thailand	***	***	***	0-10%
4	Malaysia	***	***	***	0-10%
5	Korea RP	***	***	***	0-10%
6	Norway	***	***	***	10-20%
7	Total	***	***	***	0-10%

165. The Authority notes that the price undercutting is positive for all subject countries.

ii. Price suppression/depression

166. The table below shows the changes in the cost of sales, selling price and landed price of imports.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
3	Landed Price	₹/MT	82,027	95,316	1,48,693	1,07,186
	Changes					
4	Cost of sales	₹/MT	-	***	***	***
5	Selling price	₹/MT	-	***	***	***
6	Landed Price	₹/MT	-	***	***	***
	Trend					
7	Cost of sales	Index	100	106	140	148
8	Selling price	Index	100	121	160	113
9	Landed Price	Index	100	116	181	131

167. It is seen that in the year 2019-20, the landed price of imports was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. In 2020-21, the cost of sales has increased by around Rs *** per MT (6 index points). The selling price increased by Rs *** (21 index points). This was due to the increase in the landed price of imports. In the year 2021-22, the cost of sales and selling price further increased.
168. In the period of investigation, while the cost of sales has increased by Rs *** per MT, the selling price has declined. The decline in selling price was due to the decline in the landed price of imports. The imports were undercutting the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry.
169. Therefore, the Authority notes that that selling price of the domestic industry has been depressed in the period of investigation.

G.3.4 Economic parameters related to the domestic industry

i. Capacity, capacity utilisation, production and domestic sales

170. The following table shows capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, export sales by the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	97	101	107
5	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	1,383	423	113

171. It is seen that:

- The capacity with the domestic industry has remained constant throughout the injury period. However, it has been stated that the domestic industry has expanded capacity in the post period of investigation. The domestic industry has increased its capacity by 43,000 MT.
- The production and domestic sales of the domestic industry declined in 2020-21 due to decline in demand. The production and domestic sales have increased thereafter.

- c. The exports of the domestic industry have declined and are insignificant in volume over the injury period.

ii. Inventories

172. The following table shows the opening, closing and average inventory of the domestic industry during the injury period.

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	252	17	45
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	7	18	31
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	76	17	35

173. It is seen that the closing inventory was high in the initial years of the investigation due to COVID shutdowns. The closing inventory declined in 2020-21 and has increased thereafter in the POI.

iii. Market share

174. The following table shows market share distribution in the Indian market over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Share of the domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	110	102
2	Share of other producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	73	59
3	Share of the subject countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	43	125	149
4	Share of other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	121	55	44

175. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2020-21 but has declined in the period of investigation. The market share of the subject countries declined in 2020-21 when the imports declined but has increased thereafter. The increase in the market share of the subject countries could be attributable to the demand and supply gap.

iv. Profit/loss, cash profit and return on capital invested.

176. The information regarding profitability is given below: -

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	227	293	-125
2	Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	220	296	-134
3	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	192	254	-102
4	Profit before Interest and Tax (PBIT)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	253	253	-84
5	Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	258	217	-77

177. It is seen that:

- The profitability of the domestic industry improved till 2021-22 but has declined thereafter. The domestic industry has suffered financial losses in the period of investigation.
- The domestic industry has also suffered cash losses and negative return on capital employed.

v. Employment, wages and productivity.

178. The information regarding employment, wages and productivity is given below: -

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	102	105
2	Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	84	94
3	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	99	105
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	95	97	100

179. It is seen that the number of employees has increased steadily over the injury period. The wages paid declined in 2020-21 and 2021-22 but increased thereafter. The productivity has moved in line with the production. The domestic industry has stated that third plant will come up if the performance of the product is reasonable enough to justify return.

vi. Growth.

180. The information regarding growth is given below: -

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	POI
1	Production	%	(***)	***	***
2	Sales	%	(***)	***	***
3	Profit/(Loss) per unit	%	***	***	(***)
4	Inventory	%	(***)	(***)	***
5	Market Share	%	***	(***)	(***)
6	Profit Before Tax	%	***	***	(***)
7	Cash Profit	%	***	***	(***)
8	Profit Before Interest and Tax	%	***	***	(***)
9	Return on Investment (ROI)	%	***	(***)	(***)

181. It is seen that that volume parameters showed a negative growth in the 2020-21 when the demand declined. The price parameters showed a positive growth in 2020-21. The year 2021-22 has seen a positive growth in almost all the parameters except return on investment and inventory. The period of investigation has seen a negative growth in all the price parameters. The volume parameters have not shown a negative growth.

vii. Ability to raise capital investment.

182. The domestic industry is in losses and operating at negative returns at capital employed. Therefore, the Authority holds that dumping of the product under consideration in the Indian market has impacted the ability to raise capital investment of the domestic industry.

viii. Margin of dumping.

183. The margin of dumping may be an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The dumping margin is positive for all countries,

ix. Factors affecting prices of the domestic industry.

184. It is seen that barring the domestic industry, there is one other producer of the product in India which has supported the application. The capacity of the other producer is quite low considering the demand in the country. Therefore, the other producer cannot be a factor which has affected the prices of the domestic industry.

185. It is also seen that the landed prices are below the cost and selling price of the domestic industry. The landed price imports are depressing the prices of the domestic industry as a result of which the domestic industry has suffered financial losses.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS.

186. As per the Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in the demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury.

a. Volume and price of imports from third countries.

187. In addition to the subject countries, imports above *de-minimis* limits are from European Union and Japan.

- a. It is seen that the imports from Japan have declined in the period of investigation. Furthermore, the import price from Japan is higher than the import price from the subject countries and the selling price of the domestic industry. Therefore, imports from Japan could not have been a cause of injury suffered by the domestic industry.
- b. It is seen that the imports from European Union have not shown any particular trend over the injury period. When the imports from the subject countries declined in the year 2020-21, the imports from European Union increased. While the imports from European Union have increased in the period of investigation, they are lower as compared to their level in 2019-20 and 2020-21. Further, it is also seen that the import price from European Union is relatively higher as compared to the import price. Therefore, imports from European Union could not have been a cause of injury suffered by the domestic industry.

b. Contraction in the demand

188. There has been a constant rise in the demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in the demand is not a possible reason of injury to the domestic industry.

c. Pattern of consumption

189. No significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in this regard.

d. Conditions of competition

190. There appears to be no such conditions of competition or trade restrictive practices that can be a cause of the claimed injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

191. There appears to be no developments in technology, which could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry

192. The price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, the analysis on injury is not misrepresentative due to possible inclusion of export performance.

193. It is seen that there are no other factors which could have caused material injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

194. The Authority has determined the non-injurious price for the applicants on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the applicants. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials, utilities and production capacity over the injury period including POI has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

SN	Particular	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	China PR					
a	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd	***	***	***	***	50-60
b	Shenyang Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
c	Any other	***	***	***	***	60-70
2	Korea RP					
a	M/S Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	30-40
b	Any other	***	***	***	***	40-50
3	Malaysia					
a	Any other	***	***	***	***	40-50
4	Taiwan					
a	Formosa Plastics Corporation	***	***	***	***	40-50
b	Any other	***	***	***	***	40-50
5	Thailand					
a	TPC Paste Resin Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
b	Any other	***	***	***	***	30-40
6	Norway					
a	All	***	***	***	***	40-50

J. ISSUES OF THE INDIAN INDUSTRY

J.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties.

195. The opposing interested parties have submitted as follows on the issue of Indian industry.
- a. There is a huge demand supply gap, and the users are forced to import the product.
 - b. Anti-dumping duty were imposed on the product in the past as well and the protection by way of such measures were not utilized by the domestic industry to expand their capacity even by this time.
 - c. It is the inability of the domestic industry to supply all the required grades in required quantity that forces the users to import.

- d. Several thousand end users in India are mostly in MSME category and the imposition of anti-dumping duty will adversely impact them.
- e. Government of India is in the process of implementing mandatory standard certification requirement on PVC Paste Resin which will create a non-tariff barrier. Anti-dumping duty should be imposed keeping in mind the BIS standard proposed.
- f. The imposition of anti-dumping duty and BIS will give monopoly to the applicant.
- g. Impact calculations of the domestic industry are based on flawed suppositions. The domestic industry assumed the average price of a pair of footwear to be INR 1,000, which is significantly higher than average.
- h. Slippers and shoes are available for doorstep delivery on prominent online retail platforms starting from INR 51 and INR 200 respectively. An anti-dumping duty of 20% will increase the cost of production of footwear by 5-10%.
- i. The goods supplied by the domestic industry are of inferior quality, as evidenced by their near-zero exports. The domestic industry is unable to export to other markets as international customers are not willing to buy their product.
- j. The applicant has never expanded its capacity despite so many years of protection.
- k. While preliminary findings take into consideration footwear price of Rs 1000, these are available at price of Rs 51.
- l. The preliminary findings have referenced the price of Rs. 75,000 for a sofa set, which is beyond the affordability of the average Indian citizen.
- m. This estimation considered for impact calculation does not reflect the economic realities of a nation where the majority of citizens cannot afford such high-priced items.
- n. The applicant cannot provide the quality of the product required by the downstream industry.
- o. The view taken by the Authority in the preliminary finding that the user industry is a pass-through industry is not correct.

J.2 Submissions made on behalf of the domestic industry.

196. The domestic industry has submitted as follows on the issue of Indian industry.
 - a. The domestic industry has undertaken capacity addition of 43,000 MT at a cost of Rs 350 Crore and is further undertaking capacity expansion of 35,000 MT. This will significantly bridge the demand and supply gap.
 - b. The impact of 20% increase in the price of PVC Paste on end products will be insignificant. The impact in case of top segment car, footwear and sofa set will be 0.03%, 0.15% and 0.15% only.
 - c. Synthetic leather is used only in high segment cars and not in case of low segment cars. Similarly, a consumer with a smaller pocket to spend on sofa will either buy a sofa with an average quality of synthetic leather wherein the share of the product under

- consideration is low or buy a sofa made out of fabric material only. Therefore, the impact of anti-dumping duty will not be felt by people with low paying capacity.
- d. The domestic industry has never taken the complete benefit of anti-dumping duties. Considering the duties in force in the past, the landed price including anti-dumping duty was higher than the selling price of the Indian industry.
 - e. Duties have been imposed on the product in the past. Such imposition did not have any adverse impact at the time. Further, even the expiry of the duties failed to have a positive effect. The demand for the product has grown consistently even when the duties were in force.
 - f. The competitiveness of the downstream industries is unlikely to be impacted as exports of downstream products have remained consistent from the period when duties were in force to when duties expired.
 - g. Profits of the downstream industry move independently of the price of PVC paste. The profits earned from sales of artificial leather increased even when the price of PVC paste increased.
 - h. The downstream industry is a pass-through industry.
 - i. For artificial leather fabrics, the share of the product under consideration in the total cost is only 22%.
 - j. The CIF import price from the subject countries was Rs 1,33,427 per MT in 2021-22. Even after considering the anti-dumping measures, the landed price of imports will not increase to that level.
 - k. The product supplied by the domestic industry has a lower lead time as compared to the imported product. In fact, the average sea freight time from the subject countries ranges from 10 to 22 days.
 - l. The duty will not lead to a supply shortage as the domestic industry is undertaking capacity additions and the product under consideration is also imported from non-the subject countries at non-dumped prices.
 - m. The domestic industry has *** MT plant of ethylene di-chloride and the entire production is consumed in the product. If the plant of the product under consideration is shutdown or production is suspended, it will adversely affect the ethylene di chloride plant as well.
 - n. Imposition of duty will create a level playing field and allow the domestic industry to compete in the market on fair terms and salvage their sharply deteriorating financial standing.
 - o. The purpose of anti-dumping duties is also recognized by the Hon'ble Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. The Designated Authority* [2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)] wherein it was highlighted the role played by the anti-dumping law help in helping achieve India's national aim of creating a modern, highly industrialized, powerful state.

- p. The applicant has been consistently expanding capacities in view of growing demand in the country. From 2008-09, the capacity has increased from 34KT to 109 KT.
- q. 12 users registered as interested parties in the present investigation but only the following 5 users have filed response. No response has been filed by the 7 producers. This is despite 2 of these entities being listed entities.
- r. 5 users have filed economic interest questionnaire. However, none of the users have provided quantified impact of anti-dumping duty.


G.3 Examination by the Authority.

197. The Authority underscores that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The recommendation, if any, of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is based on a detailed analysis regarding dumping, injury and the causal link between the two and is a mechanism to ensure a level playing field. It is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the presence of such measures. Far from diminishing competition, the anti-dumping measures serve to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the product under consideration. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
198. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of an antidumping duty on their operations. The Authority sought information on interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
199. The following users registered themselves as an interested party in the present investigation.

SN	User/importer of the product under consideration in India
1	AC Polycoaters Private Limited
2	Aritas Vinyl Private Limited
3	Arora Vinyl Private Limited
4	AV Unicoaters Private Limited
5	Beeta Poly Coats Private Limited
6	Delite Collections Private Limited
7	Jasch Industries Limited
8	Klassik Lamitex Private Limited
9	Marvel Vinyls Limited
10	Mayur Uniquoters Limited
11	Polynova Industries Limited
12	Premier Poly film Limited
13	Prerna Rex Private Limited
14	RMG Polyvinyl India Limited
15	Shiv Polymers

200. The Authority has examined the submissions made by all the interested parties.
201. The user industry has contended that the anti-dumping measures will have an adverse impact on them. However, the user industry has not provided any impact of anti-dumping duty on their operations and have also not established that they will not be able to pass on the impact on the cost on to the downstream industry.
202. The Authority notes that though in the event of imposition of anti-dumping duties the price level of product in India may be affected but fair competition in the Indian market will not be reduced by such anti-dumping measures. On the contrary, the anti-dumping measures may mitigate the unfair advantage gained by dumping practices, which would arrest the decline of the domestic industry both material injury and would help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.
203. As regards the submission on huge the demand and supply gap, the Authority notes that the domestic industry has already undertaken capacity expansion of 43,000 MT at a cost of Rs 350 Crore. The domestic industry has additionally submitted that they have plans to further expand capacity by 35,000 MT but currently the same has been deferred on account of dumping. The domestic industry is currently catering to around ***% of the demand for the product in India. With the expansion already undertaken, it will be able to cater more than ***% the demand in the country. It is also seen that there is another producer catering to the demand in India and imports happening from various other sources as well.

204. The Authority also notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports, nor it justify exports at dumping prices. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian the demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.
205. It is also seen that the imports of the product under consideration in the past were attracting anti-dumping duty. Based on the information on record, it is seen that despite there being anti-dumping duty, the demand for the product had continued to increase. While the demand decline in 2020-21, it was due to the Covid outbreak.



Source – EIQ filed by the domestic industry.

206. The domestic industry has provided the impact of anti-dumping duty on the eventual end product. The domestic industry has provided the following impact.

SN	Final downstream good	Car (Top model in mid segment car)	Footwear	Sofa set
1	Cost of end product	11,00,000	1,000	75,000
2	Share of leather cloth in total cost	0.68%	3.50%	3.33%
3	Share of PVC paste in total cost	0.15%	0.77%	0.73%
4	Impact of 20% anti-dumping duties	0.03%	0.15%	0.15%

Source – EIQ filed by the domestic industry.

207. The user industry has submitted that prices considered by the Authority are very high. The user industry submitted that ‘a quick search on online retailer amazon.in shows that

footwears in the form of slippers are available for door delivery for a price starting Rs 51 onwards and footwears in the form of shoes are available for door delivery for a price starting Rs 200 onwards inclusive of taxes' but the Authority considered Rs 1000 as the price. The Authority, in this regard notes that the users have failed to mention about the material of such Rs 51 slippers. The same search would show that slippers at such prices are not made from PVC paste but from rubber. Therefore, the aforementioned submission is misleading. The user industry has not provided any impact of anti-dumping duty on their operations.

208. The Authority notes that 5 users filed questionnaire response. It is seen that the share of the product under consideration forms 20-30% share in the cost of sales of the other interested parties. The anti-dumping duties recommended in the preliminary finding ranged from as low as 41\$/MT in case of Korea RP to as high as 600 \$/MT. Even if 20% anti-dumping duty is considered, the impact in the cost will be around 4-5%. The user industry has not established that it cannot pass on the increase in the cost of product. Further, it has also not been shown how past duties impacted them.
209. The domestic industry has additionally claimed that the price of the product was higher in past, and the prices have declined only in the recent period. Even if anti-dumping duty of 20% is considered, the price including anti-dumping duty will be lower than the price in the past. Therefore, when the past high prices did not have any adverse impact on the users, the measures will also not have any adverse impact.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Post disclosure submissions made on behalf of the opposing interested parties.

210. The following comments have been filed on the disclosure statement by the other interested parties: -
- a. There is difference in the data for import volumes, landed price and demand as recorded in the preliminary finding and the disclosure statement.
 - b. Customer Category Price Adjustment and Lot Size Adjustment have not been allowed in the normal value calculation for Thai Polyethylene Co. Ltd. and TPC Paste Resin Co. Ltd.
 - c. The decline in landed prices during the investigation period is significantly influenced by a normalization of freight costs in 2022-23. Movement of the product under consideration prices will not mirror ethylene prices exactly, as other factors, also significantly influence the final landed price.
 - d. QCO will effectively restrict imports of PVC Paste Resin from all countries including China PR. Since these measures are likely to restrict the imports of subject goods in

- near future, there is no requirement of additional barrier to trade in form of anti-dumping duty on the very same subject goods.
- e. Request have been made by the parties for physical verification of technical capacities/capabilities of the applicant to produce specialty grade PVC paste resin at their premises by the Authority but no details in this regard is provided in the disclosure.
 - f. The Authority has noted that the applicant manufactures seven of them, with the eighth grade not being produced due to lack of demand. If the applicant has the capability to manufacture all 8 grades as per BIS, then it should have obtained BIS for all the 8 grades.
 - g. The Authority has observed that there are minor import quantities of INOVYN PVC P1510 and INOVYN PVC P16, and that there are no material price differences of various grades of E-PVC imported over the period of investigation. Price difference between products is not the sole basis to assess whether the product under consideration and domestically produced grades are like articles.
 - h. Inovyn requests that “TM” may be added to the word Biovyn in the final findings.
 - i. Cost of production for Formosa Plastics Corporation requires a revisit as several adjustments have been disallowed. It has been stated that chlorine, a by-product in caustic soda production, incurs negligible or negative costs globally, as confirmed by SCI99 and CMA data. Failure to consider this adjustment has led to inflation of dumping margins unfairly.
 - j. FPC Taiwan has stated that the Authority has considered packing cost in calculation of cost of production for undertaking 80:20 test. This has resulted in the comparing the unpacked domestic sales with cost of packed product distorting the cost and price comparisons.
 - k. 22% return on capital employed should not be allowed. Consistent practice of 22% continues to ignore the evolving economic realities that impact the profitability and sustainability of the domestic industry.
 - l. Taiwan should be considered as a surrogate country for determining the normal value for China PR. FPC Ningbo and FPC Taiwan are comparable with each other in terms of raw material policies, quality control standards, maintenance of accounts etc.
 - m. FPC Ningbo should be granted market economy status as all the conditions required for granting non-market economy treatment are fulfilled.
 - n. As per Section 9 A, the Authority is required to determine dumping margin based on the records and information provided by the producer or exporter, provided such records are maintained and made available.
 - o. If the producer or exporter fails to supply the requested records or information, only then can the Authority rely on the “facts available” approach.

- p. The Authority can only reject information submitted by a producer or exporter regarding normal value and export price if the records are either inconsistent with GAAP or fail to reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.
- q. Only 4000 to 5000 MT is imported by Korean users. Hence, Hanwha is not in any pressure to sell more goods in Korean market, when more than 85% of the Korean demand is met by Hanwha itself.
- r. The imported product in Korea RP is of much higher price because this type of product cannot be supplied by Hanwha. The speciality nature, inclusion of ocean freight and other custom clearance expenses in comparison with the Hanwha's domestic price.
- s. Rising demand for PVC Paste Resin—from 139 KT to 163 KT in FY 2022-23—cannot be met by domestic producers. Planned expansions remain unfulfilled, necessitating imports. Imports are essential for supporting downstream MSMEs and industries. Failure of the applicant to expand capacity undermines claims of injury and confirms the critical role of imports in meeting demand.
- t. The disclosure statement is silent on the specific aspects which were verified during the on-the-spot verification.
- u. The BIS were taken after the period of investigation, a post-POI development, and cannot be considered for concluding whether the applicant had the requisite capacity to manufacture these grades during the period of investigation.
- v. The users are only importing the speciality grades which are not produced by the applicant. These grades are imported at a higher price and are not like article to the imported product.
- w. The Authority has noted in the disclosure statement that user industry has not provided any information on account of cost difference on account of viscosity, gelation, air release, etc. The user industry does not have access to specific pricing data. The Authority should have demanded this from the participating producers.
- x. The observation that the applicant has produced and supplied product with K value more than 75 is erroneous. The user industry is unaware about any such sale made by the applicant.
- y. On the reference to the sunset review investigation where it was found that applicant's product had specialised properties, each anti-dumping investigation pertains to a distinct period of investigation and thus, the findings from an earlier investigation are not directly applicable to the present investigation due to differing timeframes and evolving market dynamics.
- z. Authority must disclose applicant's data on grade-wise sales, along with invoices, demonstrating the supply of low-fogging grades for automotive applications during the period of investigation.

- aa. The IS 17658: 2021 standard should serve as the guiding criterion for determining the product characteristics of the product under consideration. The IS 17658: 2021 supersedes the previous finding of the Authority and the IIT Delhi report.
- bb. Authority has not considered the comments of user on the confidentiality claimed by the applicant on the profitability figures. The annual report of the users reflect huge profits whereas the applicant is claiming losses. Detailed segment-wise profit must be examined data to ensure a transparent and accurate injury analysis.
- cc. Duties are projected to escalate raw material costs by 4–5%, reducing competitiveness, increasing downstream imports, and risking job losses in MSMEs. Anti-dumping duties will create monopolistic practice which will favour domestic producers, undermining economic stability and employment.

K.2 Post disclosure submissions made on behalf of the applicant.

211. The following comments have been filed on the disclosure statement by the applicant: -
- a. Merely because a certain grade has not been imported during the period of investigation is not reason enough for that grade to be excluded from the product scope. Duties have been imposed in the past on grades that have not been imported in the period of investigation.
 - b. The very fact that the producer has participated in these proceedings and has sought *ex ante* exclusion of the grade indicates that they intend to export the product to India in the future.
 - c. In international markets, especially for commodity products, prices may change at any time. Therefore, without the guarantee of a price benchmark, any price differential between Biovyn and the grades manufactured by the applicant is like a line drawn in water.
 - d. The request for a price benchmark must be considered on balance of probabilities. There is a clear possibility that Biovyn may cause injury to the applicant in the future.
 - e. Hanwha has a related user of the product under consideration *** which buys the product under consideration from the producer. Hanwha has concealed such a significant information in its questionnaire response shows the *mala fide* intentions of the producer.
 - f. Hanwha has suppressed information that its related exporter - Hanwha Chemical Corporation has also exported the product under consideration. *** and *** have also exported the product under consideration.
 - g. The Authority is requested to disclose (a) the volume of exports exported by suppliers other than Hanwha Solutions Corporation and (b) their treatment in the export price calculation for Hanwha Solutions Corporation.

- h. Since Hanwha Solutions Corporation is the only supplier of the product from Korea RP, it implies that the exported product is produced by Hanwha Solutions Corporation and hence the aforementioned exports by other suppliers are nothing but exports of Hanwha Solutions Corporation.
- i. Since the producer has concealed the information with regard to the exports made by the related entity, adverse facts are required to be applied on the transactions exported through the related entity.
- j. The applicant requested examination of the normal value reported by Hanwha Solution Corporation. This was necessary to examine whether the value of Ethylene and VCM reported by the producer reasonably and appropriately reflects market values. The disclosure statement issued by the Authority is completely silent in this aspect.
- k. Hanwha Solutions Corporation and Formosa Plastics Corporation have claimed packing cost as adjustment in even domestic selling price. The packing in both the markets is very different. For the domestic market, there is only one packing. However, in the export market, there are two forms of packing. Only the secondary packing of pallets was required to be adjusted in the calculation of net export price.
- l. The applicant had requested the Authority to direct exporters to demonstrate how their products are packed in the domestic market and the export market. The disclosure statement issued is silent on this aspect.
- m. Hanwha Solutions Corporation has a related entity in India which is acting as an agency for the producer and was required to file a response.
- n. As per articles of association of the company the Indian entity has listed agency service as one of its key operations. The Indian entity performs the functions such as identifying agents, facilitate sales, taking offers, provision of sales support, provision of logistical services in respect of some of the customers.
- o. In the anti-dumping investigation concerning imports of CPVC from China and Korea, Hanwha had filed response along with its related entity in India. When the producer had shown the Indian entity as a related entity performing marketing operations in that investigation, there is no reason for the Authority to not consider that the entity performs the same function in the present case.
- p. The Indian entity has reported significant amount as receipt against services from its parent company Hanwha Solutions Corporation. The related entity was required to file a response, and the adjustments were required to be made for these selling expenses and reasonable profits for Hanwha Solutions Corporation.
- q. The exporter has misled the Authority in the questionnaire response by suppressing material facts. If the exporter can suppress such vital facts about the Indian market, it is quite possible that the suppressions are far more in respect of information pertaining to the Korean entity.

- r. The requirement for related entity to file a response has been made clear in the Manual of Operating Practice for Trade Remedy Investigations.
- s. Complete responses in respect of related entities involved in the sales process are required for accurately determining the cost of sales. If these entities are involved in the sales process, then the costs incurred by them forms a part of the cost of sales/constructed export price and must be accounted for accordingly.
- t. Related parties were required to file response in (a) Pre-sensitized Positive Offset Printing Plates from Bulgaria, China, Malaysia, Singapore and South Korea and (b) Circular Weaving Machines.
- u. In the anti-dumping investigation concerning imports of Circular Weaving Machines, the adjustment was carried out despite the fact that the company was not engaged in direct sales activities.
- v. In the anti-dumping investigation concerning imports of Non-Woven Fabric from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China, the Authority had rejected the response filed by one of the producers for, inter alia, failure to disclose existence of marketing office in India.
- w. Related trader and importers are required to file response if they are directly or indirectly involved in exports of product under consideration to India. In the absence of information, the Authority is required to apply adverse facts.
- x. Hanwha Chemical India Pvt. Ltd. performs its agency business only for Hanwha Solutions Corporation. The entire revenue of Hanwha Chemical India Pvt. Ltd. is receipts from Hanwha Solutions Corporation. The expenses incurred by Hanwha Chemical India Pvt. Ltd. charged from Hanwha Solutions Corporation should be allocated on the product under consideration considering the total exports made by Hanwha Solutions Corporation.
- y. Adjustments should also be made for the profits earned by Hanwha Solutions Corporation.
- z. It is also the practice of other investigating authorities to require related parties involved in the sales process to furnish all information, including expenses incurred towards sales.
- aa. The USDOC asks information for all related parties from the country of export, country of import (US) and even third countries are required to file complete information if they are involved in the sales process. Similarly, in case of European Union, the information is required to be provided in respect of each step in the sales negotiation process, from the first point of contact with the customer up to and including any after-sale price adjustments.
- bb. It has been stated in the undertaking given by Kaneka that the undertaking shall take effect 3 months from the date of acceptance by the Authority. The three month timeline mentioned by Kaneka has no legal basis. It may be notified that that the

undertaking shall take effect from the date the recommendations are accepted by the Ministry of Finance.

K. 3 Examination by the Authority.

212. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained itself from repeating the responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed by the Authority to require further examination, are examined and addressed hereunder.
213. The Authority has carefully considered the comments filed by various interested parties regarding the product control number (PCN) methodology, the scope of the product under consideration (PUC), and the role of Bureau of Indian Standards (BIS) standards, including assertions relating to the Quality Control Order (QCO), Chemplast's production capabilities, and specialty grades of PVC Paste Resin. The Authority observes the following for these submissions:

On the alleged conflation of BIS Standards with PCN methodology:

214. The Authority reiterates its pre-disclosure position that the objectives of the PCN methodology and BIS standards are distinct and serve different purposes. The BIS standards, as stipulated under IS 17658:2021, prescribe technical specifications and quality parameters for PVC Paste Resin. These standards are intended to regulate product quality in the domestic market and ensure compliance for consumer safety and technical use. In contrast, the PCN methodology is a tool adopted in trade remedial investigations to enable fair comparison of prices and costs across different grades of the product under consideration. By adopting PCNs, the Authority ensures a like-to-like comparison between the imported subject goods and the domestic like product, which is critical for determining the dumping margin and injury margin.
215. The fact that products are categorized into eight grades under BIS standards does not automatically necessitate their exclusion from the PUC. The existence of different grades does not alter the fundamental nature of PVC Paste Resin as a single product. The PCN methodology adopted by the Authority ensures a fair comparison across grades, and the scope of the PUC remains appropriately defined to include all grades of PVC Paste Resin that share essential physical and chemical characteristics. The PCN methodology adequately

accounts for variations in cost and price, thereby addressing the concerns of fair comparison raised by interested parties. Thus, the reliance on BIS categorization to argue for exclusion of grades is misplaced and irrelevant to the present investigation.

On QCO implementation and its implications for anti-dumping duties:

216. The arguments advanced by interested parties regarding the impending Quality Control Order (QCO), effective December 24, 2024, are premature and lack merit. While it is correct that the QCO mandates BIS compliance for all producers, including foreign exporters, the implementation of QCO and its impact on imports are beyond the scope of the present anti-dumping investigation. Trade remedial measures, including anti-dumping duties, are imposed to address unfair trade practices and to remedy injury caused to the domestic industry. The imposition of a QCO does not automatically eliminate the need for anti-dumping duties, as QCO compliance does not address issues of dumping, price undercutting, or injury to the domestic industry.
217. Moreover, QCO compliance is a future regulatory requirement and its implementation cannot form the basis for precluding trade remedial measures under the current investigation. The Authority cannot pre-emptively assume that the dumped imports will cease upon the QCO coming into effect, nor can it disregard evidence of injury caused during the period of investigation. The possibility of future compliance by foreign producers cannot be a basis to deny relief to the domestic industry suffering present injury. Therefore, the assertion that QCO implementation would render anti-dumping duties unnecessary is unfounded.

On the exclusion of certain grades including speciality grades and production capabilities of domestic industry:

218. The Authority notes the submissions by interested parties seeking exclusion of grades having K value of more than 75, INOVYN PVC P1510, INOVYN PVC P16 as well as specialty grades of PVC Paste Resin and the contentions regarding production capabilities of the domestic industry. In this regard, the Authority observes the following :
- a) The applicant has provided a list of grades supplied by it that are comparable to the imported products. The fact that the applicant's product is BIS approved further establishes the likeness between the its products and the product imported from subject countries.

- b) It has been stated that the users are importing only speciality grades which are at high prices. The Authority has examined the transaction wise import data to see the price trend of various grades over the period of investigation. It is seen that there is no material difference in the price of various grades over the period of investigation. If the contention of the other interested parties is to be accepted, the import price would have shown variation between different grades.
- c) The users have also stated that they primarily import product of K value more than 75 from the subject countries and the same is not supplied by the applicant. The Authority notes that the applicant has sold significant quantities *** MT of its grades PVC Resin – 121 and PVC Resin – 128 which have K value more than 75 and are BIS approved as well.
- d) Secondly regarding the specialty grades cited by few interested parties, the Authority notes that these grades have not been demonstrated to constitute a distinct product segment requiring exclusion. The arguments presented lack sufficient evidence to prove that these specialty grades are so unique in nature and use that they fall outside the broader scope of PVC Paste Resin or merit exclusion from the scope of PUC. Hence, the Authority, in the instant investigation, finds no legal or technical basis for narrowing the scope of the PUC.

On the use of the IIT Delhi report:

219. The Authority acknowledges the submissions regarding the alleged obsolescence of the 2013 IIT Delhi Report. However, it is important to note that the IIT Delhi report is one piece of evidence among many considered during the investigation. The introduction of BIS standards in 2021 does not invalidate the relevance of earlier technical studies. The Authority's determination is based on a holistic evaluation of all evidence. The arguments to disregard the IIT Delhi report are therefore without merit.
220. The Authority has carefully considered the post-disclosure comments raised by the domestic industry against Hanwha Solutions Corporation (HSC) and has the following observations and findings based on the facts, records, and submissions made during the investigation process:

On the allegation of concealment of (i) relationship with domestic user *, (ii) export volumes by other suppliers and (iii) and non-disclosure of such export volumes and their treatment in export price calculations for Hanwha**

221. The Authority has examined the above allegations and notes as under:
- a) The domestic industry has not provided any credible evidence to demonstrate a relationship between *** and HSC or to substantiate the claim of "*mala fide* intent." Therefore, the Authority finds no merit in the allegation.
 - b) For the allegations of exports done through few more entities and concealment of the same, the Authority, based on the data/information submitted by HSC, notes that HSC has directly exported the subject goods during the period of investigation.
 - c) Export price calculations are based solely on verified data provided by HSC and supported by corresponding documents. Therefore, the request for disclosing confidential export volume data cannot be entertained.

On the alleged concealment of exports made through Hanwha Chemical Corporation Hanwha Corporation

222. The domestic industry alleges that Hanwha Chemical Corporation exported the product under consideration, and that HSC suppressed this information. The Authority finds as follows:
- a) Hanwha Solutions Corporation was formerly known as Hanwha Chemical Corporation, as evidenced by Gazette Notification No. 3/2021-Customs (ADD) dated 28.01.2021. The change in corporate nomenclature does not constitute suppression or concealment.
 - b) Regarding the exports allegedly made through Hanwha Corporation, HSC has placed on record relevant export documents which clearly demonstrate that all exports during the period of investigation were made directly by HSC and not by any other related or unrelated entity.

On the allegation of applying adverse facts due to concealment by related entity:

223. The domestic industry has urged the Authority to apply adverse facts to transactions made through HSC's related entities. The Authority observes the following in this regard:
- a) As established above, there is no evidence to suggest that exports were routed through any undisclosed related entity.
 - b) Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act, 1975, mandates application of adverse facts only when an exporter fails to provide the required records or information. In the present case, HSC has cooperated fully, and its submissions have been verified by the Authority.
 - c) Therefore, the demand for applying adverse facts to HSC's transactions is unjustified and does not hold merit.

On examination of normal value and inputs like Ethylene and VCM

224. The domestic industry contends that the normal value reported by HSC should be examined to verify whether the values of key inputs, such as Ethylene and Vinyl Chloride Monomer (VCM), reasonably reflect market values. The Authority notes:
- a) HSC has provided a detailed breakdown of its production cost, including the costs of key raw materials like Ethylene and VCM. These costs have been examined and verified by the Authority during the verification process.
 - b) The domestic industry has not provided any evidence to demonstrate that the reported input values are inconsistent with prevailing market conditions.
 - c) In the absence of any contrary evidence, the Authority finds no basis to reject the reported normal value or input costs filed by HSC.

On adjustments to packing costs for domestic and export markets

225. The domestic industry argues that secondary pallet packing costs in export markets should be adjusted to ensure a fair comparison. The Authority finds as follows:
- a) As regards the submission of the domestic industry that Hanwha incurs additional costs in exports compared to domestic sales, where simpler packing is used and therefore the Authority should adjust only secondary pallet packing costs in order to ensure fair comparison between domestic and export prices, it is noted that HSC has provided the evidences regarding the adjustments claimed in domestic sales (Appendix-4A) and Exports to India (Appendix-3A) with regard to packing cost. It is further noted that Rule 9A 6A of the Customs Tariff Act, 1975 states as under:

9A Where any article is exported by an exporter or producer from any country or territory (hereinafter in this section referred to as the exporting country or territory) to India at less than its normal value, then, upon the importation of such article into India, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, impose an anti -dumping duty not exceeding the margin of dumping in relation to such article.

6A The margin of dumping in relation to an article, exported by an exporter or producer, under inquiry under sub-section (6) shall be determined on the basis of records concerning normal value and export price maintained, and information provided, by such exporter or producer: Provided that where an exporter or producer fails to provide such records or

information, the margin of dumping for such exporter or producer shall be determined on the basis of facts available.

(emphasis added)

- b) Therefore, Section 9A 6A is clear that unless and until the producer or exporter fails to provide any record or information, the Authority cannot arbitrarily apply the facts available. Additionally, the domestic industry has not provided any evidence to support its claim that HSC incurs different packaging costs for domestic and export sale. In the facts and circumstances of the current investigation, the contention of the domestic industry to adjust only secondary packaging cost in order to ensure fair comparison between domestic and export prices by HSC cannot be accepted.

On adjustments related to India office of Hanwha:

226. The Authority notes that Hanwha, in its questionnaire response, has duly informed about the Hanwha India office and hence the question of suppression of information does not arise. It has been further submitted that all the PUC exported to India during POI was directly sold and shipped by Hanwha to unrelated importers in India. Additionally, Hanwha Korea has already paid brokerage/agency commission on all such exports to India in Korea itself. The adjustment for the same has already been claimed in the response filed by Hanwha and verified by the Authority.
227. The Authority has carefully examined the issue of discrepancies raised by the interested party regarding data in the preliminary findings. In response, the Authority conducted a comprehensive review, addressing both the specific issues raised therein and any other potential anomalies to ensure data accuracy. The disclosure statement and these final findings reflects the updated data regarding import volumes, landed price and demand after due rectifications.
228. As regards MET treatment for FPC Ningbo, the Authority notes that the market economy treatment cannot be granted solely based on the factors claimed by the producer. Formosa Ningbo has not shown how the procurement of land, financing, capital goods, raw material and utilities are at market price and without any interference from the government.
229. As regard considering Taiwan as a surrogate country, the Authority notes that the issue has already been addressed in the disclosure statement. An appropriate market economy third country can only be selected keeping in view the level of development of the country and the product. No information has been provided to establish how Taiwan is an appropriate market economy country, particularly when Taiwan is also subject to investigation.

230. With regard to submission of interested parties for consideration of return of 22% for determination of non-injurious price is not appropriate. The Authority notes that the return of 22% on capital employed is applied in all cases as per the consistent practice of the Authority. While it has been stated that 22% return on capital employed is not appropriate, the other interested parties have failed to provide any other reasonable calculation methodology.
231. As regards the comments on demand and supply gap, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties is not to restrict imports but to ensure that the product is supplied at fair prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country. CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, the demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices.
232. The Authority notes that interested parties have made contradictory submissions. While it was earlier contended that the import price declined because of the decline in price of ethylene, it has now been stated that the PVC and ethylene prices will not mirror as there are other factors as well which influence the prices. While the interested parties have claimed the existence of other factors, no corroborative evidence has been brought forward. On the contrary, the Authority has found that the export price from the subject countries is significantly below the respective normal values showing that the decline in the import price is attributable to dumping.
233. As regards profits in the annual report, the applicant is a multi-product company which is engaged in the production of a number of products. The Authority has examined the complete cost of production of the applicant as per the records maintained. The Authority has satisfied itself that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.
234. The Authority notes the contention of the interested parties with regard to the increase in their cost of production due to anti-dumping duties. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the prices in the domestic market. However, the anti-dumping measures will provide a level playing field and promote fair competition in the market. The import price of the product has declined significantly in the period of investigation and the landed price of imports after addition of anti-dumping duty will still be lower than the prices in 2021-22.

L. CONCLUSION

235. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- a. The product under consideration for the present investigation is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin. Product under consideration with a K value below 60K, PVC Blending Resin, Co-polymers of PVC Paste Resin, Battery separator resins, Biovyn™ produced by Inovyn are outside the scope of the product under consideration.
- b. The product supplied by the applicant is a like article to the imported product.
- c. Chemplast Sanmar Limited, constitutes 'the domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
- d. Considering the normal value and export price for the product under consideration, the dumping margins for the product under consideration from the subject countries have been determined, and the margins are significantly positive.
- e. The dumping margin for Hanwha Solutions Corporation has been found to be *de-minimis*.
- f. The examination of the imports of the product under consideration shows that the volume of dumped imports from the subject countries have increased in the period of investigation. The imports have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption.
- g. The import price is below the selling price of the domestic industry resulting in price undercutting.
- h. The import price has not moved in line with the cost of production which has prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the increase in the cost of production.
- i. The domestic industry has not suffered injury on volume parameters. The production and sales of the domestic industry have improved. The injurious impact of the dumped imports is felt on the price parameters.
- j. The domestic industry is incurring financial losses, cash losses and a negative return on capital employed.
- k. The dumping of the product under consideration has adversely affected the expansion plans of the domestic industry.
- l. The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor

appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.

- m. Imposition of anti-dumping duty would not affect the availability of the product to the customers. The imports of the product under consideration will continue to happen at fair prices.
- n. The Authority has quantified the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the recommended measures on the eventual end consumers will be insignificant.
- o. The product has been investigated in past and the demand for the product has grown consistently when the measures were in force. No information has been brought forward to show that the imposition of measures had an adverse impact on users.

M. RECOMMENDATIONS

236. The Authority notes that investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
237. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in these findings for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Accordingly, anti-dumping duty as indicated in Column 7 of the duty table given below, is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five years from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No. 09/2024-Customs (ADD) dated 13th June 2024.
238. Kaneka Paste Polymer SDH BHD, Malaysia, has given a price undertaking to the Designated Authority and has agreed not to sell the product under consideration either directly or through intermediaries, to India at prices that have been accepted by the Authority. The Authority considered the price undertaking given by Kaneka. Further, comments were

sought from the affected domestic industry. The domestic industry has accepted the price undertaking with certain reservations. The reservations expressed by the domestic industry were addressed by Kaneka. The Authority, therefore, has accepted the price undertaking offered by Kaneka. Accordingly, exports made by Kaneka shall be covered under undertaking and no anti-dumping duties are proposed to be imposed on exports made by Kaneka. The price undertaking shall take effect from the date on which the Central Government decides to implement the present final findings. The validity of the price undertaking would be co-terminus with the duration of the anti-dumping duties imposed by the Central Government and shall be subject to review as per the applicable provisions under the Rules. The said undertaking will not apply to (i) sales to importers holding advance licenses or (ii) sales to export-oriented units. The company shall provide relevant information to the Authority to establish that the said price undertaking is not being violated. Therefore, the imports of Kaneka Paste Polymer SDH BHD will not attract any anti-dumping duties. The Authority shall periodically review the exports made by the company and ascertain that the said price undertaking is being fully complied. Appropriate action, in accordance with the Rules, shall be taken in the event of any violation of the undertaking.

Duty Table

SN	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39042200, 39043010, 39043090, 39049000, 39044000 and 39049090##	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin#	China PR	Any country including China PR	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.	595
2	Do	do	China PR	Any country including China PR	Shenyang Chemical Co., Ltd.	248
3	Do	do	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN 1 and	707

					SN 2 mentioned above	
4	Do	do	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	China PR	Any producer	707
5	Do	do	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	NIL
6	Do	do	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than SN 5 mentioned above	89
7	Do	do	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Korea RP	Any producer	89
9	Do	do	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer	516
10	Do	do	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Malaysia	Any producer	516

11	Do	Do	Taiwan	Any country including Taiwan	Formosa Plastics Corporation	247
12	Do	do	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer other than SN 11 mentioned above	373
13	do	do	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Taiwan	Any producer	373
14	Do	do	Thailand	Any country including Thailand	TPC Paste Resin Co., Ltd.	343
15	Do	do	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than SN 14 mentioned above	421
16	Do	do	Any country other than China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway	Thailand	Any producer	421
17	Do	do	Norway	Any country including Norway	Any producer	495
18	Do	do	Any country other than	Norway	Any producer	495

			China PR, Korea, Malaysia, Taiwan, Thailand and Norway			
--	--	--	---	--	--	--

#The following products are excluded from the scope of the product under consideration

a) PUC with a K-value below 60K

b) PVC Blending Resin

c) Co-polymers of PVC Paste Resin

d) Battery separator resins

e) Biovyn™ produced from renewable/bio feedstock and accompanied by an acceptable proof of sustainability

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

239. Subject to the above, the preliminary findings recommended by the Authority vide notification no. 6/17/2023-DGTR dated 26th April, 2024 are hereby confirmed.

N. FURTHER PROCEDURE

240. An appeal against the determination of the Designated Authority that may arise out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority